

वार्षिक रिपोर्ट 2020-21



केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
Website: www.cpcb.nic.in

अध्याय सं.	शीर्षक	पृष्ठ सं.
1	परिचय	
2	केंद्रीय बोर्ड का गठन	
3	केंद्रीय बोर्ड की बैठकें	
4	केंद्रीय बोर्ड द्वारा गठित स मतियां और उनकी गति व धयां	
5	जल, वायु और रव(शोर) निगरानी नेटवर्क	
6	पर्यावरण और पर्यावरणीय समस्याओं और उनके प्रत्युपायों की वर्तमान	
7	पर्यावरणीय अनुसंधान	
8	पर्यावरणीय प्र शिक्षण	
9	पर्यावरणीय जागरूकता और जन-भागीदारी	
10	पर्यावरणीय मानक	
11	प्रारंभ कए गए अ भयोग, दोष- स द्ध और दिए गए निदेश	
12	वत्त एवं लेखा	
13	वर्ष 2021-22 की वा र्षक कार्य योजना	
14	केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के द्वारा की गई अन्य महत्त्वपूर्ण गति व धयां	
अनुबंध		
1.	केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा प्रदूषण नियंत्रण स मतियों को शक्तियों का प्रत्यायोजन	
2.	केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सदस्य	
3.	केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का संगठनात्मक संरचना	
4.	केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का कर्मचारी संख्याबल	

जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 के प्रावधानों के अधीन केंद्रीय सरकार ने दिनांक 23 सितम्बर, 1974 को 'जल प्रदूषण के निवारण एवं नियंत्रण के लिए केंद्रीय बोर्ड' का गठन किया। जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1988 (1988 का सं. 53) के द्वारा केंद्रीय बोर्ड का नाम केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (के. प्र.नि.बो.) कर दिया गया। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के प्रावधानों के अधीन मई, 1981 से वायु प्रदूषण नियंत्रण की अतिरिक्त जिम्मेदारी भी सौंपी गई। पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986, जो पर्यावरण की सुरक्षा के उपायों हेतु एकछत्र व ध है और इस अधिनियम के अंतर्गत अनेक नियमों अधिसूचित होने से केंद्रीय बोर्ड के कार्यकलापों के दायरे में बढ़ोतरी हो गई है।

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, देश में प्रदूषण नियंत्रण में लगातार प्रमुख भूमिका निभाता आ रहा है। इसके अंतर्गत वह संबंधित आंकड़े तैयार करने, संकलित करने और सही क्रम में लगाने, वैज्ञानिक सूचनाएँ उपलब्ध कराने, सरकार और आम जनता में व भन्न स्तरों पर जागरूकता बढ़ाने के लिए कार्यकलापों के माध्यम से राष्ट्रीय नीतियों व कार्यक्रमों के निर्माण, प्रशिक्षण व मानव शक्ति के विकास में तकनीकी सहायता उपलब्ध कराने का कार्य करता है।

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड देश में आंकड़े तैयार, संकलित और समानुक्रमित करके, वैज्ञानिक सूचनाएँ उपलब्ध कराकर, राष्ट्रीय नीतियों व कार्यक्रमों को बनाने के लिए तकनीकी सहायता उपलब्ध कराकर, जनशक्ति को प्रशिक्षण व उनका विकास करके और व्यापक जनसामान्य में व भन्न स्तरों पर जागरूकता बढ़ाने हेतु गति व धियों से प्रदूषण के निवारण एवं नियंत्रण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।

1.1 केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के कार्य

जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 और वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के अंतर्गत केंद्रीय बोर्ड के मुख्य कार्य इस प्रकार हैं:

- (i) जल प्रदूषण के निवारण, नियंत्रण तथा रोकथाम द्वारा राज्यों के व भन्न क्षेत्रों में धाराओं, नदियों और कुओं की सफाई को बढ़ावा देना; और,
- (ii) देश की वायु गुणवत्ता में सुधार करना और वायु प्रदूषण का निवारण, नियंत्रण एवं रोकथाम करना।
- (iii) इन अधिनियमों के अंतर्गत अपने कार्यों के निष्पादन हेतु निदेश देने की शक्ति: केंद्रीय बोर्ड ऐसे निर्देशों से बाध्य होगा जो केंद्रीय सरकार उसको लिखित रूप में दे सकती है।

केंद्रीय बोर्ड विशेष रूप से और पूर्वोक्त कार्यों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, निम्न लिखित सभी या कोई भी कार्य कर सकता है, अर्थात्

- (क) जल और वायु प्रदूषण नियंत्रण से संबंधित किसी भी मामले में केंद्र सरकार को सलाह देना;

- (ख) उपर्युक्त संदर्भित अधिनियमों के अंतर्गत नियमों और वनियमों के अनुपालन में राज्य बोर्डों की गति व धर्यों का समन्वय करना और इसके पारस्परिक ववादों को निपटाना;
- (ग) राज्य बोर्डों को तकनीकी सलाह देना व मार्गदर्शन करना, जल और वायु प्रदूषण निवारण, नियंत्रण या रोकथाम के लए समस्याओं के अन्वेषण तथा अनुसंधान करना तथा इस कार्य को प्रायोजित करना;
- (घ) जल और वायु प्रदूषण के निवारण, नियंत्रण या रोकथाम कार्यक्रमों में कार्यरत व्यक्तियों के लए प्र शक्षण योजना तैयार करना और प्र शक्षण की व्यवस्था करना;
- (ङ) जनसंचार माध्यम से जल और वायु प्रदूषण के निवारण, नियंत्रण और उपशमन के प्रति जन-चेतना के लए वस्तुतः कार्यक्रमों का आयोजन करना;
- (च) जल और वायु प्रदूषण से संबंधित तकनीकी और सांख्यिकीय आंकड़ों का संग्रह, संकलन एवं प्रकाशन करना और उनके प्रभावी रोकथाम और नियंत्रण के लए उपाय करना तथा मलजल और व्यापार अप शष्ट के उपचार और निपटान के साथ-साथ स्टैक गैस सफाई उपकरणों, स्टैक्स और डक्ट्स के लए मैनुअल, कोड या मार्गदर्शिका तैयार करना और सूचनाओं का प्रसार करना;
- (छ) संबंधित राज्य सरकारों के परामर्श से धाराओं या कूपों के लए एवं वायु गुणवत्ता के लए मानकों का निर्धारण करना, संशोधन करना अथवा उनको रद्द करना;
- (ज) जल एवं वायु प्रदूषण के निवारण या रोकथाम के लए राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम तैयार करना और इसे कार्यान्वित करना;
- (झ) ऐसे अन्य सभी कार्य करना जो निर्धारित कए जाएँ।

1.2 वार्षिक रिपोर्ट

जल (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 39 के अनुसार, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, प्रत्येक वत्तीय वर्ष के दौरान पछले वत्तीय वर्ष की अपनी गति व धर्यों की जानकारी देगा और पछले वत्तीय वर्ष की अंतिम तिथि से चार महीने के भीतर इसकी प्रतियां केंद्र सरकार को अग्रे षत करेगा तथा सरकार ऐसी प्रत्येक रिपोर्ट को पछले वर्ष की अंतिम तिथि से नौ महीने के भीतर संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखवाएगी।

1.3 केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा शक्तियों का प्रत्यायोजन

भारत सरकार के नीतिगत निर्णय के अनुसार, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने समय-समय पर व भन्न राज्य बोर्डों/संघ राज्य क्षेत्रों (अनुबंध-1) के संबंध में जल (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 4 की उपधारा 4 और वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 6 के अधीन अपनी शक्तियों और कार्यों को संबंधित प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों/समितियों को प्रत्यायोजित किया है।

अध्याय- 2

केंद्रीय बोर्ड का गठन

2.1 केंद्रीय बोर्ड का गठन

जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 के प्रावधानों के अनुसार केंद्रीय बोर्ड में निम्न लखत सदस्य शामिल हैं:

- केंद्र सरकार द्वारा नामित एक पूर्णकालिक अध्यक्ष, जिन्हें पर्यावरण से संबंधित मामलों में विशिष्ट जानकारी अथवा व्यवहारिक अनुभव हो या जिन्हें उपर्युक्त मामलों पर कार्य करने वाले किसी संस्थान के संचालन का ज्ञान और अनुभव हो;
- सरकार का प्रतिनिधित्व करने वाले और केंद्र सरकार द्वारा नामित अधिक से अधिक पाँच अधिकारी;
- राज्य बोर्डों के सदस्यों में से केंद्र सरकार द्वारा नामित अधिक से अधिक पाँच अधिकारी, जो केंद्र सरकार के राज्य बोर्डों के सदस्य हों तथा उनमें से अधिकतम दो स्थानीय निकायों के सदस्य भी हों;
- केंद्र सरकार द्वारा नामित अधिकतम तीन गैर-सरकारी व्यक्ति, जो कृषि, मत्स्य-पालन अथवा उद्योग अथवा व्यापार हित का अथवा केंद्र सरकार की दृष्टि में अन्य किसी हित का प्रतिनिधित्व करते हों;
- केंद्र सरकार द्वारा नामित ऐसे दो व्यक्ति, जो केंद्र सरकार के स्वामित्व, नियंत्रण अथवा प्रबंधन में चल रही कंपनियों या निगमों का प्रतिनिधित्व करते हों; और,
- केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त एक पूर्णकालिक सदस्य सचिव, जिन्हें प्रदूषण नियंत्रण के वैज्ञानिक, अभियांत्रिकीय अथवा प्रबंधन संबंधी पहलुओं की जानकारी, शैक्षिक योग्यता एवं अनुभव हो।

2.2 बोर्ड के सदस्य

वर्ष 2020-2021 के दौरान केंद्रीय बोर्ड के सदस्यों की सूची अनुबंध-2 में है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की संगठनात्मक संरचना अनुबंध-3 में दी गई है। 31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार कर्मचारियों की संख्या अनुबंध-4 में दी गई है।

अध्याय-3

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की बैठकें

3.1 केंद्रीय बोर्ड की बैठकें

वत्त वर्ष 01 अप्रैल, 2020 से 31 मार्च, 2021 तक केंद्रीय बोर्ड की निम्नानुसार बैठकें आयोजित की गई थी:-

क्रम सं.	बैठक सं.	दिनांक	स्थान
1.	बोर्ड की 190 ^{वीं} बैठक	9 जून, 2020	वी डयो कॉन्फ्रेंस संग के माध्यम से केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली
2.	बोर्ड की 191 ^{वीं} बैठक	18 अगस्त, 2020	वी डयो कॉन्फ्रेंस संग के माध्यम से केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली
3.	बोर्ड की 192 ^{वीं} बैठक	20 जनवरी, 2021	वी डयो कॉन्फ्रेंस संग के माध्यम से केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली

3.2 बोर्ड द्वारा लए गए प्रमुख निर्णय

- बोर्ड द्वारा दिल्ली वायु गुणवत्ता प्रबंधन पर प्राथमिकता से ध्यान देने के साथ, 122 नॉन अटेनमेंट शहरों में कार्य योजनाओं के क्रयान्वयन और गंगा नदी पर ध्यान देने के साथ अत्यधिक प्रदूषित 61 नदी खंडों की देखरेख करने, कोवड-19 की चुनौतियों के लए अनुसंधान एवं विकास के साधन, ई-ऑफस प्रणाली स्थापित करना, अपशष्ट प्रबंधन नियमों आदि के कार्यान्वयन के लए 100.00 करोड़ रुपए के सहायता अनुदान के उपयोग के लए वत्तीय वर्ष 2020-21 की वार्षिक कार्य योजना का अनुमोदन कया गया। वार्षिक रिपोर्ट 2019-20 को संसद के समक्ष रखने से पूर्व अनुमोदित कया गया।
- केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को सरकारी, अर्ध-सरकारी संगठन और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के लए पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 12 और 13 के अधीन पर्यावरण प्रयोगशालाओं और सरकारी वश्लेषकों को मान्यता देने के लए शक्तियां प्रत्यायोजित की गई हैं। वश्लेषक स मति की अनुशंसा के आधार पर, बोर्ड ने केरल प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, प्रोजेक्ट एंड डेवलपमेंट इंडिया ल मटेड, नोएडा एनवायरमेंट मैनेजमेंट एंड पॉलसी रिसर्च इंस्टीट्यूट, कर्नाटक, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की पर्यावरण प्रयोगशालाओं और 12 सरकारी वश्लेषकों

को निर्दिष्ट मापदंडों के वश्लेषण के लए अनुमोदन दिया है।

- वशेषज्ञ स मति की अनुशंसा के आधार पर, बोर्ड द्वारा केंद्रीय प्रयोगशाला, तेलंगाना राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के निम्न ल खत सरकारी वश्लेषकों की सेवानिवृत्ति और स्थानांतरण होने पर उनके प्रतिस्थापन का अनुमोदन दिया गया।
- बोर्ड ने राजस्व सृजन के लए शुल्क लगाने के प्रस्ताव को सैद्धांतिक अनुमोदन दिया है।
- केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसंधान सहयोगी, कनिष्ठ अनु. अध्येता, वरिष्ठ अनु. अध्येता को प्रतिष्ठित शैक्षणिक संस्थानों से पीएचडी करने की अनुमति देने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।
- बोर्ड ने कतिपय नियमों और शर्तों पर आवश्यकताओं के आधार पर केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सेवानिवृत्त कर्मियों को बाह्य एजेंसियों से काम पर रखने के लए अनुमोदन दिया गया है।

3.3 तकनीकी रिपोर्ट और गति व धयां

- माननीय राष्ट्रीय हरित अधकरण ने ओए संख्या **462/2018** के मामले में दिनांक **19** मार्च, **2020** को आदेश दिया है क केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड राज्य में कम से कम एक पारिस्थितिकी-संवेदनशील क्षेत्र की “वहन क्षमता मूल्यांकन“ करने के लए राज्य प्रशासन सहित संबंधित प्राधिकारियों के साथ समन्वय कर सकता है जिसे अगले तीन महीनों में सभी पारिस्थितिकी-संवेदनशील क्षेत्रों के लए दोहराया जा सकता है। इस आदेश के अनुपालन में, सीएसआईआर-नीरी द्वारा “पारिस्थितिकी-संवेदनशील क्षेत्र की पर्यावरणीय वहन क्षमता का आकलन: संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान, मुंबई, महाराष्ट्र“ पर रिपोर्ट प्रस्तुत की गई।
- के.प्र.नि.बो. ने बढ़ती पर्यावरणीय चुनौतियों, जनता और न्यायिक अपेक्षाओं में हुई वृद्ध के साथ, व्यापक योजना और ववेकपूर्ण कार्य योजना के माध्यम से प्रदूषण नियंत्रण की बढ़ती जटिलताओं का सामना करने के लए मौजूदा कार्यप्रणाली में परिवर्तन लाने की योजना बनाई है। इस उद्देश्य के साथ, के.प्र.नि.बो. ने वर्तमान क्षमताओं, सुदृढीकरण आवश्यकताओं और वांछित परिवर्तन के लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए ‘वजन **2030**’ तैयार किया है।
- केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने सभी निरीक्षणों को करने, रिपोर्ट तैयार करने और कार्रवाई करने, निरीक्षण प्रक्रिया को सुस्पष्ट करने, निरीक्षण से पूर्व, निरीक्षण के दौरान और उसके पश्चात उठाए जाने वाले कदमों और रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु एक मानक प्रक्रिया तैयार की है।
- सामूहिक जैव चकत्सा अपशष्ट उपचार सुवधा परिचालकों को प्रभावी जैव चकत्सा अपशष्ट प्रबंधन के लए कोवड -19 जैव चकत्सा अपशष्ट ट्रेकंग ऐप का उपयोग करने के लए निदेशित किया गया।

- माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निदेशों के अनुपालन में आनंद वहार में, जो क दिल्ली में वायु प्रदूषण का हॉटस्पॉट है, स्मॉग टॉवर का निर्माण किया जा रहा है। यह एक पायलट परियोजना है जिसे देश में पहली बार क्रयान्वित किया जा रहा है। इसमें आईआईटी मुंबई की प्रमुख भागीदारी है। यह इसकी स्थापना, समन्वय और प्रदर्शन के मूल्यांकन हेतु जिम्मेदार है। स्मॉग टॉवर के समन्वय और प्रदर्शन मूल्यांकन के लिए आईआईटी दिल्ली आईआईटी मुंबई के साथ जुड़ा हुआ है।
- राष्ट्रीय जल सूचना वज्ञान केंद्र (एनडब्ल्यूआईसी), जिसे भारत की जल संसाधन सूचना प्रणाली के रूप में भी जाना जाता है, सतही और भूजल के आंकड़ों सहित जल संसाधनों की जानकारी के लिए एक जीआईएस समर्थित केंद्रीकृत मंच है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने राष्ट्रीय जल गुणवत्ता निगरानी कार्यक्रम के अंतर्गत 4,111 स्टेशनों का ब्यौरा साझा किया और आंकड़ों के अंतरण करने हेतु तंत्र तैयार करने के लिए कार्य स्तर दल की बैठक की योजना बनाई है।
- एसटीपी के परिचालन की स्थिति, अप शफ्ट जल के उपचार की मात्रा और गुणवत्ता को ट्रैक करने के लिए एक इन-हाउस ऐप बनाया गया है। एसटीपी ऐप से अप-लंकंग सुनिश्चित करने और उपचारित वाहित मल की मात्रा और गुणवत्ता से संबंधित गत्यात्मक जानकारी साप्ताहिक रूप से अपलोड करने के लिए राज्यों को संप्रेषण भेजा गया है। राज्यों और संबंधित एजेंसियों को अनिवार्य रूप से एसटीपी ऐप को संस्थापित करने और निगरानी किए गए आंकड़ों को लंक-अप करने के लिए भी निदेश जारी किए जा रहे हैं।
- जनवरी-अप्रैल माह, 2021 के मध्य महाकुंभ मेले के दौरान तापमान, पीएच, घुलत ऑक्सीजन और रंग हेतु ऋषकेश और हरिद्वार में छह स्थानों पर एक दिन में दो बार निगरानी की गई। नमूनों के वश्लेषण के लिए भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लमटेड (भेल), हरिद्वार में एक समर्पित प्रयोगशाला स्थापित की गई है। आठ स्थानों पर वभन्न मापदण्डों के लिए प्रमुख स्नान दिवसों के पूर्व एवं पश्चात वशेष निगरानी की जा रही है।
- केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में कागजरहित प्रभावी और पारदर्शी कामकाज हेतु ई-ऑफिस का क्रयान्वयन किया गया है।

अध्याय - 4

केंद्रीय बोर्ड द्वारा गठित स मितियां और उनकी गति व धयां

4.1 केंद्रीय बोर्ड में वशेषज्ञ समूह का गठन

पर्यावरणीय क्षरण गंभीर चंता का वषय है। पर्यावरण के संबंघ में उभरती चंताओं, तकनीकी प्रगति और बढती जागरूकता के मद्देनज़र, अनेकों बार यह आवश्यकता महसूस की गई क सम र्पत वशेषज्ञ समूह पर्यावरण प्रबंधन के प्रयासों पर सलाह और तकनीकी वशेषज्ञता प्रदान करें। बहुआयामी दृष्टिकोण और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की तकनीकी वशेषज्ञता को व्यापक बनाने के लए अप्रैल 2019 से मार्च 2021 की अव ध हेतु निम्नानुसार वशेषज्ञ समूहों का गठन कया गया है, जिसमें व भन्न वषयगत क्षेत्रों के प्रख्यात वशेषज्ञ शा मल हैं, जो नीचे दिए गए हैं:

1. वायु प्रदूषण से जुड़े स्वास्थ्य पहलू
2. वाहन प्रदूषण नियंत्रण
3. सैटेलाइट आधारित वायु गुणवत्ता निगरानी प्रणाली
4. सीवेज और सीवरेज प्रणाली का प्रबंधन
5. जल गुणवत्ता प्रबंधन पर वशेषज्ञ समूह
6. उपचार, भंडारण और निपटान सु वधाओं (टीएसडीएफ)- कैप्टिव और कॉमन
7. ई-अप शष्ट प्रबंधन
8. परिसंकटमय एवं अन्य अप शष्ट (प्रबंधन एवं सीमापारीय परिवहन) नियम, 2016 का क्रयान्वयन
9. पर्यावरणीय क्षति के आकलन

इन वशेषज्ञ समूहों के सदस्य अपने-अपने संबं धत क्षेत्रों से संबं धत मुद्दों का परीक्षण करते हैं और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को तकनीकी जानकारी के रूप में सलाह और सहायता प्रदान करते हैं।

अध्याय - 5

जल, वायु और रव निगरानी नेटवर्क

5.1 राष्ट्रीय जल गुणवत्ता निगरानी नेटवर्क

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) ने राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (एसपीसीबी) और प्रदूषण नियंत्रण स मितियों (पीसीसी) के सहयोग से राष्ट्रीय जल गुणवत्ता निगरानी कार्यक्रम (एनडब्ल्यूएमपी) के अंतर्गत जल गुणवत्ता निगरानी नेटवर्क स्था पत कया है। देश भर में **28** राज्यों और **07** संघ राज्य-क्षेत्रों (यूटी) को शा मल करते हुए **4294** स्थानों पर जल गुणवत्ता नेटवर्क स्था पत कए गए राज्यवार जल गुणवत्ता नेटवर्क को ता लका **5.1** में प्रस्तुत कया गया है।

ता लका **5.1**: एनडब्ल्यूएमपी के अंतर्गत राज्य-वार जल गुणवत्ता निगरानी नेटवर्क की स्थिति

क्र.सं.	राज्य	नदी	झील	टैंक	ताला ब	क्रीक/समुद्र/तटीय	नहर	नाला	एसटीपी	भूजल	कुल
1	आंध्र प्रदेश	42	3	1	-	11	6	4	1	3	123
2	अरुणाचल प्रदेश	29	-	-	-	-	-	-	-	-	29
3	असम	100	6	1	27	-	-	-	-	6	198
4	बिहार	96	3	-	2	-	-	-	-	7	171
5	चंडीगढ़	-	1	-	-	-	-	3	-	7	11
6	छत्तीसगढ़	29	1	-	1	-	-	-	-	8	39
7	दमन और दीव, दादरा और नगर हवेली	13	-	-	-	-	-	-	-	1 2	24
8	दिल्ली	9	4	-	-	-	2	9	-	4	75
9	गोवा	32	9	-	-	11	3	-	2	1	67
10	गुजरात	67	20	1	2	3	3	-	2	8	187
11	हरियाणा	22	3	-	1	-	14	1	-	2	73
12	हिमाचल प्रदेश	143	5	-	-	-	-	23	-	4	220
13	जम्मू और कश्मीर तथा	64	36	-	-	-	-	1	-	2 3	124
14	झारखंड	65	4	-	4	-	-	-	-	3	76
15	कर्नाटक	109	80	95	-	-	-	1	-	2	287

क्र. सं.	राज्य	नदी	झील	टैंक	ताला ब	क्रीक/समुद्र/तटीय	नहर	नाला	एसटी पी	भूजल	कुल
16	केरल	75	16	-	2	-	3	-	1	34	131
17	लक्षद्वीप	-	-	-	3	-	-	-	-	42	45
18	मध्य प्रदेश	158	22	1	12	-	-	-	-	54	247
19	महाराष्ट्र	162	-	-	-	34	-	10	-	50	256
20	मणपुर	41	5	-	13	-	1	-	-	10	70
21	मेघालय	64	7	-	-	-	-	-	-	13	84
22	मजोरम	46	1	1	2	-	-	-	-	26	76
23	नगालैंड	19	2	-	-	-	-	-	-	10	31
24	ओडिसा	128	7	-	8	95	9	4	3	90	344
25	पुद्दुचेरी	6	3	-	-	-	-	-	-	22	31
26	पंजाब	59	3	-	3	-	-	10	8	46	129
27	राजस्थान	35	17	-	1	-	5	-	-	139	199
28	सक्किम	16	-	-	-	-	-	-	3	-	19
29	तमिलनाडु	86	8	1	-	34	5	5	16	22	177
	तेलंगाणा	55	85	37	13	-	-	13	11	45	259
31	त्रिपुरा	38	8	-	10	-	7	-	-	57	120
32	उत्तर प्रदेश	115	2	-	2	-	1	-	-	40	160
33	उत्तराखंड	39	2	-	-	-	4	-	3	19	69
34	पश्चिमी बंगाल	59	13	-	-	1	2	-	-	68	143
	कुल	2021	376	138	106	189	65	84	50	1231	4294

5.2 को वड के कारण लॉकडाउन के दौरान प्रमुख नदियों की जल गुणवत्ता का आकलन

भारत सरकार ने 24 मार्च, 2020 की मध्य रात्रि से देशव्यापी लॉकडाउन लागू किया था, ता क कोरोनावायरस (को वड-19) के संक्रमणों के वरूद्ध रोग-संचार को फैलने से रोकने के लए एक निवारक उपाय किया जा सके तथा इसके बाद इसे आगे और बढ़ा दिया गया था। लॉकडाउन की अव ध के दौरान, मानवीय गति व धयों को प्रतिबंधित कर दिया गया था और अधिकांश गति व धयाँ स्थिर हो गई थीं। औद्योगिक संचालन पर प्रतिबंध के दृष्टिगत, अधिकांश क्षेत्रों में औद्योगिक वसर्जन न्यूनतम हो गया है, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/प्रदूषण नियंत्रण समितियों ने राष्ट्रीय जल गुणवत्ता निगरानी कार्यक्रम (एनडब्ल्यूएमपी) के अंतर्गत वद्यमान निगरानी स्थानों पर 19 प्रमुख नदियों (अर्थात् ब्यास, ब्रह्मपुत्र, बैतरणी और ब्राह्मणी, कावेरी, चंबल, गंगा, घग्गर, गोदावरी, कृष्णा, महानदी, माही, नर्मदा, पेन्नार, साबरमती, सतलुज, स्वर्णरेखा, तापी और यमुना नदी) के पानी की गुणवत्ता पर एक अध्ययन किया है। तथापि, एनडब्ल्यूएमपी के अंतर्गत सभी मौजूदा निगरानी स्थानों की निगरानी लॉकडाउन के दौरान गति व ध प्रतिबंधों के कारण नहीं की जा सकी जो क राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों/प्रदूषण नियंत्रण समितियों द्वारा नमूना लेने के दौरान एक प्रमुख बाधा है।

लॉकडाउन से पूर्व की अव ध (मार्च, 2020) के दौरान, 20 राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने लॉकडाउन (अप्रैल, 2020) के दौरान 19 प्रमुख नदियों से 387 निगरानी स्थानों पर और 365 नमूने निगरानी स्थानों से एकत्र किए हैं। एकत्र किए गए नमूनों का वश्लेषण महत्वपूर्ण मापदंडों अर्थात् पीएच, घु लत ऑक्सीजन (डीओ), जैव-रासायनिक ऑक्सीजन मांग (बीओडी), फीकल कॉ लफोर्म (एफसी) और परिणामों की तुलना पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के अंतर्गत अधसूचित खुले में स्नान के लए प्राथमिक जल गुणवत्ता मानदंड से की गई। इस वश्लेषण के परिणाम ता लका 5.2 में प्रस्तुत किए गए हैं।

ता लका 5.2: मार्च और अप्रैल, 2020 (लॉकडाउन पूर्व और लॉकडाउन अव ध) के दौरान पानी के नमूनों (19 प्रमुख नदियों) का वश्लेषण परिणाम

क्र.स.	पैरामीटर	मार्च, 2020 के दौरान प्राथ मक जल गुणवत्ता मानदंड का अनुपालन करने वाले जल नमूनों की संख्या	अप्रैल, 2020 के दौरान प्राथ मक जल गुणवत्ता मानदंड का अनुपालन करने वाले जल नमूनों की संख्या
1	पीएच	387 में से 375	365 में से 355
2	डीओ	387 में से 351	365 में से 331
3	बीओडी	387 में से 315	365 में से 298
4	एफसी	387 में से 324	365 में से 299
जल गुणवत्ता के वश्लेषण का परिणाम		निगरानी कए गए 387 स्थानों में से 299 (77.26%) ने बाह्य स्नान के लए प्राथ मक जल गुणवत्ता मानदंड का अनुपालन कया।	निगरानी कए गए 365 स्थानों में से 277 (77.26%) ने बाह्य स्नान के लए प्राथ मक जल गुणवत्ता मानदंड का अनुपालन कया।

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के 46वें स्थापना दिवस के अवसर पर "प्रमुख नदियों की जल गुणवत्ता पर लॉकडाउन के प्रभाव का आकलन" पर रिपोर्ट जारी की गई है। रिपोर्ट की प्रति के.प्र.नि.बो. की वेबसाइट पर <https://cpcb.nic.in/upload/Assessment-of-Impact-Lockdown-WQ-MajorRivers.pdf> पर अपलोड कर दी गई है। लॉकडाउन पूर्व (मार्च, 2020) और लॉकडाउन अव ध (अप्रैल, 2020) के दौरान निगरानी की गई 19 प्रमुख नदियों की समग्र समुक्ति नीचे दी गई है:

- चार नदियों अर्थात बैतरणी, महानदी, नर्मदा और पेन्नार ने लॉकडाउन पूर्व और लॉकडाउन अव ध के दौरान खुले में स्नान के लए प्राथ मक जल गुणवत्ता मानदंड का 100% प्रद र्शत हुआ।
- घग्गर नदी लॉकडाउन पूर्व और लॉकडाउन अव ध के दौरान खुले में स्नान के लए प्राथ मक जल गुणवत्ता मानदंड का पालन करने में वफल रही।
- दो नदियों अर्थात साबरमती (55.6%) और माही (92.9%) की जल गुणवत्ता लॉकडाउन पूर्व और लॉकडाउन के दौरान खुले में स्नान के लए प्राथ मक जल गुणवत्ता मानदंड के अनुपालन के संदर्भ में अपरिवर्तित बनी हुई है।
- खुले में स्नान के लए प्राथ मक जल गुणवत्ता मानदंड के संदर्भ में 7 नदियों के मामले में जल की गुणवत्ता में सुधार देखा गया, जो ता लका 5.3 में दिया गया है।

ता लका 5.3

खुले में स्नान के लए प्राथ मक जल गुणवत्ता के संदर्भ में नदियों की जल गुणवत्ता में सुधार

क्र.सं.	नदी का नाम	स्नान मानदंड सीमाओं के अनुपालन में जल गुणवत्ता में सुधार (%)
1	ब्राह्मणी	85 से 100
2	ब्रह्मपुत्र	87.5 से 100
3	कावेरी	90.5 से 96.97
4	गोदावरी	65.8 से 78.4
5	कृष्णा	84.6 से 94.4
6	तापी	77.8 से 87.5
7	यमुना	42.8 से 66.67

- उपर्युक्त ता लका से यह पाया गया है क स्नान मानदंड सीमाओं के अनुपालन में सुधार के लए इनका योगदान है- (i) लगभग सभी उद्योगों को बंद करने के मद्देनजर न्यूनतम औद्योगिक बहिःस्राव वसर्जन। (ii) पूजा सामग्री और कचरे के निपटान से जुड़ी कसी मानवीय गति व ध का न होना। (iii) लॉकडाउन चरण के दौरान मानवजनित कोई गति व ध यथा खुले में स्नान, कपड़े धोना, वाहन धोना और पशु धोना, कोई तीर्थाटन आदि न करना और (iv) भूपृष्ठ जलाशयों के जैविक संदूषण को कम करने के लए मवेशियों की आवाजाही भी काफी कम हो गई।
- लॉकडाउन अवध के दौरान निम्न ल खत पांच नदियों के मामले में पानी की गुणवत्ता खराब हो गई थी जिसके लए (i) अनुपचारित या आंशक रूप से उपचारित वाहितमल का वसर्जन; (ii) नगण्य शुष्क मौसम प्रवाह के कारण प्रदूषक सांद्रता का सामान्यतः अपने उच्चतम स्तर पर होना; और (iii) उपरिप्रवाह कोई ताजा पानी न आना, उत्तदायी हैं।

ता लका 5.4

खुले में स्नान के लए प्राथ मक जल गुणवत्ता के संदर्भ में नदियों के जल की गुणवत्ता में गरावट

क्र.सं.	नदी का नाम	स्नान मानदंड के अनुपालन में जल की गुणवत्ता में गरावट (%)
1	व्यास	100 से 95.45
2	चंबल	75 से 46.15
3	गंगा	64.6 से 46.2
4	सतलुज	87.1 से 78.3

5	स्वर्णरेखा	80 से 53.33
---	------------	-------------

- लॉकडाउन के दौरान 6 नदियों (बैतरणी, ब्राह्मणी, ब्रह्मपुत्र, महानदी, नर्मदा और पेन्नार) के मामले में खुले में स्नान के लिए प्राथमिक जल गुणवत्ता मानदंड के संदर्भ में पानी की गुणवत्ता में पूर्ण अनुपालन देखा गया था, जिसका कारण संबंधित नदियों के जलग्रहण क्षेत्र में वाहितमल के प्रबंधन के लिए पर्याप्त बुनियादी ढांचे की उपलब्धता और पर्याप्त तनूकरण हो सकता है।

तालिका 5.5

खुले में स्नान के लिए प्राथमिक जल गुणवत्ता के संदर्भ में नदियों की जल गुणवत्ता का पूर्ण अनुपालन

क्र.सं.	नदी का नाम	स्नान मानदंड सीमा का पूर्ण अनुपालन (%)
1	बैतरणी	100
2	ब्राह्मणी	100
3	ब्रह्मपुत्र	100
4	महानदी	100
5	नर्मदा	100
6	पेन्नार	100

5.3 दिल्ली खंड के भीतर यमुना नदी की जल गुणवत्ता पर लॉकडाउन का प्रभाव

यमुना नदी (दिल्ली खंड) के पानी की गुणवत्ता पर लॉकडाउन के प्रभाव की भी जांच मार्च 2020 में लॉकडाउन के दौरान की गई थी। इसकी वस्तु रिपोर्ट

<https://cpcb.nic.in/openpdf?file.php?id=TGF0ZXN0RmlsZS9fMTU4ODMzNzk1OF9tZWRp>

[YXBob3RvODg4LnBkZg](https://cpcb.nic.in/openpdf?file.php?id=TGF0ZXN0RmlsZS9fMTU4ODMzNzk1OF9tZWRp) लिंक पर उपलब्ध है। दिल्ली खंड के भीतर यमुना नदी और नालों के जल की गुणवत्ता नीचे तालिका 5.6 तथा 5.7 में दी गई है।

ता लका 5.6

यमुना नदी की जल गुणवत्ता

(मार्च 2020 (लॉकडाउन-पूर्व) और अप्रैल 2020 (लॉक डाउन में))

मापदंड	पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के अधीन अधसूचत बाहरी स्नान के लए प्राथमक जल गुणवत्ता मानदंड	यमुना की जल गुणवत्ता	
		लॉकडाउन- पूर्व	लॉकडाउन में
स्थान : पल्ला			
पीएच	6.5-8.5	8.7	7.8
चालकता (µएस/सेमी.)	-	668	273 (-59.18 %)
डीओ (मग्रा./ल.)	5	17.1	8.3 (-51.46 %)
बीओडी(मग्रा./ल.)	3	7.9	2 (-74.60 %)
सीओडी (मग्रा./ल.)	-	28	6 (-78.57 %)
स्थान : निजामुद्दीन पुल			
पीएच	6.5-8.5	7.3	7.2
चालकता (µएस/सेमी.)	-	1369	460 (-66.40 %)
डीओ (मग्रा./ल.)	5	पता लगने योग्य नहीं	2.4
बीओडी(मग्रा./ल.)	3	57	5.6 (-90.18%)
सीओडी (मग्रा./ल.)	-	90	16(-82.22%)
स्थान : ओखला बैराज उपरिप्रवाह			
पीएच	6.5-8.5	7.2	7.1
चालकता (µएस/सेमी.)	-	861	488 (-43.32 %)

डीओ (मग्रा./ल.)	5	ND	1.2 (वृद्ध)
बीओडी(मग्रा./ल.)	3	27	6.1 (-77.41 %)
सीओडी (मग्रा./ल.)	-	95	18 (81.05 %)
टिप्पण : **लॉकडाउन पूर्व (मार्च 04, 2020) 06,.2020) ***लॉकडाउन में (अप्रैल			

ता लका 5.7

नालों की जल गुणवत्ता

(मार्च 2020 (लॉकडाउन-पूर्व) और अप्रैल 2020 (लॉक डाउन में)

मापदंड	नालों की जल गुणवत्ता	
	लॉकडाउन-पूर्व	लॉकडाउन में
स्थान : नजफगढ़ नाला		
पीएच	7.3	7.3
एसएस मग्रा./ल.)	152	106 (-30.26 %)
बीओडी(मग्रा./ल.)	78	55 (-29.49 %)
सीओडी (मग्रा./ल.)	271	150 (-44.65%)
चालकता (µएस/सेमी.)	-	1501
स्थान: शाहदरा नाला		
पीएच	7.1	7.2
एसएस मग्रा./ल.)	464	305 (-34.27 %)
बीओडी(मग्रा./ल.)	163	89 (-45.4 %)
सीओडी (मग्रा./ल.)	574	383 (-33.28%)
चालकता (µएस/सेमी.)	-	1,657
टिप्पण: **लॉकडाउन पूर्व (मार्च 04, 2020) ***लॉकडाउन में (अप्रैल 06,.2020)		

लॉकडाउन के दौरान यमुना नदी से पानी के नमूने एकत्र कए गए और दिल्ली के भीतर प्रदूषण कारक प्रमुख नालों के पानी की गुणवत्ता से पता चलता है क:-

- (i) पल्ला में एकत्र कए गए पानी के नमूने को खुले में स्नान के लए प्राथमिक जल गुणवत्ता मानदंड के अनुपालन अनुसार पाया गया था जब क अन्य दो स्थानों (निजामुद्दीन पुल और ओखला उपरिप्रवाह) को स्नान के लए प्राथमिक जल गुणवत्ता मानदंड के अनुपालन के अनुसार नहीं पाया गया था।
- (ii) बीओडी और सीओडी के संदर्भ में घटती प्रवृत्ति देखी गई और डीओ के संदर्भ में निगरानी कए गए स्थानों (पल्ला को छोड़कर) पर बढ़ती प्रवृत्ति देखी गई।
- (iii) अप्रैल, 2020 दौरान दो नालों (नजफगढ़ और शाहदरा नालों) के पानी की गुणवत्ता (निलंबित ठोस, बीओडी और सीओडी के संदर्भ में) में गरावट की प्रवृत्ति देखी गई।

यमुना नदी के जल की गुणवत्ता में परिवर्तन का मुख्य कारण था-

- (i) वजीराबाद बैराज से ताजा पानी छोड़ने से नाले के पानी के तनुकरण में सहायता मली;
- (ii) तनुकरण की उपलब्धता से यमुना नदी के अनुप्रवाह में स्व-शुद्धकरण में सहायता मली;
- (iii) दिल्ली में लॉकडाउन के कारण उपरिप्रवाह और अनुप्रवाह दोनों में कोई औद्योगिक अपशिष्ट बहिःस्राव (दिल्ली में लगभग 35.9 एमएलडी) का न होना और;
- (iv) सौर प्रकाश के बेहतर प्रवेश के कारण भौतिक दृश्यता में सुधार, और
- (v) कोवड-19 महामारी के फलस्वरूप चल रहे लॉकडाउन के कारण उद्योगों को बंद करने (उपरिप्रवाह और दिल्ली दोनों में) के अतिरिक्त कोई भी मानवीय गति व ध यथा पूजा सामग्री फेंकना, ठोस अपशिष्ट निपटान, स्नान करना, कपड़े धोना आदि का न होना।

5.3.1 ओखला बैराज के अनुप्रवाह में यमुना नदी में झाग बनने की जांच

यमुना नदी में झाग बनने की घटना कभी-कभी देखी जाती है जिसका कारण अनुचित तरीके से उपचारित या अनुपचारित वाहितमल या औद्योगिक अपशिष्टों का निर्वहन है जिसमें डटर्जेंट या सर्फैक्टेंट जैसे कपड़े धोने के रसायन और सफाई या धुलाई घटक होते हैं। आमतौर पर, डटर्जेंट में घरों या कपड़ों की धुलाई या अन्य औद्योगिक कार्यों से निकलने वाले फॉस्फेट (सोडियम ट्राई-पोली-फॉस्फेट) होते हैं। फॉस्फोरिक यौगिक नदी तल पर गाद के रूप में जमा हो जाते हैं। मानसून के दौरान या जब कसी जलाशय के ढाल में अचानक परिवर्तन होता है तो हलचल और अशांति के कारण जलाशय में वद्यमान फॉस्फोरिक यौगिक उत्तेजित हो जाते हैं और सतह पर झाग के ढेर बन जाते हैं।

यमुना नदी में झाग बनने के कारणों का पता लगाने के लए चार स्थानों अर्थात् वजीराबाद बैराज (उपरिप्रवाह), आईटीओ पुल, निजामुद्दीन पुल और ओखला बैराज (अनुप्रवाह) पर पानी की गुणवत्ता के लए नमूने एकत्र कए गए। (चत्र 5.1)



चित्र 5.1: दिनांक 25.07.2020 को ओखला बैराज अनुप्रवाह पर झाग देखा गया।

नदी के नमूनों का विश्लेषण भौतिक-रासायनिक मापदंडों नामतः पीएच, डीओ, सुचालकता, सीओडी, बीओडी, क्लोराइड, पीओ₄-पी, एनीऑनिक सर्फैक्टेंट-मेथिलीन नीला स क्रय पदार्थ (एमबीएस), अमोनिकल नाइट्रोजन और कुल तथा फीकल को लफॉर्म के जीवाणुत्व-संबंधी मापदंड ता लका 5.8 में दिए गए हैं।

ता लका 5.8

जुलाई, 2020 (25.07.2020) के दौरान यमुना नदी के जल की गुणवत्ता

स्थान मापदंड	वजीराबाद (उपरिप्रवाह)	आईटीओ	निजामुद्दीन पुल	ओखला बैराज (अनुप्रवाह)
पीएच	7.7	7.2	7.2	7.4
डीओ (म.ग्रा./ली.)	8.0	शून्य	शून्य	5.6
चालकता ($\mu\text{mho}/\text{सेमी.}$)	483	1070	1069	967
सीओडी (म.ग्रा./ली.)	27	45	52	37
बीओडी (म.ग्रा./ली.)	4.9	12	15	11
क्लोराइड (म.ग्रा./ली.)	53	155	157	132
पीओ ₄ -पी (म.ग्रा./ली.)	बीडीएल	0.4	0.4	0.8
अनियोनिक सर्फैक्टेंट- एमबीएस (म.ग्रा./ली.)	बीडीएल	1.28	1.23	1.37
अमोनिकल नाइट्रोजन- एन (म.ग्रा./ली.)	2.6	4.6	9.7	9.8

कुल कॉ लफोर्म (एमपीएन/100 म.ली.)	13 X10 ²	54X10 ⁵	24 X10 ⁵	14 X10 ⁵
फीकल कॉ लफोर्म (एमपीएन/100 म.ली.)	45	33X10 ⁴	41 X10 ⁴	26 X10 ⁴

यमुना नदी के नमूनों के वश्लेषण परिणामों से पता चलता है क-

- चार निगरानी चार निगरानी कए गए स्थानों पर, वश्लेषण कए गए मापदंड पीएच (7.2 से 7.4), डीओ (शून्य - 8 मलीग्राम/ली.), चालकता (483 से 1070 माईक्रोन/सेमी), सीओडी (27 से 52 मलीग्राम/ली.), बीओडी(4.9 से 15 मलीग्राम/ली.), क्लोराइड(53-157 मलीग्राम/ली.), पीओ₄-पी (बीडीएल-0.8 मलीग्राम/ली.), एनीओनिक सर्फैक्टेंट-एमबीएस (बीडीएल-1.37 मलीग्राम/ली.) (मेथलीन ब्लू स क्रय पदार्थ) और अमोनिकल नाइट्रोजन (2.6 से 9.8 मलीग्राम/ली.) के क्रम में थे।
- निजामुद्दीन पुल पर बीओडी (15 मलीग्राम/ली.), सीओडी (52 मलीग्राम/ली) और क्लोराइड (157 मलीग्राम/ली.) की अधिकतम संकेंद्रण देखी गई।
- यमुना नदी में ओखला बैराज तक घुली ऑक्सीजन का स्तर घट रहा था जिसका कारण कार्बनिक पदार्थों से डीओ की मांग या यमुना जल में अनुपचारित वाहितमल या अन्य बहिःस्राव का वसर्जन था। तथा प, ओखला बैराज अनुप्रवाह में डीओ स्तर में सुधार देखा गया था और यह स्थान पर्यावरण नियम (संरक्षण) नियम, 1986 के अंतर्गत अधसूचत स्नान मानदंड के अंतर्गत निर्धारित मापदंड डीओ का अनुपालन कर रहा था।
- अनियोनिक सर्फैक्टेंट-एमबीएस संकेंद्रण आईटीओ पर 1.28 मलीग्राम/ली., निजामुद्दीन पुल पर 1.23 मलीग्राम/ली. और ओखला बैराज में 1.37 मलीग्राम/ली. के रूप में पाया गया था। आईटीओ और ओखला बैराज के अनुप्रवाह की दिशा के बीच फॉस्फेट और एनीओनिक सर्फैक्टेंट्स की उपस्थिति क्रमशः 0.4 से 0.8 मलीग्राम/ली. और 1.23 से 1.37 मलीग्राम/ली. के क्रम में पाई गई।
- जैवक मापदंड के लए पानी की गुणवत्ता अर्थात एफसी को इस रूप में पाया गया था 45 एमपीएन/100 एमएल वजीराबाद उपरिप्रवाह पर, 33x104 एमपीएन/100 एमएल आईटीओ पर, 41x104 एमपीएन/100 एमएल निजामुद्दीन पर और 26x104 एमपीएन/100 एमएल ओखला अनुप्रवाह पर। निजामुद्दीन पुल पर अधिकतम एफसी पाई गई जो स्पष्ट रूप से यमुना नदी के दिल्ली खंड के भीतर अनुपचारित वाहितमल के वसर्जन को दर्शाता है।

को वड-19 संक्रमण से बचाव के लए स्वच्छता बनाए रखने के लए जनता की जागरूकता के कारण व्यक्ति द्वारा सुरक्षा उपाय के रूप में डटर्जेंट या फो मंग घटकों की खपत में वृद्ध हुई है। साथ ही, कपड़े धोने के उद्देश्य से वाणज्यिक गति व ध (ड्राई क्लीनर) के अतिरिक्त आम जनता द्वारा डटर्जेंट की खपत में तेज वृद्ध हुई है।

वश्लेषण के परिणामों के आधार पर, यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है क वजीराबाद अनुप्रवाह और ओखला बैराज अनुप्रवाह के बीच तीन निगरानी स्थानों पर सर्फैक्टेंट और फॉस्फेट की उपस्थिति देखी गई थी जो अनुपचारित वाहितमल या आंशक रूप से उपचारित वाहितमल या कपड़े धोने वाले रसायनों वाले औद्योगिक बहिःस्राव के वसर्जन को इंगत करता है। इसके अतिरिक्त, ओखला बैराज से अचानक पानी गरने के कारण, अपशष्ट जल में या नदी के तल पर वद्यमान आपंक में मौजूद सर्फैक्टेंट और फो मंग घटक में हलचल उत्पन्न हो जाती है और विशेष रूप से ओखला बैराज में झाग के ढेर बन जाते हैं।

दिल्ली के खंड से उत्पन्न पूरे वाहितमल को उचित उपचार की आवश्यकता है। घरों या व्यावसायिक प्रतिष्ठानों से निकलने वाले सर्फेक्टेंट वाहितमल उपचार संयंत्रों में बायो डग्रेडेड हो जाते हैं और इस तरह यमुना नदी में झाग का निर्माण नगण्य होगा।

5.3.2 यमुना नदी में अमोनिकल नाइट्रोजन की निगरानी

यमुना नदी (वजीराबाद तक) में प्रदूषण के मुख्य स्रोतों में शामिल हैं (i) हरियाणा में स्थित कस्बों यमुनानगर, जगाधरी, करनाल, पानीपत और सोनीपत मुख्य रूप से धनुरिया एस्केप (यमुना नगर से) से अनुपचारित/आंशिक रूप से उपचारित वाहितमल का वसर्जन, नाला संख्या 2 (पानीपत से), नाला संख्या 6 (सोनीपत से) और नाला संख्या 8 (ताजा पानी) के साथ-साथ पल्ला और वजीराबाद के बीच बिना सीवर वाली कालोनियों से वसर्जन (ii) पानीपत, सोनीपत, कुंडली और करनाल औद्योगिक क्षेत्र में स्थित औद्योगिक इकाइयों-उर्वरक, रंगाई और चर्मशोधन इकाइयों से वसर्जन, (iii) एसटीपी और सीईटीपी वसर्जन मानदंडों का पालन नहीं कर रहे हैं, (iv) मानसून के दौरान की अवधि को छोड़कर नदी में कम प्रवाह और नदी के तल में जमा गाद।

यमुना नदी में 7 स्थानों पर और वजीराबाद के उपरिप्रवाह में प्रमुख नालों की 7-13 जनवरी, 2021 के दौरान किए गए पानी की गुणवत्ता के आकलन से पता चलता है कि (i) धनुरिया एस्केप, पानीपत नाला और नाला संख्या 2 जो 13-42 मलीग्राम/ली. के बीच अमोनिकल नाइट्रोजन (एनएच3-एन) का वसर्जन कर रहा है, (ii) धनुरिया एस्केप और पानीपत नाले का प्रभाव सोनीपत में मल जाता है, (iii) अमोनिकल नाइट्रोजन (एनएच3-एन) पल्ला में 1.5 मलीग्राम/ली. से बढ़कर पुनः वजीराबाद में 3.0 मलीग्राम/ली. हो जाता है।

के.प्र.नि. बोर्ड द्वारा एनडब्ल्यूएमपी के अंतर्गत यमुना नदी के जल गुणवत्ता आकलन से यह भी पता चलता है कि (i) यमुना नदी में वजीराबाद बैराज में अमोनिया के स्तर में कभी-कभी वृद्धि होती है, विशेष रूप से जनवरी, अक्टूबर और दिसंबर के महीनों में; (ii) जल उपचार संयंत्र (डब्ल्यूटीपी) वजीराबाद बैराज से तब पानी लेना बंद कर देते हैं, जब अमोनिकल नाइट्रोजन 0.9 मलीग्राम/ली. के स्तर तक पहुंच जाता है क्योंकि दिल्ली जल बोर्ड द्वारा संचालित जल उपचार संयंत्रों में ऐसे कच्चे पानी को संभालने के लिए पर्याप्त प्रारंभिक उपचार सुवधाएं नहीं हैं।

2018 के ओएस सं.673 और 2012 के ओएस सं.6 में माननीय एनजीटी द्वारा पारित निर्देशों के अनुपालन में वर्तमान में हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश यमुना नदी के कार्याकल्प के लिए के.प्र.नि. बोर्ड टास्क टीम द्वारा अनुमोदित कार्य योजनाओं को लागू कर रहे हैं। यमुना नदी में अमोनिकल नाइट्रोजन के मुद्दे को हल करने के लिए हरियाणा और दिल्ली दोनों राज्यों द्वारा अल्पकालक और दीर्घकालक उपाय करने की आवश्यकता है।

5.4 राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण

केंद्र सरकार ने पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम (ईपीए) 1986 के अंतर्गत, केंद्र और राज्य सरकारों के एक सहयोगी संस्थान के रूप में 20 फरवरी, 2009 की राजपत्र अधिसूचना के अंतर्गत "राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण" (एनजीआरबीए) की स्थापना गंगा नदी के प्रदूषण को कम करने के लिए की है। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन (एनएमसीजी) को 12 अगस्त, 2011 को सोसायटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के अंतर्गत एक सोसायटी के रूप में

पंजीकृत किया गया था। इसने राष्ट्रीय गंगा नदी बे सन प्रा धकरण (एनजीआरबीए) की कार्यान्वयन शाखा के रूप में कार्य किया, जिसे ईपीए, 1986 के प्रावधानों के अंतर्गत गठित किया गया था।

इसके अतिरिक्त, एनजीआरबीए को सतंबर, 2014 में पुनर्गठित किया गया है और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत अधिसूचना सं. एस.ओ. 3187(ई) दिनांक 7 अक्टूबर, 2016 के द्वारा राष्ट्रीय गंगा नदी परिषद (कायाकल्प, संरक्षण और प्रबंधन) (एनसीआरजी के रूप में संदर्भित) के गठन के परिणामस्वरूप, इसे पुनः 7 अक्टूबर, 2016 से भंग कर दिया गया है। नमाम गंगे कार्यक्रम (एनजीपी) के अंतर्गत तीन परियोजनाएं चलाई जा रही हैं, जिनका ववरण ता लका 5.9 में दिया गया है।

ता लका 5.9

एनजीआरबीए के अंतर्गत परियोजनाओं का ब्यौरा

क्र.सं.	परियोजना	निधीयन एकक	परियोजना की अवध	कुल बजट (करोड़ रुपये)
1	गंगा नदी पर प्रदूषण का सूचीकरण, आकलन और निगरानी (पीआईएएस)	पर्या.वन और जलवायु परि. मंत्रालय	5 वर्ष	34.77
			3 माह	शून्य
		जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय	1 वर्ष (संशोधित)	3.8
			3 माह	शून्य
		रा.स्व. गंगा मशन, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय	3 वर्ष (29.09.2017-28.09.2020)	83.25
			6 माह (25 मार्च 2021 तक)	
	रा.स्व. गंगा, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण वभाग, जल शक्ति मंत्रालय	1 वर्ष (25 मार्च 2021 तक)		
पीआईएएस (संशोधित)	03 वर्ष के लिए प्रस्तावित	-		
2	चरण I- गंगा नदी के लिए जल गुणवत्ता निगरानी (डब्ल्यूक्यूएम) प्रणाली	वश्व बैंक (एनएमबीजी के माध्यम से)	7 वर्ष (19.06.2013-18.06.2020)	94.45

	डब्ल्यूक्यूएम चरण-II		6 वर्ष (20.06.2020- 19.06.2026)	126.17
3	पर्यावरण नियामकों का सुदृढीकरण (एसईआर)	वश्व बैंक (एनएमसीजी के माध्यम से)	8 वर्ष (19.06.2013- 18.06.2021)	69.26
	एसईआर (संशोधित)		05 वर्ष के लए प्रस्तावत	-

5.4.1 गंगा नदी पर प्रदूषण का सूचीकरण, आकलन और निगरानी (पीआईएस)

"प्रदूषण, सूचीकरण, आकलन और गंगा नदी पर निगरानी (पीआईएस)" परियोजना को पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा मंजूरी दी गई थी और वर्ष 2011 के दौरान ₹34.77 करोड़ रुपये की लागत से 5 वर्षों के लए स्वीकृत किया गया था। इसके अतिरिक्त, गंगा नदी पर प्रदूषण, सूचीकरण, आकलन और निगरानी (पीआईएस) परियोजना को एक वर्ष के लए 28.09.2017 तक बढ़ा दिया गया था। परियोजना पूरी हो गई थी और पूर्णता रिपोर्ट एनएमसीजी को प्रस्तुत की गई थी। हाल ही में, "प्रदूषण सूचीकरण, आकलन और गंगा नदी पर निगरानी (पीआईएस)" परियोजना को एनएमसीजी द्वारा मार्च, 2022 तक यमुना बे सन में जीपीआई के निरीक्षण के लए अतिरिक्त लागत के साथ एक वर्ष के लए बढ़ा दिया गया था।

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय (एमओडब्लूआर, आरडी एंड जीआर) द्वारा चार वर्षों के लए नमाम गंगे के अंतर्गत गंगा नदी पर प्रदूषण, सूचीकरण, आकलन और निगरानी नामक एक नई परियोजना को वर्ष 2017 के दौरान ₹42.9 करोड़ रुपये की लागत से मंजूरी दी गई थी।

इन परियोजनाओं के अंतर्गत, गंगा नदी के उद्गम से लेकर संगम तक बंगाल की खाड़ी तक पानी की गुणवत्ता की निगरानी, निगरानी के अंतर्गत व भन्न गति व धर्यों की गई हैं जैसे क सकल प्रदूषणकारी उद्योग (जीपीआई) का गहन निरीक्षण, वाहितमल उपचार संयंत्र (एसटीपी) की निगरानी, सामान्य बहिःस्राव उपचार संयंत्र (सीईटीपी), सीईटीपी/एसटीपी और गंगा नदी और उसकी सहायक नदियों जैसे बाणगंगा, रामगंगा, काली पूर्व नदी, पांडु नदी और हिंडन नदी की सहायक नदियों (हिंडन नदी, काली-पश्चिम और कृष्णा नदी) में करने वाले सीईटीपी/एसटीपी के प्रभाव का आकलन करने के लए भूजल निगरानी।

परियोजना का उद्देश्य प्रदूषण स्रोतों (बिंदु और गैर-बिंदु दोनों) को सूचीबद्ध करना है और गंगा नदी में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से बाणगंगा, रामगंगा, काली-पूर्व और पांडु के माध्यम से प्रदूषण भार का आकलन करना है।

अप्रैल, 2020 - मार्च, 2021 के दौरान परियोजना के अंतर्गत की गई गति व धर्यों को ता लका 5.8 में दिया गया है।

ता लका 5.10

वर्ष 2020-21 के दौरान पीआईएस परियोजना के अंतर्गत निरीक्षण/निगरानी

क्र.सं.	गति व धर्यां	निरीक्षणों/निगरानी की संख्या	निगरानी की आवृत्ति
1.	सकल प्रदूषणकारी उद्योगों (जीपीआई) के अनुपालन का सत्यापन (के.प्र.नि.बो. द्वारा)	26*	वा र्षक
2.	सकल प्रदूषणकारी उद्योगों (जीपीआई) के अनुपालन का सत्यापन (तृतीय पक्ष तकनीकी संस्थानों के माध्यम से)	2357 (यमुना सहित गंगा बे सन) + 258# (हिंडन सब-बे सन)	वा र्षक
3.	सामान्य बहिःस्राव उपचार संयंत्र (सीईटीपी) और सामूहिक क्रोम रिक्वरी इकाई (सीसीआरयू) का पर्याप्तता आकलन	20##	त्रैमा सक
4.	वाहितमल उपचार संयंत्र (एसटीपी) का प्रदर्शन मूल्यांकन	256	त्रैमा सक
5.	गंगा नदी में गरने वाले प्रमुख नालों का आव धक प्रदूषण आकलन	401	अर्धवा र्षक
<p>नोट:</p> <p>* एनजीटी के निर्देश के अंतर्गत सभी जीपीआई का निरीक्षण कया गया।</p> <p># वर्ष 2019 में हिंडन सब-बे सन में सूचीबद्ध 383 जीपीआई में से वर्ष 2020-21 के दौरान 258 जीपीआई थे जब क शेष का पहले ही 2019-20 के दौरान निरीक्षण कया जा चुका था।</p> <p>## को वड-19 के कारण देशव्यापी लॉकडाउन के कारण, वर्ष 2020-21 की पहली और दूसरी तिमाही के दौरान कुछ निरीक्षण/निगरानी नहीं की जा सकी।</p>			

उपर्युक्त गति व धर्यों का ववरणवार निरीक्षण/निगरानी बिंदुवार नीचे प्रस्तुत कया गया है:

5.4.2 सकल प्रदूषणकारी उद्योगों का (जीपीआई) का अनुपालन सत्यापन

वर्ष 2017 से तृतीय पक्ष तकनीकी संस्थानों (टीपीआई) के माध्यम से जीपीआई का निरीक्षण प्रति वर्ष कया जा रहा है। गंगा नदी के गुजरने वाले मुख्य राज्यों, यमुना नदी और उसकी सहायक नदियों और हिंडन सब-बे सन में कार्यरत जीपीआई की सूची ता लका 5.11 में प्रस्तुत की गई है।

ता लका 5.11

गंगा बे सन, यमुना और हिंडन सब-बे सन नदी में जीपीआई की सूची

जीपीआई की संख्या उन मुख्य राज्यों में जहां से गंगा नदी गुजरती है	यमुना और उसकी सहायक नदियों में जीपीआई की संख्या	हिंडन सब-बे सन में जीपीआई की संख्या	जीपीआई की कुल संख्या (गंगा, यमुना और हिंडन)
1,080	1,277	383	2,740

जीपीआई की राज्य और क्षेत्रवार सू चयां ता लका 5.12, 5.13 और 5.14 में संलग्न हैं।

ता लका 5.12

वर्ष 2020 के दौरान गंगा नदी की मुख्य धारा में 1,080 जीपीआई की राज्य और क्षेत्रवार सूची

क्षेत्र	बिहार	झारखंड	उत्तर प्रदेश	उत्तराखंड	पश्चिम बंगाल	सकल योग
रासायनिक	0	1	10	2	2	15
आसवनी	9	1	55	3	3	71
उर्वरक	0	0	6	0	1	7
खाद्य और पेय पदार्थ	16	1	46	5	8	76
तेल और रिफाइनरी	1	0	0	0	1	2
अन्य	1	2	28	7	10	48
पीडकनाशी	0	0	2	0	1	3
शैलरसायन	0	0	0	0	3	3
दवाइयों	0	0	2	1	1	4
पल्प और कागज	6	0	46	29	19	100
पशुवधशाला	4	0	23	0	0	27
चीनी	11	0	107	5	2	125
चमड़े का कारखाना	2	0	400	0	0	402
कपड़ा	3	0	188	3	3	197
कुल योग	53	5	913	55	54	1080

ता लका 5.13

वर्ष 2020 के दौरान यमुना नदी बे सन में 1277 जीपीआई की (राज्य और क्षेत्रवार) सूची

क्षेत्र	दिल्ली	हरियाणा	उत्तर प्रदेश	उत्तराखंड	कुल योग
रासायनिक	0	5	0	0	5
आसवनी	0	12	3	0	15
उर्वरक	0	1	0	0	1
खाद्य और पेय पदार्थ	3	51	30	0	84
तेल और रिफाइनरी		1	1	0	2
पीडकनाशी	0	0	0	1	1
शैलरसायन	0	1	1	0	2
दवाइयों	0	7		0	7
पल्प और कागज	0	5	10	0	15
पशुवधशाला	2	0	20	0	22
चीनी	0	6	5	0	11
चमड़े का कारखाना	1	18	7	0	26
कपड़ा	50	319	85	0	454
अन्य	211	406	15	0	632
कुल योग	267	832	177	1	1277

ता लका 5.14

वर्ष 2020 के दौरान हिंडन नदी सब-बे सन में 383 जीपीआई की (राज्य और क्षेत्रवार) सूची

क्षेत्र	उत्तर प्रदेश	उत्तराखंड	कुल
आसवनी	8	0	8
खाद्य, डेयरी और पेय पदार्थ	6	2	8
दवाइयों	1	0	1
पल्प और कागज	47	5	52
पशुवधशाला	13	0	13
चीनी	13	2	15

चमड़े का कारखाना	8	0	8
कपड़ा	274	0	274
अन्य	4	0	4
योग	374	09	383

5.4.3 तीसरे पक्ष के संस्थान के माध्यम से सकल प्रदूषणकारी उद्योगों (जीपीआई) का अनुपालन

अक्टूबर, 2020 – मार्च 2021 के दौरान 18 तृतीय पक्ष संस्थानों (टीपीआई) द्वारा जीपीआई के चौथे दौर के निरीक्षण कए गए और सात संबंधित प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों/प्रदूषण नियंत्रण समितियों (उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, झारखंड, बिहार और पश्चिम बंगाल) द्वारा कार्रवाई की गई। निरीक्षणों के दौरान, यह देखा गया कि 2,740 जीपीआई (गंगा + यमुना + हिंडन) में से, स्थिति निम्नानुसार है:

- 1515 जीपीआई अनुपालनकारी पाए गए।
- 595 जीपीआई गैर-अनुपालनकारी पाए गए।
- 409 जीपीआई अस्थायी रूप से बंद पाए गए।
- 221 जीपीआई स्थायी रूप से बंद पाए गए।
- गैर-अनुपालनकारी 595 जीपीआई में से, संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/प्रदूषण नियंत्रण समिति ने 36 जीपीआई को बंद करने के निर्देश जारी कए और 559 जीपीआई को कारण बताओ नोटिस जारी कया। जीपीआई (हिंडन सब-बे सन सहित गंगा नदी और यमुना बे सन) पर की गई कार्रवाई की राज्य-वार स्थिति ता लका 5.15 में दर्शाई गई है।

ता लका 5.15 जीपीआई (गंगा बे सन, यमुना बे सन और हिंडन सब-बे सन) के लए राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों द्वारा की गई कार्रवाई की स्थिति

क्र. सं.	राज्य	जीपीआई की कुल संख्या	जीपीआई जिन पर कार्रवाई पूरी हुई	अनुपालनकारी जीपीआई	अस्थायी बंद जीपीआई	स्थायी बंद जीपीआई	गैर-अनुपालनकारी जीपीआई	
							कारण बताओ नोटिस जारी कया गया	बंद करने का निर्देश जारी
1	बिहार	53	53	42	5	0	6	0
2	उत्तर प्रदेश	1464	1464	856	261	51	262	34
3	उत्तराखंड	65	65	54	6	1	4	0

4	पश्चिम बंगाल	54	54	31	8	0	15	0
5	झारखंड	5	5	4	0	0	1	0
6	हरियाणा	832	832	391	104	117	219	1
7	दिल्ली	267	267	137	25	52	52	1
कुल		2740	2740	1515	409	221	559	36

5.4.4 समूहिक बहिःसाव उपचार संयंत्रों (सीईटीपी.) की पर्याप्तता मूल्यांकन की स्थिति:

गंगा नदी या उसकी सहायक नदियों के तट पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से गंगा नदी के पानी की गुणवत्ता को प्रभावित करने वाले 8 समूहिक बहिःसाव उपचार संयंत्रों (सीईटीपी) को सूचीबद्ध किया गया है। इन सीईटीपी की सूची नीचे दी गई है:

1. सीईटीपी चमड़ा प्रौद्योगिकी पार्क, बंथर, उन्नाव, उत्तर प्रदेश
2. यूपीएसआईडीसी औद्योगिक क्षेत्र में सीईटीपी, साइट- II, उन्नाव, उत्तर प्रदेश।
3. सीईटीपी जाजमऊ, कानपुर, उत्तर प्रदेश में।
4. सीईटीपी रूमा औद्योगिक क्षेत्र, कानपुर, उत्तर प्रदेश में।
5. सीईटीपी टेक्सटाइल सेंटर, पलखुवा, उत्तर प्रदेश।
6. सीईटीपी सतारगंज, उत्तराखंड
7. आईई सडकुल सीईटीपी, पंत नगर, उत्तराखंड
8. सीईटीपी सडकुल, हरिद्वार, उत्तराखंड

अप्रैल, 2020 - मार्च, 2021 के दौरान 08 सीईटीपी में निगरानी की गई है। 08 सीईटीपी में से, 01 को अनुपालनकारी और 07 को गैर-अनुपालनकारी पाया गया। सीईटीपी के निरीक्षण की समग्र स्थिति तालिका 5.16 में उल्लिखित है।

तालिका 5.16

गंगा नदी की मुख्य धारा में सीईटीपी की अद्यतन स्थिति (2020-21)

सीईटीपी नाम/जिला	को-ओ ईनेट्स डग्री (अक्षांश/देशांतर)	स्थापना क्षमता (एमएलडी)	उपयोग की गई क्षमता (एमएलडी)	इकाइयों का प्रकार (परिचालन सदस्य इकाइयां)*	प्रौद्योगिकी की	अनुपालन की स्थिति/ निगरानी की तिथि
------------------	-------------------------------------	-------------------------	-----------------------------	--	-----------------	------------------------------------

सीईटीपी जाजमऊ, कानपुर, उत्तर प्रदेश	26.417256, 80.421362	36 (09 औद्योगिक + 27 वाहितमल)	34.35	चर्म परिष्कार (345)	यूएसबी	नवीनतम निरीक्षण:12.03.2021 अनुपालन की स्थिति: टीएसएस (मानक -100 मलीग्राम/ली की तुलना में 135 मलीग्राम/ली), बीओडी (मानक - 30 मलीग्राम/ली की तुलना में 160 मलीग्राम/ली), सीओडी (मानक-250 मलीग्राम/ली की तुलना में 672 मलीग्राम/ली) और सल्फाइड (मानक-2 मलीग्राम/ली की तुलना में 37.76 मलीग्राम/ली) के संदर्भ में गैर- अनुपालन।
सीईटीपी, साइट- II, उन्नाव उन्नाव शहर, उत्तर प्रदेश	26.559445, 80.513877	2.15	0.56- 0.998 एमएलडी (फरवरी, 2021) और 0.64- 0.997 (मार्च, 2021)	चर्म परिष्कार (15)	वस्तारित वातन के साथ एसपी	नवीनतम निरीक्षण:15.03.2021 अनुपालन की स्थिति: सल्फाइड (मानक -2 मलीग्राम/ली की तुलना में 11.52 मलीग्राम/ली) और तेल एवं चकनाई (मानक -10 मलीग्राम/ली की तुलना में 18.5 मलीग्राम/ली) के संदर्भ में गैर- अनुपालन।
सीईटीपी, बंधर, उन्नाव, उत्तर प्रदेश	26.483555, 80.460844	4.5	22.06- 30.67 (01.03.202 1 से 14.03.202 1)	चर्म परिष्कार (27)	वस्तारित वातन के साथ एसपी	नवीनतम निरीक्षण:12.03.2021 अनुपालन की स्थिति: क्लोराइड (मानक - 1000 मलीग्राम/ली की तुलना में 3200 मलीग्राम/ली), सल्फाइड (मानक-2 मलीग्राम/ली की तुलना में 30.08 मलीग्राम/ली), सीओडी (मानक - 250 मलीग्राम/ली की तुलना में 560 मलीग्राम/ली) और बीओडी (मानक-140 मलीग्राम/ली की तुलना में 950 मलीग्राम/ली) के संदर्भ में गैर- अनुपालन।
सीईटीपी, पंतनगर (सडकुल) यूएस नगर, उत्तराखंड	28.994201, 79.412901	4.0	1.3-2.1	म श्रत प्रकार के उद्योग (300)	एसपी	नवीनतम निरीक्षण:23.03.2021 अनुपालन की स्थिति: अनुपालन हो रहा है।
सीईटीपी, सडकुल, हरिद्वार, उत्तराखंड	29.947136, 78.080008	5.2	4.5	म श्रत प्रकार के उद्योग (511)	एमबीबीआ र और वस्तारित वातन प्रणाली	नवीनतम निरीक्षण:17.03.2021 अनुपालन की स्थिति: बीओडी (मानक - 30 मलीग्राम/ली की तुलना में 64 मलीग्राम/ली) के संदर्भ में गैर-अनुपालन।

सीईटीपी, सतारगंज, उत्तराखंड	29.026727, 79.693992	3.8 (सहमति के अनुसार)	1.3-1.9	म श्रत प्रकार के उद्योग (कृ ष आधारित और इंजीनियरिंग) (67)	एएसपी	नवीनतम निरीक्षण:22.03.2021 अनुपालन की स्थिति: अमोनिकल नाइट्रोजन-66 मलीग्राम/लीटर (मानक - 50 मलीग्राम/लीटर की तुलना में) और साइनाइड- 0.28एमजी/ली (मानक - 0.2 मलीग्राम/लीटर की तुलना में) के संदर्भ में गैर-अनुपालन।
सीईटीपी, रूमा कानपुर, उत्तर प्रदेश	26.366985, 80.425640	1.55	0.489 (फरवरी, 2021)	कपड़ा (11 परिचालन)	एएसपी	नवीनतम निरीक्षण:04.03.2021 अनुपालन की स्थिति: बीओडी (मानक - 30 मलीग्राम/ली की तुलना में 88 मलीग्राम/ली), सीओडी (मानक - 250 मलीग्राम/ली की तुलना में 352 मलीग्राम/ली), एफडीएस (मानक - 2100 मलीग्राम/ली की तुलना में 5388 मलीग्राम/ली) और सल्फाइड (मानक - 2 मलीग्राम/ली की तुलना में 124 मलीग्राम/ली) के संदर्भ में गैर-अनुपालन।
सीईटीपी, पलखुवा हापुड, उत्तर प्रदेश	28.700674, 77.672084	2.1	1	कपड़ा (30 परिचालन)	एएसपी	नवीनतम निरीक्षण:22.03.2021 अनुपालन की स्थिति: टीएसएस- 108 मलीग्राम/ली (मानक-100 मलीग्राम/ली की तुलना में), बीओडी-107 मलीग्राम/ली (मानक- 30 मलीग्राम/ली की तुलना में), सीओडी 382 मलीग्राम/ली (मानक- 250 मलीग्राम/ली की तुलना में), एफडीएस-2,616 मलीग्राम/ली (मानक-2,100 मलीग्राम/ली की तुलना में), नाइट्रेट-19.3 मलीग्राम/ली (मानक-10 मलीग्राम/लीटर की तुलना में), अमोनियाकल नाइट्रोजन-95 मलीग्राम/लीटर (मानक-50 मलीग्राम/ली की तुलना में), और लौह-3.63 मलीग्राम/ली (मानक-3 मलीग्राम/ली की तुलना में) के संदर्भ में गैर-अनुपालन।

टिप्पणी : यूएसएबी - अप-फ्लो एनारोबिक स्लज ब्लैंकेट रिएक्टर
 एसपी - स क्रय गाद प्रोसेस
 एमबीबीआर - मू वंग बेड बायो- फ्लम रिएक्टर
 *परिचालन संख्या भन्न हो सकती है। गैर-अनुपालनकारी सीईटीपी पर कार्रवाई प्र क्रयाधीन है।

5.4.5. वाहितमल उपचार संयंत्रों (एसटीपी) के निष्पादन की मूल्यांकन की स्थिति

120 वाहितमल उपचार संयंत्रों (एसटीपी) को सूचीबद्ध किया गया है जो गंगा नदी या उसकी सहायक नदियों के तट पर स्थित हैं जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से गंगा नदी के पानी की गुणवत्ता को प्रभावित करते हैं।

वर्ष 2020-21 के दौरान कुल 256 निगरानी की गई। निगरानी किए गए एसटीपी की नवीनतम स्थिति का लका 5.17 और 5.18 में दी गई है।

ता लका 5.17

गंगा के सामने वाले शहरों में राज्य-वार एसटीपी की स्थिति और वाहितमल उत्पादन

राज्य	गंगा के सामने वाले शहरों में अनुमानित वाहितमल उत्पादन (एमएलडी)	शा मल किए गए शहर	निगरानी किए गए कुल स्थापित एसटीपी	निगरानी किए गए एसटीपी की स्थापित क्षमता (एमएलडी)	प्रचालन क्षमता (एमएलडी)	उपयोग की गई क्षमता (एमएलडी)	गैर-परिचालन क्षमता (एमएलडी)
उत्तराखंड	239.8	16	49	344.64	336.32	226.62	8.3
उत्तर प्रदेश	1,255.2	10	30	1,137.76	1,080.1	814.67	57.7
बिहार	480.0	01	05	205	160	64	45
झारखंड	12.0	01	02	12	12	07	00
पश्चिम बंगाल	1571.5	22	34	535.67	226.99	185.22	308.68
कुल	3,558.5	50	120	2,235.07	1,815.41	1,297.51	419.68

ता लका 5.18

गंगा नदी के सामने वाले शहरों में एसटीपी की राज्य-वार अनुपालन की स्थिति

राज्य	कुल एसटीपी की निगरानी (क=ख+ग)	प्रचालन में (ख=घ+ड.)	गैर-प्रचालन में (ग)	अनुपालनकारी (घ)	गैर-अनुपालनकारी (ड.)
उत्तराखंड	49	44	05	08	36

उत्तर प्रदेश	30	27	03	01	26
बिहार	05	04	01	00	04
झारखंड	02	02	00	00	02
पश्चिम बंगाल	34	14	20	00	14
कुल	120	91	29	09	82

नोट: अद्यतन स्थिति प्राप्त नवीनतम रिपोर्टों के आधार पर है। अनुपालन की स्थिति एनजीटी के दिनांक 30/04/2019 के आदेश के अनुसार नए मानकों के आधार पर है। (पीएच-5.5 से 9.0; बीओडी-10 मलीग्राम/ली; टीएसएस-20 मलीग्राम/ली; सीओडी-50 मलीग्राम/ली; कुल नाइट्रोजन-10 मलीग्राम/ली; कुल फास्फोरस (तालाबों और झीलों में वसर्जन के लए)-01 मलीग्राम/ली, फिकल कॉलफोर्म-वांछनीय सीमा 100 एमपीएन/100 एमएल, अनुमेय सीमा 230 एमपीएन/100 म.ली.

5.4.6 वाहितमल उपचार संयंत्रों की प्रमुख समुक्तियां

- वर्तमान में झारखंड के राजमहल शहर में 3.5 एमएलडी डजाइन क्षमता वाला 01 एसटीपी निर्माणाधीन है। साहिबगंज कस्बे में कुल 12 एमएलडी की क्षमता वाले दो एसटीपी शुरू कए गए हैं और प्रचालन में हैं।
- यथा प्रतिवेदित, बिहार में 52 एसटीपी स्थापत कए जाने हैं, जिसमें से कुल 160 एमएलडी की डजाइन क्षमता वाले 04 एसटीपी पटना, बिहार में प्रचालन में होने की सूचना मली है, एक एसटीपी प्रचालन में नहीं है और इसे ध्वस्त/बंद कया जाना है, जब क 47 एसटीपी बिहार में निर्माण/निवदाधीन/प्रस्ताव के व भन्न चरणों में हैं।
- पश्चिम बंगाल से सबसे अधिक संख्या में गैर-प्रचालन एसटीपी प्रतिवेदित कए गए हैं, जहां 535.67 एमएलडी की कुल स्थापत क्षमता वाले 34 एसटीपी में से, 308.7 एमएलडी की उपचार क्षमता वाले 20 एसटीपी गैर-प्रचालन पाए गए हैं।
- नमा म गंगे कार्यक्रम के अंतर्गत बिहार और पश्चिम बंगाल में अधिकांश एसटीपी स्तरोन्नयन या निर्माणाधीन हैं।
- एनएमसीजी द्वारा नमा म गंगे कार्यक्रम के अंतर्गत संबंधित राज्यों में राज्य कार्यक्रम प्रबंधन समूह (एसपीएमजी) और स्थानीय प्राधिकारियों के समन्वय से एसटीपी के पुनरुद्धार/निर्माण कार्य कया जाता है।
- एसटीपी की उपयोग की गई कुल क्षमता लगभग 58 प्रतिशत अर्थात 1,297.51 एमएलडी बताई

गई है, जिसका उपयोग 2235.07 एमएलडी की स्था पत क्षमता के स्थान पर कया जा रहा है। हाल के निरीक्षण के दौरान, 1815.4 एमएलडी उपचार क्षमता वाले 91 प्रचालन एसटीपी के संदर्भ में उपयोग की गई क्षमता लगभग 71% प्रतिवेदित की गई गई है।

- तथा प, वास्तविक उपयोग की गई क्षमता भन्न हो सकती है क्योंकि कई एसटीपी की उपयोग की गई क्षमता लॉगबुक के गैर-रखरखाव या इनलेट/आउटलेट पर फ्लो मीटर के न होने के कारण उपलब्ध नहीं है। सभी स्था पत क्षमताओं की इष्टतम उपयोग क्षमता एसटीपी द्वारा कवर कए गए क्षेत्र में घरेलू वाहितमल लाइन के 100 प्रतिशत ल क्षत कनेक्शन के साथ-साथ एसटीपी तक पहुंचने के लए वाहितमल की उ चत पं पंग के बाद ही प्राप्त की जा सकती है।
- माननीय राष्ट्रीय हरित अधकरण ने ओ.ए. सं. 1069/2018 के मामले में अपने आदेश दिनांक 21.12.2018 में वाहितमल उपचार संयंत्रों के लए अधसू चत निस्सरण पर रोक लगाने का आदेश दिया और निर्देश दिया क पूर्व-संशोधत मानक लागू रहेंगे और माननीय राष्ट्रीय हरित अधकरण के 30 अप्रैल, 2019 के आदेश के माध्यम से विशेषज्ञ समिति द्वारा अनुशंसत मानकों को इस संशोधन के साथ स्वीकार कया गया है क बृहत् और मेट्रोपॉलिटन शहरों के लए अनुशंसत मानक देश के शेष भागों पर भी लागू होंगे। यह न केवल नए एसटीपी तक प्रतिबंधत रहेगा वरन् वद्यमान/निर्माणाधीन एसटीपी जहां बृहत् और मेट्रोपॉलिटन शहरों के लए फेकल कॉलफोर्म के लए प्रस्तावत मानक 100 एमपीएन/एमएल से कम है, के लए भी बिना कसी वलंब के लागू कया जाएगा।
- एनजीटी के आदेश दिनांक 30.04.2019 के अनुसार अधसू चत नए मानकों के आधार पर, 91 प्रचालन वाले एसटीपी में से, 82 एसटीपी गैर-अनुपालनकारी गए 09 एसटीपी अनुपालन कर रहे थे।

5.5 वर्ष 2020 के दौरान गंगा बे सन के लए की गई कार्रवाई

वाहितमल उपचार संयंत्र की व्यापक निगरानी करने और निगरानी की आवृत्ति बढ़ाने के अतिरिक्त, के.प्र.नि. बोर्ड ने 5 गंगा राज्यों में नालों से गंगा नदी में सीधे वसर्जन के लए पर्यावरण मुआवजे की सफारिश की है, जिसकी गणना 1 नवंबर, 2019 से 31 जनवरी, 2020 तक की गई थी। जल (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधनियम, 1974 की धारा 18(बी) के अंतर्गत पांच गंगा बे सन राज्यों (उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल) के राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (एसपीसीबी) को निर्देश जारी कए गए थे क कोई प्राधिकारी मानसून के मौसम के दौरान भी प्रदूषत वाहितमल या प्रदूषत बहिःस्राव को सीधे छोटी नहर या जल धारा में बहाने की अनुमति नहीं देगा।

5.5.1 गंगा नदी में करने वाले प्रमुख नालों के प्रदूषण के आकलन की स्थिति

जो नाले गंगा और उसकी सहायक नदियों (बाणगंगा, रामगंगा, पूर्वी काली और पांडु) के मुख्य भाग में सीधे प्रवाहित होते हैं और जिनकी प्रवाह दर ≥ 1 एमएलडी होती है, उन्हें प्राथमिकता वाले नाला माना जाता है। ऐसे कुल 235 नालों की पहचान की गई और 212 नालों को प्राथमिकता वाले नालों के रूप में माना गया। 235 चिह्नित नालों में से, 173 नाले गंगा नदी में और 62 नाले बाणगंगा, रामगंगा, पूर्वी काली और पांडु नदी जैसी सहायक नदियों में थे। जब क 212 प्राथमिकता वाले नालों में से, 154 नाले गंगा नदी में और 58 नाले बाणगंगा, रामगंगा, पूर्वी काली तथा पांडु नदी जैसी सहायक नदियों में वसर्जन करते पाए गए थे।

वर्ष 2020-21 के दौरान, 401 नालों की निगरानी की गई थी। प्रधानमंत्री कार्यालय के निर्देश के अंतर्गत साप्ताहिक आधार पर और माघमेला-2020 कार्यक्रम के दौरान अतिरिक्त निरीक्षण भी किए गए थे।

पीआईएस परियोजना के अंतर्गत वर्ष 2020 में मानसून के पश्चात, गंगोत्री से लेकर बंगाल की खाड़ी तक गंगा नदी और उसकी सहायक नदियों (बाणगंगा, रामगंगा, पूर्वी काली और पांडु) में छोड़े जाने वाले 212 प्राथमिकता वाले नालों की संयुक्त निगरानी की गई है। निगरानी किए गए नालों की स्थिति तालिका 5.19 में उल्लिखित है।

ता लका 5.19

वर्ष 2020-21 में गंगा नदी और उसकी सहायक नदियों में बहाए जाने वाले निगरानी कए नालों की राज्यवार स्थिति

गंगा बे सन राज्य	निगरानी कए गए प्राथ मकता वाले नालों की संख्या	वर्ष 2021 के मानसून से पूर्व	वर्ष 2020 के मानसून पश्चात निगरानी के प्राथ मकता वाले नालों की स्थिति टेप कए गए नाले							
			फलो (एम एलडी)	बीओडी भार (टीपी डी)	टेप कए गए नाले	टेप न कए गए नाले	सूखे नाले	एसटी पी आउट लेट नाला	अंतरिम उपाय अपनाए गए नाले	सुपोषी करण
उत्तराखंड	16	राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के कारण निगरानी नहीं की गई	129.28	0.81	09	02	02	03	-	Nil
उत्तर प्रदेश	60		1445.71	40.34	23	30	01	02	04	Nil
बिहार	19		609.48	9.09	Nil	11	01	Nil	07	Nil
झारखंड	02		1.96	0.42	01	01	Nil	Nil	Nil	Nil
पश्चिम बंगाल	56		6625.95	169.78	03	52	Nil	Nil	01	Nil
कुल-क	153				36	96	04	05	12	Nil
राज्य (सहायक नदियां)										
उत्तराखंड (सुखी और बाणगंगा)	02	देशव्यापी लॉकडाउन के कारण निगरानी नहीं की गई	169.17	0.50	Nil	01	Nil	Nil	Nil	01
उत्तर प्रदेश (रामगंगा)	25		497.37	32.00	01	22	01	Nil	Nil	Nil
उत्तर प्रदेश (पूर्वी काली)	26		1334.16	193.68	Nil	25	01	Nil	Nil	Nil
उत्तर प्रदेश (पांडु)	06		180.07	14.50	01	05	Nil	Nil	Nil	Nil
कुल-ख	59		2180.77	240.68	02	52	02	Nil	Nil	01

कुल योग (क+ख)	212	10993.15	461.12	38	148	6	5	12	0 1
एमएलडी-लाख लीटर प्रति दिन		टीपीडी-टन प्रति दिन							
नोट:									
212 प्राथमिकता वाले नालों के साथ इलाहाबाद में सहायक यमुना में बहने वाले 02 नालों की भी निगरानी की गई थी।									

5.6 पर्यावरण नियामकों को सुदृढ़ करना

वश्व बैंक द्वारा 19 जून, 2013 को ₹69.26 करोड़ रुपये की लागत पर एनजीआरबीए कार्यक्रम में सहायता पहुंचाने हेतु केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की क्षमता में सुधार के लिए "पर्यावरणीय वनियामकों को सुदृढ़ करना" नामक परियोजना आठ वर्षों के लिए स्वीकृत की गई थी। गंगा नदी के जल की गुणवत्ता की निगरानी 97 स्थानों पर पांच राज्यों अर्थात् उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल में, राष्ट्रीय जल गुणवत्ता निगरानी कार्यक्रम (एनडब्ल्यूएमपी) के अंतर्गत कें.प्र.नि.बो. की मानक प्रचालन प्रक्रिया (एसओपी) का पालन करते हुए जल गुणवत्ता मानदंड मानकों के लिए जल (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, 1974 के जनादेश को पूरा करने के लिए की गई है। पानी के नमूनों का विश्लेषण कुछ स्थानों के लिए मासिक, त्रैमासिक और वार्षिक आधार पर 07 फील्ड मापदंडों, 09 कोर मापदंडों, 19 सामान्य मापदंडों, 09 ट्रेस धातुओं, 03 जैव-निगरानी और कीटनाशकों के समूह के लिए किया जाता है। राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड जल गुणवत्ता निगरानी के लिए दिशा-निर्देशों (जीडब्ल्यूक्यूएम, 2017) के अनुसार निगरानी कर रहे हैं। पानी की गुणवत्ता के आंकड़ों की तुलना पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अंतर्गत अधिसूचित खुले में स्थान के लिए प्राथमिक जल गुणवत्ता मानदंड से की जाती है। नमूने मासिक आधार पर 90 स्टेशनों से एकत्र किए गए थे जिनमें उत्तराखंड के 06 स्टेशन और गंगोत्री में भागीरथी का एक स्टेशन है। मैनुअल निगरानी स्टेशनों पर अगस्त 2020 से पाक्षक तौर पर निगरानी आरंभ की गई है जो पहले मासिक तौर पर की जाती थी। इसके अलावा, दो अतिरिक्त मापदंडों फेकल स्ट्रेप्टोकोकी और ई. कोलाई के साथ कोर (09) तथा सामान्य मापदंडों (19) की पाक्षक तौर पर अगस्त, 2020 से निगरानी शुरू की गई है।

पानी के नमूनों का विश्लेषण करने के पश्चात, नदी के पानी की गुणवत्ता की तुलना खुले में स्नान मानदंड के लिए अधिसूचित प्राथमिक जल गुणवत्ता मानदंड से की जाती है और तापका 5.20 में पीएच (6.5-8.5) डीओ (≥ 5 मग्रा.ली) जैव-रासायनिक ऑक्सीजन मांग (बीओडी (≤ 3 मग्रा.ली) और फेकल कॉलीफॉर्म (एफसी) (≤ 2500 एमपीएन/100 मली) के संदर्भ में दिए गए हैं। नमूनाकरण द्विमासिक आधार पर सांख्यिकीय उपकरण माध्यिका का उपयोग करके किया गया था जो कि केंद्रीय प्रवृत्ति का केवल एक उपाय है।

ता लका: 5.20

पर्यावरण (संरक्षण) संशोधन नियम, 2000 के अनुसार खुले में स्नान के लए प्राथमक जल गुणवत्ता मानदंड

मानदंड		तर्क
फीकल कॉ लफोर्म एमपीएन/100 मली	500 (वांछनीय) 2500 (अ धकतम अनुमेय)	कम वाहितमल संदूषण सुनिश्चित करना। फीकल कॉ लफोर्म और फीकल स्ट्रेप्टोकोकी को माना जाता है क वे जीवाणु रोगजनकता को दर्शाते हैं।
फीकल स्ट्रेप्टोकोकी एमपीएन/100 मली	100 (वांछनीय) 500 (अ धकतम अनुमेय)	मौसमी परिवर्तन, प्रवाह की स्थितियों में परिवर्तन आदि जैसी पर्यावरणीय परिस्थितियों में उतार-चढ़ाव की अनुमति देने के लए वांछनीय और अनुमेय सीमाओं का सुझाव दिया जाता है।
पीएच	6.5-8.5 के बीच	यह रेंज, त्वचा और कोमल अंगों यथा आँख, नाक, कान आदि जो खुले में स्नान के दौरान सीधे उजागर होते हैं, को सुरक्षा प्रदान करती है।
घु लत ऑक्सीजन	5 मग्रा/ली या अ धक	5 मग्रा/ली की न्यूनतम घु लत ऑक्सीजन सांद्रता, ऑक्सीजन की खपत करने वाले जै वक प्रदूषण से तुरंत उपरि प्रवाह की ओर उ चत मुक्ति सुनिश्चित करती है, जो तलछट से अवायवीय गैसों (अ प्रय गैसों) के उत्पादन को रोकने के लए आवश्यक है।
जैव-रासायनिक ऑक्सीजन की मांग 3 दिन, 27 ⁰ से	3 मग्रा/ली या कम	पानी की 3 मग्रा/ली की जैव-रासायनिक ऑक्सीजन मांग या उससे कम की मांग करने वाले प्रदूषकों से उ चत मुक्ति सुनिश्चित करती है और अ प्रय गैसों के उत्पादन को रोकती है”।

क. वर्ष 2020 (जनवरी-दिसंबर, 2020) में गंगा नदी की जल गुणवत्ता

वर्ष 2020 के लए पानी की गुणवत्ता के वश्लेषण से संकेत मलता है क नदी के पानी की गुणवत्ता स्नान के निम्न ल खत मानदंडों को पूरा कर रही है:

- गंगा नदी के सभी स्थानों पर डीओ और पीएच (माध्यिका) के संदर्भ में गंगा नदी की जल गुणवत्ता चत्र 5.2 और 5.3 में प्रस्तुत की गई है।
- गंगा नदी के पानी की गुणवत्ता को बीओडी के संदर्भ में चत्र 5.4 में प्रस्तुत किया गया है। बिठूर (कानपुर, उ.प्र.) से उद्गम, प्रयागराज (रसूलाबाद) से उपरि प्रवाह वंध्याचल (मर्जापुर) और उपरि प्रवाह वाराणसी (असीघाट, उ.प्र.) बक्सर (बिहार) से संगीदलन (झारखंड) और बेहरामपुर (पश्चिम बंगाल) से बर्निंग घाट के पास त्रिबेनी तक का पूरा खंड, पल्टा, सेरामपुर और हावड़ा (शबपुर) से गंगा तक दुर्गा चक (पश्चिम बंगाल) के पास पटिकली में।
- गंगा नदी के जल की गुणवत्ता को एफसी के संदर्भ में चत्र 5.5 में प्रस्तुत किया गया है। बिठूर (कानपुर, उ.प्र.) से उद्गम, स्नान घाट (भैरोंघाट), दलमऊ (रायबरेली) से उपरि प्रवाह वंध्याचल (मर्जापुर, उ.प्र.) और उपरि प्रवाह वाराणसी (असीघाट, उ.प्र.)

गंगा नदी की जल की गुणवत्ता को भी मैन्युअल रूप से निगरानी की गई थी और स्टेशनों/स्थानों को राज्य-वार ता लका 5.21 में दिया गया है।

वर्ष 2020 (जनवरी-दिसम्बर, 2020) मैनुअल निगरानी स्थानों पर गंगा नदी के जल की गुणवत्ता

क्र.सं.	स्टेशन कोड	राज्य का नाम	स्टेशन का नाम	डीओ	बीओडी	एफसी	पीएच
			मानदंड	≥5.0 मग्रा. ली.	≤3.0 मग्रा./ ली.	≤2500 एमपीएन/100 म.ली.	6.5- 8.5
1	1491	उत्तराखंड ऊपरी गंगा नहर, रुड़की अनुप्रवाह	भागीरथी गंगोत्री में	9.8	1.5	2	7.1
2	1485		मंदा कनी संगम से पूर्व अलकनंदा, रूद्रप्रयाग	9.8	1	1.8	7.5
3	1484		अलकनंदा संगम से पूर्व मंदा कनी, रूद्रप्रयाग	9.4	1	1.8	7.6
4	1486		अलकनंदा संगम के पश्चात मंदा कनी, रूद्रप्रयाग	10.1	1	1.8	7.65
5	1488		भागीरथी संगम से पूर्व अलकनंदा, देवप्रयाग	10	1	1.8	7.5
6	1487		अलकनंदा संगम से पूर्व भागीरथी, देवप्रयाग	10	1	1.8	7.8
7	1489		अलकनंदा संगम के पश्चात भागीरथी, देवप्रयाग	10.6	1	1.8	7.6
8	20048		गंगा स्वर्ण आश्रम-1 पर	9.3	1.0	27	7.6
9	1060		ऋषकेश उपरि प्रवाह उपरिप्रवाह	10.6	1.0	12	7.7
10	20049		गंगा लक्कड़ घाट पर - ऑक्सीकरण तालाब	9	1.2	26	7.5
11	2725		सत्यनारायण मंदिर अनुप्रवाह रायवाला	9	1.2	50	8
12	10147		ऋषकेश अनुप्रवाह	9.8	1	22	7.6
13	10148		हर की पौड़ी घाट	9.8	1	32	7.8
14	1061		हरिद्वार अनुप्रवाह	9.2	1.2	60	7.7
15	20050		गंगा जगजीतपुर में	9.6	1.2	46.5	7.9
16	2727		रूड़की अनुप्रवाह	9.4	1.2	46	7.6
17	10150		मध्य गंगा बैराज (बिजनौर)	8.75	1.1	1100	7.8
18	1062		गढमुक्तेसर	9.05	2.2	350	7.75
19	10149		बृजघाट गढमुक्तेसर	9.25	1.4	210	7.85
20	2488		अनूपशहर उपरिप्रवाह	8.5	1.2	780	7
21	2489		अनूपशहर अनुप्रवाह	8.6	1.3	1100	7
22	1145		नरोरा (बुलंदशहर)	8.6	1.3	1100	7.1
23	2490		कछला घाट (अलीगढ़)	10.3	1.15	220	7.45




Fig 5.2- Water quality of River Ganga w.r.t. pH during 2020 (Total locations- 94; Complying- All locations)




Fig 5.3- Water quality of River Ganga w.r.t. Dissolved Oxygen (DO) during 2020 (Total locations- 94; Complying- All locations)




Figure 5.4: Water quality of River Ganga w.r.t. Biochemical Oxygen Demand (BOD) during 2020 (Total locations- 94; Complying- 79 locations; Non-complying- 15 locations)




Fig 5.5- Water quality of River Ganga w.r.t. Faecal Coliform (FC) during 2020 (Total locations- 90; Complying- 34 locations; Non-complying- 56 locations)

24	10151	उत्तर प्रदेश	फरूखाबाद	8.8	2.1	1000	8.12
25	1063		कन्नौज (राजघाट) उपरिप्रवाह	8.45	2.6	1700	8.2
26	1066		कन्नौज अनुप्रवाह	8.15	2.9	2250	8
27	1146		बिठूर (कानपुर)	8.5	2.8	1800	8.4
28	1067		कानपुर (रानीघाट) उपरिप्रवाह	8.4	3.2	2600	8.3
29	10154		बा थंग घाट (भैरोघाट)	8.2	3.1	2200	8.4
30	10155		शुक्लागंज अनुप्रवाह	8	3.45	3300	8.25
31	10156		बा थंग घाट (गोला घाट)	7.6	3.8	8100	8.25
32	1068		कानपुर अनुप्रवाह (जजमऊ पं पंग स्टेशन)	7.4	4.2	22000	8.2
33	10157		बा थंग घाट (जजमऊ पुल)	7.5	4.05	17000	8.2
34	1147		दलमऊ (राय बरेली)	9.3	3.8	1400	7.9
35	2498		काला कंकर (राय बरेली)	9.65	3.8	1300	7.8
36	1046		प्रयागराज (रसूलाबाद)	8.4	2.5	1100	8.1
37	2487		कडाघाट (प्रयागराज)	8.5	2.2	1300	8.25
38	1049		प्रयागराज अनुप्रवाह (संगम)	7.9	2.5	1100	8.2
39	10158		लम्सा नदी (सरसा)	8.7	2.3	1300	8.1
40	2485		वंध्याचल (मर्जापुर) उपरिप्रवाह	8.5	2.65	1200	8.3
41	2486		मर्जापुर अनुप्रवाह	7.5	3.6	11000	8.5

क्रम सं.	स्थान कोड	स्थान का नाम	स्थान का नाम	डीओ	बीओडी	एफसी	पीएच
			मानदंड	≥5.0 म.ग्रा ,ली.	≤3.0 म.ग्रा, ली.	≤2500 एमपीएन/100 म.ली.	6.5- 8.5
42	10153		चुनर	8.2	3.15	6000	8.4
43	1070		वाराणसी (असीघाट) उपरिप्रवाह	8.65	2.55	1100	8.42
44	1071		वाराणसी अनुप्रवाह (मालवीय पुल)	7.4	3.7	13000	8.4
45	10152		गोमती नदी (भुसौला)	8.4	3.2	8000	8.5
46	1073		तरीघाट (गाजीपुर)	7.55	3.75	13000	8.43
47	1074		बक्सर	9.05	1.6	22000	8.1
48	10113		जेल घाट, बक्सर उपरिप्रवाह	8.2	1.6	31500	8.05
49	2551		बक्सर, रामरेखाघाट	8.45	1.65	35000	8.1
50	3113		बक्सर अनुप्रवाह , गंगा पुल के पास	8.2	1.8	44500	8.15
51	10162		अराह-छपरा मार्ग पुल, उपरिप्रवाह डोरीगंज	8.6	1.6	13000	8.2
52	2564		सोन डोरीगंज, छपरा	7.2	1.7	57000	7.95
53	10114		माँ अंबिका स्थान, डोरीगंज अनुप्रवाह (सरन)	8	1.7	22000	7.9

54	3114	बिहार	दानापुर, पीपापुल के पास	8.3	1.5	2600	8.1	
55	1077		खुर्जी उपरिप्रवाह पटना	7.8	1.6	22000	8.1	
56	2552		दरभंगा घाट (पटना)	7.15	1.9	60000	7.9	
57	10115		गुलबी घाट (पटना)	7.1	1.9	107000	7.9	
58	1079		पटना अनुप्रवाह (गंगा पुल)	7.5	1.85	31500	7.9	
59	3122		मालसलामी (पटना)	8.8	1.6	11000	8.1	
60	4297		गंगा कच्ची दरगाह बिदुपूर रोड पुल पटना	7.8	1.8	17000	8.1	
61	10122		त्रिवेणी घाट	7.25	1.95	7500	8	
62	2553		फातुहा	6.3	2.1	17500	7.9	
63	4301		ब खयायारपुर-गंगा पर ताजपुर पुल, अथमागोला,पटना	7.85	1.75	35000	7.9	
64	3115		बाढ़	7.05	1.75	17000	7.85	
65	10130		नवादाघाट अनुप्रवाह	7.5	1.7	13000	8	
66	10131		बाराहपुर बिंदतोली उपरिप्रवाह	8.1	1.85	19500	8	
67	1817		मोकामा उपरिप्रवाह	7.7	1.7	35000	7.9	
68	1815		मोकामा अनुप्रवाह	6.9	1.7	11000	8	
69	3123		बाराहिया	7.8	1.9	7900	8	
70	3116		मुंगेर उपरिप्रवाह	7.8	1.8	14000	7.9	
71	1818		मुंगेर	7.6	1.8	35000	7.9	
72	3117		सुलतानगंज उपरिप्रवाह	7.8	1.65	41000	7.95	
73	4398		वाटर इंटेक प्वाइंट, भागलपुर	7.25	2	160000	7.75	
74	2554		सुलतानगंज (भागलपुर)	8.1	1.8	73000	7.9	
75	10138		चम्पानगर	6.5	1.9	22000	7.8	
76	1819		भागलपुर	7.1	1.7	17000	7.9	
77	3118		भागलपुर उपरिप्रवाह	6.75	2	160000	7.7	
78	1816		कहालगांव	9.2	1.9	24000	7.9	
79	10143		कहालगांव अनुप्रवाह , शमशान घाट के पास	9	1.5	17000	7.9	
80	10144		झारखंड	नेयरालेक्ट घाट उपरिप्रवाह	8.6	2.4	0	8.2
81	10145			जनता घाट के पास अनुप्रवाह	8.4	2.6	0	7.8
82	1059			राजमहल	8.4	1.6	0	7.8

क्रम सं.	स्थान कोड	स्थान का नाम	स्थान का नाम	डीओ	बीओडी	एफसी	पीएच
			मानदंड	≥5.0 म.ग्रा, ली.	≤3.0 म.ग्रा, ली.	≤2500 एमपीएन/100 मली	6.5- 8.5
83	10146		संगी दालान	8.6	1.75	0	8.05
84	1080	पश्चिम बंगाल	बेहरामपुर	6.9	2.825	64500	8.025
85	10159		खकरा, बेहरामपुर	7.6	2.9	49000	8.12
86	10160		गोराबाजार, बेहरामपुर	7.4	2.4	25000	8.025
87	2511		नाबादोप,मानीपुर घाट के पास घोषपारा	6.8	2.8	35500	8.055
88	2506		त्रिबेणी बर्निंग घाट के पास	6.85	3.03	17000	8.005
89	10161		शीतलाताला, पलटा	5.7	3.4	94000	7.98
90	1054		पलटा	6.05	2.625	29500	8.11
91	1472		श्रीरामपुर	5.75	2.775	24500	8.065
92	1053		द क्षणेश्वर	6.35	3.7	80000	7.65
93	1471		शवपुर (हावड़ा)	5.2	2.8	70000	7.285
94	1470		गार्डन रीच	5.45	2.7	70000	7.385
95	1052		उलुबेरिया	5.7	2.225	20000	7.5
96	1469		डायमंड हार्बर	6.3	2.25	7450	7.47
97	1335	गंगा पटिकली में दुर्गा चाको के पास	6.9	1.45	2100	7.59	


5.5 राष्ट्रीय परिवेशी वायु गुणवत्ता निगरानी कार्यक्रम (एनएएमपी) और सतत परिवेशी वायु गुणवत्ता स्टेशन (सीएएक्यूएमएस) के अंतर्गत परिवेशी वायु गुणवत्ता की स्थिति

वायु (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 16 की उप-धारा 2 (एच) के अंतर्गत राष्ट्रीय परिवेशी वायु गुणवत्ता मानक (एनएएक्यूएस) को एक नीति दिशानिर्देश के रूप में 18 नवम्बर, 2009 को अधिसूचित किया गया है जो पर्यावरण पर मानव गति व ध के प्रभाव को वनियमत करता है। पूरे देश में राष्ट्रीय परिवेशी वायु गुणवत्ता निगरानी कार्यक्रम (एनएएमपी) के अंतर्गत मैनुअल निगरानी के माध्यम से परिवेशी वायु की गुणवत्ता और सतत परिवेशी वायु गुणवत्ता निगरानी प्रणाली (सीएएक्यूएमएस) के अंतर्गत वास्तविक समय की निगरानी के माध्यम से परिवेशी वायु गुणवत्ता की निगरानी की गई।

5.5.1 राष्ट्रीय परिवेशी वायु गुणवत्ता निगरानी कार्यक्रम

राष्ट्रीय परिवेशी वायु गुणवत्ता निगरानी कार्यक्रम (एनएएमपी) सन् 1984 में आगरा और अनपरा में 7 स्टेशनों के साथ शुरू किया गया था। देश में परिवेशी वायु गुणवत्ता निगरानी केंद्रों के प्रचालन की वृद्धि चत्र 5.6 में दी गई है। मैनुअल परिवेशी वायु गुणवत्ता निगरानी नेटवर्क में 29 राज्यों और 6 केंद्र शासित प्रदेशों के 352 शहरों/कस्बों को कवर करते हुए 818 ऑपरेटिंग स्टेशन हैं।

भारत में एनएएमपी के अंतर्गत परिवेशी वायु गुणवत्ता निगरानी केंद्रों के प्रचालन की



चित्र 5.6 देश में परिवेशी वायु गुणवत्ता निगरानी केंद्र

राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (एसपीसीबी), प्रदूषण नियंत्रण समितियां (पीसीसी), राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान (एनईईआरआई), नागपुर और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) निगरानी स्टेशनों पर परिवेशी वायु गुणवत्ता की निगरानी कर रहे हैं।

एनएएमपी के अंतर्गत, कार्बन मोनोऑक्साइड (सीओ), अमोनिया (एनएच₃), ओजोन (ओ₃), पीएम_{2.5}, बेंजो(ए) पायरीन {बी(ए)पी}, लेड (पीबी) और निकल (एनआई) के साथ तीन मानदंड प्रदूषक व वक्त कण (पीएम₁₀) सल्फर डाइऑक्साइड (एसओ₂) और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड (एनओ₂) की निगरानी चयनित स्थानों पर की जा रही है।

राष्ट्रीय परिवेशी वायु गुणवत्ता निगरानी कार्यक्रम के उद्देश्य


- परिवेशी वायु की गुणवत्ता की स्थिति और प्रवृत्तियों को निर्धारित करना;
- यह पता लगाना कि क्या निर्धारित परिवेशी वायु गुणवत्ता मानकों का उल्लंघन किया गया है;
- राष्ट्रीय मानकों के संबंध में गैर-प्राप्ति शहरों की पहचान करना और;
- निवारक और सुधारात्मक उपायों को वक सत करने के लिए आवश्यक ज्ञान और समझ प्राप्त करना।

5.5.2 सतत परिवेशी वायु गुणवत्ता निगरानी प्रणाली

सतत परिवेशी वायु गुणवत्ता निगरानी प्रणाली एक विशेष प्रणाली है जिसे तापमान नियंत्रित पात्रधकमरे में रखा जाता है और व भन्न वश्लेषणकर्ताओं का उपयोग करके परिवेशी वायु प्रदूषकों की निगरानी के लिए सुसज्जित है। इस प्रणाली के माध्यम से उत्पन्न वास्तविक समय आंकड़ों को केंद्रीय सर्वर और सार्वजनिक देखने के लिए भी डिजिटल डस्प्ले बोर्ड में स्थानांतरित किया जाता है। इन सीएएक्यूएमएस के डेटा का उपयोग शहरों के दैनिक राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचकांक (एनएक्यूआई) उत्पन्न करने के लिए किया जा रहा है। सतत परिवेशी वायु गुणवत्ता निगरानी स्टेशनों (सीएएक्यूएमएस) के नेटवर्क का देश में वस्तार हो रहा है और वर्तमान में, 22 राज्यों और 4 केंद्र शासित प्रदेशों के 148 शहरों को कवर करने वाले 296

सीएक्यूएम स्टेशन देश भर में वदयमान हैं। देश में सतत परिवेशी वायु गुणवत्ता निगरानी स्टेशनों को चत्र 5.8 में दिया गया है।

सभी स्थानों पर सीएक्यूएमएस के अंतर्गत व वक्त कण (पीएम₁₀ और पीएम_{2.5}), सल्फर डाऑक्साइड (एसओ₂), नाइट्रोजन डाइऑक्साइड (एनओ₂), अमोनिया (एनएच₃), कार्बन मोनोऑक्साइड (सीओ), ओजोन (ओ₃) और बेंजीन (सी₆एच₆) की निगरानी की जा रही है। ये सीएक्यूएम स्टेशन हवा की गति, हवा की दिशा, परिवेशी तापमान, सापेक्ष आर्द्रता, सौर व करण और वर्षा जैसे मौसम संबंधी मापदंडों को मापने के लए सेंसर से भी लैस हैं।



चत्र 5.8: देश में सतत परिवेशी वायु गुणवत्ता निगरानी केंद्र
ता लका 5.20

देश में परिवेशी वायु गुणवत्ता निगरानी स्टेशन (मैनुअल और रीयल-टाइम)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	मैनुअल		सीएक्यूएमएस	
		शहरों की सं.	केंद्र की सं.	शहरों की सं.	केंद्र की सं.
1.	आंध्र प्रदेश	1 5	72	5	6
2.	अरुणाचल प्रदेश	2	2	1	1
3.	असम	1 3	23	1	2
4.	बिहार	7	8	4	11
5.	चंडीगढ़ (सं.रा.क्षेत्र)	1	5	1	1
6.	छत्तीसगढ़	5	13	-	-
7.	दादर और नगर हवेली और दमन और दीव (सं.रा.क्षेत्र)	4	6	-	-
8.	दिल्ली (सं.रा.क्षेत्र)	1	10	1	40
9.	गोवा	1 8	18	-	-

10.	गुजरात	7	24	6	15
11.	हरियाणा	3	5	24	30
12.	हिमाचल प्रदेश	14	25	-	-
13.	जम्मू और कश्मीर	3	7	1	1
14.	झारखंड	7	10	1	1
15.	कर्नाटक	18	30	22	31
16.	केरल	12	29	8	9
17.	लक्षद्वीप (सं.रा.क्षेत्र)	1	1	-	-
18.	मध्य प्रदेश	15	42	15	16
19.	महाराष्ट्र	27	80	10	41
20.	मणपुर	1	1	-	-
21.	मेघालय	7	10	1	1
22.	मजोरम	8	19	1	1
23.	नगालैंड	2	9	1	1
24.	उड़ीसा	16	38	2	2
25.	पुडुचेरी (सं.रा.क्षेत्र)	2	6	1	1
26.	पंजाब	34	47	8	8
27.	राजस्थान	8	39	8	10
28.	सक्किम	8	9	-	-
29.	तमिलनाडु	8	31	4	11
30.	तेलंगाना	11	25	1	6
31.	त्रिपुरा	1	2	1	1
32.	उत्तर प्रदेश	26	82	14	35
33.	उत्तराखंड	6	8	-	-
34.	पश्चिम बंगाल	41	82	6	14
कुल	34	352	818	148	296

5.6 भारत में राष्ट्रीय परिवेशी रव निगरानी नेटवर्क

पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 3 के तहत अनुसूची III में दिन और रात के रव के संबंध में राष्ट्रीय परिवेश वायु गणवत्ता अधिसूचक की गई है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों के सहयोग से 7 मेट्रो शहरों (बेंगलुरु, चेन्नै, दिल्ली, हैदराबाद, कोलकाता, लखनऊ और मुंबई) में राष्ट्रीय परिवेशी रव निगरानी नेटवर्क (एनएएनएमएन) की स्थापना की है। इन मेट्रो शहरों में कुल 70 रव निगरानी केंद्र प्रचालन में हैं। (प्रत्येक मेट्रो शहर में 10 केंद्र) इन 07 मेट्रो शहरों का केंद्र-वार औसत परिवेशी रव स्तर ता लका 5.21 में दिया गया है।

ता लका 5.21- वर्ष 2020 के दौरान वार्षिक औसत परिवेशी रव निगरानी आंकड़े

क्र.सं.	शहर	स्टेशन का नाम	दिन के समय डे सबल(ए)	रात के समय डे सबल(ए)
1		परिसर भवन (सी)	64.3	58.7
2		पीनिया (आई)	62.6	60.9
3		निसर्ग भवन (आर)	80.2	77.4

4	बेंगलुरु	मराठाहल्ली (सी)	71.8	71.4
5		बीटीएम (आर)	62.5	62.5
6		यशवंतपुर (सी)	70.2	64.0
7		आर.वी.सी.ई. (एस)	80.9	80.9
8		व्हाइटफील्ड (आई)	63.9	58.6
9		टेरी डोम्लूर (आर)	62.9	58.1
10		निहमान (एस)	70.1	74.9
क्रम सं.		शहर	स्थान का नाम	दिन का समय डे सबल(ए)
11	चेन्नै	नेत्र अस्पताल (एस)	72.8	69.7
12		टी.नगर (सी)	80.3	75.9
13		पेरम्बूर (सी)	63.1	59.4
14		गंडी (में)	82.8	83.6
15		ट्रिप्लिकेन (आर)	70.0	68.9
16		पल्लीकर्णाई (सी)	72.0	72.6
17		वेलाचेरी (आर)	64.4	67.6
18		वाशरमैनपेट (सी)	74.0	74.1
19		अन्ना नगर (एस)	73.4	72.8
20		साँकार्पेट (आर)	65.1	60.7
21		दिल्ली	दिलशाद गार्डन (एस)	70.4
22	सीपीसीबी मुख्यालय (सी)		64.5	67.4
23	डीसीई (एस)		57.2	54.8
24	आईटीओ (सी)		79.8	75.6
25	एनएसआईटी (एस)		57.4	54.3
26	स वल लाइन्स (सी)		60.6	57.3
27	आरके पुरम (आर)		63.3	59.2
28	आनंद वहार (सी)		65.5	60.6
29	मंदिर मार्ग (एस)		58.3	56.6

30		पंजाबी बाग (आर)	57.3	51.7
31	हैदराबाद	आबिड्स (सी)	72.7	67.4
32		टीएसपीसीबी (सी)	68.2	61.8
33		जीडीमेटला(आई)	71.7	70.0
34		जू (एस)	69.0	68.1
35		जुबली हिल्स (आर)	74.4	69.1
36		तारनाका (आर)	76.6	70.0
37		गद्दापोन्नम (आई)	77.3	75.2
38		गच्चीबौली (एस)	60.9	71.7
39		पैराडाइज (सी)	78.0	73.9
40		कुकटपल्ली (सी)	68.2	65.4
41		कोलकाता	एसएसकेएम अस्पताल (एस)	64.7
42	गोल पार्क (आई)		69.5	66.5
43	मुख्यालय (सी)		66.4	65.8
44	पटौली (आर)		70.6	74.4
45	नया बाजार (सी)		68.8	67.6
46	बिराती एन. (आर)		66.9	63.3
47	आरजी कौर (एस)		68.7	71.8
48	टॉलीगंज (सी)		65.5	61.6
49	बैग बाजार (आर)		77.1	74.6
50	कोलकाता, तरतला (आई)		68.1	64.4
51	लखनऊ	तालकटोरा (आई)	67.1	68.9
52		हजरत गंज (सी)	68.0	70.5
53		पी.जी.आई. (एस)	81.7	80.1

क्रम सं.	शहर	स्थान का नाम	दिन का समय डे सबल(ए)	रात्रि का समय डे सबल(ए)
54		इंदिरा नगर (आर)	76.5	75.8
55		गोमती नगर (एस)	64.5	70.9
56		चनहट (आई)	67.1	56.5
57		आईटी कॉलेज (एस)	64.7	71.5
58		सीएसएस हवाई अड्डा (सी)	62.7	58.3
59		आरएससी अलीगंज (सी)	73.6	65.0
60		यूपीपीसीबी मुख्यालय(आर)	62.7	57.5
61	मुम्बई	ठाणे (सी)	67.9	68.6
62		वाशी अस्पताल (एस)	69.4	69.1
63		एकवर्थ अस्पताल (एस)	71.7	69.8
64		बांद्रा (सी)	74.7	74.4
65		एमपीसीबी, मुख्यालय (सी)	72.9	64.1
66		एम एंड एम कांदिवली (आई)	60.8	53.8
67		सीएसटी (सी)	74.2	69.6
68		एल एंड टी पवई (आई)	62.2	60.0
69		पेप्सिको चेंबूर (आर)	76.5	75.4
70		अंधेरी (आई)	80.1	79.6

नोट:

दिन और रात के रव के संबंध में परिवेशी वायु गुणवत्ता मानक निम्न हैं:

- (1) औद्योगिक क्षेत्र 75 डे सबल (ए) और 70 डे सबल (ए),
- (2) वाणज्यिक क्षेत्र 65 डे सबल (ए) और 55 डे सबल (ए),
- (3) आवासीय क्षेत्र 55 डे सबल (ए) और 45 डे सबल (ए)
- (4) शांत क्षेत्र 50 डे सबल (ए) और 40 डे सबल (ए)

अध्याय - 6

पर्यावरण की वर्तमान स्थिति; पर्यावरणीय समस्याएं और उनके प्रत्युपाय

6.1 वाहितमल उपचार संयंत्र

वर्ष 2020 के दौरान वाहितमल उपचार संयंत्रों (एसटीपी) को सूचीकृत किया गया है। संबंधित हितधारकों से सर्वेक्षण प्रश्नावली के माध्यम से राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों/प्रदूषण नियंत्रण समितियों एवं स्थानीय निकायों के साथ मिलकर वाहितमल उत्पादन की मात्रा और उसके उपचार का आकलन किया गया। वर्ष 2014 और 2020 के दौरान, देश में वाहितमल उपचार संयंत्रों की क्षमता और उनके तुलनात्मक आंकड़े तालिका 6.1 में दिए गए हैं:

तालिका 6.1

देश में वाहितमल उपचार संयंत्रों की संख्या

क्र. सं.	वाहितमल उपचार संयंत्र की स्थिति	2014		2020	
		वाहितमल उपचार संयंत्रों की संख्या	क्षमता (एमएलडी)	वाहितमल उपचार संयंत्रों की संख्या	क्षमता (एमएलडी)
1.	परिचालनात्मक	522	18883	1,093	26,869
2.	वास्तविक उपयोग	-	-	1,093	20,235
3.	अनुपालन	-	-	578	12,197
4.	गैर-परिचालनात्मक	79	1,237	102	1,406
5.	निर्माणाधीन	145	2,528	274	3,566
कुल (क्रमांक 1+4+5)		746	22,648	1,469	31,841
6.	प्रस्तावित	70	628	162	4,827

522 वाहितमल उपचार संयंत्रों में से, 490 वाहितमल उपचार संयंत्र अनुक्रमण बैच रिएक्टर (एसबीआर) तकनीक से तैयार किए गए हैं, जिसके पश्चात् 321 वाहितमल उपचार संयंत्र उत्प्रेरित गाढ़ प्रक्रिया (एएसपी) से डिजाइन किए गए हैं। रुढ़िगत उपचार तकनीकों के अतिरिक्त, देश भर में प्राकृतिक उपचार पद्धति पर आधारित वाहितमल उपचार संयंत्र भी स्थापित किए गए हैं। 67 एसटीपी अपशष्ट स्थिरीकरण तालाब प्रणाली (डब्ल्यूएसपीएस) पर आधारित हैं और 61 एसटीपी ऑक्सीकरण तालाबों (ओपी) की श्रेणी से संबंधित हैं।

महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और कर्नाटक 5 शीर्ष राज्य हैं जिन्होंने उल्लेखनीय वाहितमल उपचार सुविधाएं संस्थापित की हुई हैं। ये 5 राज्य संयुक्त रूप से 19,250 एमएलडी अर्थात् देश की कुल संस्थापित उपचार क्षमता का 60.5% का योगदान करते हैं। ये 5 राज्य और हरियाणा, मध्य प्रदेश, पंजाब, तमिलनाडु और

राजस्थान अर्थात ये 10 राज्य कुल संस्था पत उपचार क्षमता में 86 प्रतिशत का योगदान करते हैं।

अरुणाचल प्रदेश, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, मणपुर, मेघालय और नगालैंड ने वाहितमल उपचार संयंत्र नहीं स्थापित किए हैं।

वाहितमल उपचार संयंत्रों (2014) की पछली सूची की तुलना से पता चलता है कि वाहितमल उपचार क्षमता में 50% की वृद्धि हुई है, जबकि वाहितमल उत्पादन 62,000 एमएलडी से बढ़कर 72,368 एमएलडी (16%) हो गया है। वर्ष 2014 और 2020 की राज्यवार वाहितमल उत्पादन और उपचार क्षमता तालिका 6.2 में दी गई है।

तालिका 6.2- राज्य-वार एसटीपी, वाहितमल उत्पादन और उपचार क्षमता

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	वाहितमल का उत्पादन (एमएलडी)	कुल उपचार क्षमता (एमएलडी)	कुल वाहितमल उपचार संयंत्रों की संख्या	वाहितमल का उत्पादन (एमएलडी)	कुल उपचार क्षमता (एमएलडी)	कुल वाहितमल उपचार संयंत्रों की संख्या
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	22	0	0	23	0	0
आंध्र प्रदेश	2,871	247.27	12	2,882	853	67
अरुणाचल प्रदेश	50	0	0	62	0	0
असम	703	0.21	1	809	0	0
बिहार	1,879	124.55	6	2,276	631	25
चंडीगढ़	164	314.5	5	188	293	7
छत्तीसगढ़	951	0	0	1,203	73	3
दादरा और नगर हवेली	26	0	0	67	24	3
गोवा	145	74.58	7	176	104	14
गुजरात	4,119	3,062.92	51	5,013	3,378	70
हरियाणा	1,413	852.7	41	1,816	1,880	153
हिमाचल प्रदेश	110	114.72	66	116	155	86
जम्मू और कश्मीर	547	264.74	19	665	222	26
झारखंड	1,270	117.24	15	1,510	639	12

कर्नाटक	3,777	1,304.16	57	4,458	2,712	140
केरल	2,552	152.97	10	4,256	120	7
लक्षद्वीप	8	0	0	13	0	0
मध्य प्रदेश	3,214	482.23	17	3,646	1,924	142
महाराष्ट्र	8,143	5,160.36	76	9,107	9,819	195
मणिपुर	132	0	0	168	0	0
मेघालय	95	1	1	112	0	0
मजोरम	90	10	1	103	10	1
नगालैंड	92	0	0	135	0	0
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	4,155	2,693.7	35	3,330	2,896	38
ओडिशा	1,121	385.54	13	1,282	378	14
पांडिचेरी	136	68.5	6	161	59	4
पंजाब	1,664	1,245.45	86	1,889	1,781	119
राजस्थान	2,736	865.92	63	3,185	1,195	140
सत्त्विकम	24	31.88	11	52	30	11
तमिलनाडु	5,599	1,799.72	73	6,421	1,492	63
तेलंगाना	1,671	685.8	18	2,660	901	37
त्रिपुरा	154	0.05	1	237	8	1
उत्तर प्रदेश	7,124	2,646.84	73	8,263	3,374	107
उत्तराखंड	495	152.9	24	627	515	81
पश्चिम बंगाल	4,667	416.9	28	5,457	1,202	65
कुल	61,948	2,3277.36	816	72,368	36,668	1,631

6.1.1 वाहिनमल उपचार संयंत्र निगरानी ऐप का वकास

जल निकायों में प्रदूषण का एक महत्वपूर्ण कारक घरेलू अपशष्ट-जल है। वर्तमान में, वाहिनमल उपचार संयंत्रों (एसटीपी) की निगरानी के लए कोई केंद्रीकृत प्रणाली नहीं है। इस मुद्दे का समाधान करने के लए, मोबाइल आधारित एक "एसटीपी मॉनिटरिंग एप्लिकेशन" वक सत कया गया है और इसे माननीय केंद्रीय राज्य मंत्री, श्री बाबुल सुप्रयो द्वारा 23.09.2020 को लॉन्च कया गया है।

यह ऐप वाहिनमल उपचार संयंत्रों से शहरी स्थानीय निकायों, राज्यों और केंद्रीय एजेंसियों तक सूचना प्रवाह की सुवधा देगा और इसमें 1600 से अधिक वाहिनमल उपचार संयंत्रों को जोड़ा जाएगा। इस ऐप को मोबाइल ऐप स्टोर से डाउनलोड कया जा सकता है। इसमें पीएच, टीएसएस, सीओडी, बीओडी तथा फेकल कॉलीफॉर्म जैसे क्षमता और गुणात्मक मापदंडों की जानकारी दी जाएगी और इसे साप्ताहिक आधार पर अद्यतन कया जाएगा। यह वाहिनमल उपचार संयंत्रों के

कार्यनिष्पादन की निकट से निगरानी करने में मदद करेगा। अब तक, 400 उपयोगकर्ता एसटीपी निगरानी ऐप से जुड़े हैं।

6.2 निर्माण और मलबा अप शष्ट प्रबंधन

केंद्र सरकार द्वारा 29 मार्च, 2016 को निर्माण और मलबा (सी एंड डी) अप शष्ट प्रबंधन नियम, 2016 अधसूचन कया गया है। "सी एंड डी अप शष्ट प्रबंधन नियम, 2016" के नियम 10 के उप-नियम 1 (ए) के अनुपालन में, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने पहले ही 'सी एंड डी अप शष्ट के पर्यावरणीय प्रबंधन पर दिशानिर्देश (मार्च, 2017)' और 'निर्माण सामग्री और सी एंड डी अप शष्ट के हथालन में धूल शमन उपायों पर दिशानिर्देश (नवंबर, 2017)' जारी कर दिए हैं। सी एंड डी अप शष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के कार्यान्वयन के लिए निम्न लखत गति व धयां की गई हैं:

- 20,000 वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्र वाले निर्माण और मलबा स्थलों में एंटी-स्मॉग गन के संबंध में दिशानिर्देशों को अंतिम रूप दे दिया गया है। इसे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और निकटवर्ती क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग को सूचन कर दिया गया है।
- पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने ईआईए अधसूचना, 2006 के अनुसार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय और राज्य ईआईए प्राधकरण द्वारा देश भर में निर्माण और मलबा अप शष्ट के प्रसंस्करण से बनी सामग्री के उपयोग के संबंध में अवसंरचना परियोजनाओं को दी गई पर्यावरण मंजूरी में उपयुक्त खंड को शामिल करने की सफारिश की है।
- रा.प्र.नि. बोर्डों/प्र.नि. समितियों द्वारा वर्ष 2019-20 के लिए प्रस्तुत जानकारी के अनुसार; देश में प्रचालन और प्रस्तावत संयंत्रों की कुल संख्या क्रमशः 16 और 25 है। सी एंड डी अप शष्ट प्रसंस्करण सुवधाओं का राज्य-वार ववरण तालका 6.3 में दिया गया है।

तालका 6.3- निर्माण और मलबा अप शष्ट प्रसंस्करण सुवधाओं का ववरण

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	अप शष्ट प्रसंस्करण सुवधा		अभ्युक्ति
		नाम एवं स्थान	क्षमता (टीपीडी)	
1.	आंध्र प्रदेश	एमए एंड यूडी वभाग, वजयवाडा द्वारा	480	प्रचालन
		एमए एंड यूडी वभाग, वशाखापत्तनम द्वारा		
		एमए एंड यूडी वभाग, तिरुपति द्वारा		
2.	चंडीगढ़	औद्योगिक क्षेत्र नगर निगम, चंडीगढ़, फेज-I, चंडीगढ़	160	प्रचालन

3.	दिल्ली	मैसर्स आईएल एंड एफएस इनवायरन्मेंटल इनफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्वसेस ल. जहांगीरपुरी	2000	प्रचालन
		मैसर्स आईएल एंड एफएस, शास्त्री पार्क	500	प्रचालन और 500 टीपीडी की अतिरिक्त क्षमता हेतु प्रस्तावत
		मैसर्स आईएल एंड एफएस, रानीखेड़ा	150	प्रचालन
		मैसर्स गर्ग एंड कंपनी, बक्करवाला (द क्षण डीएमसी)	1000	प्रचालन
		मैदानगढी (द क्षण डीएमसी)	1000	प्रस्तावत
		रानीखेड़ा (उत्तरी डीएमसी)	1000	प्रस्तावत
		लबासपुर (पीडब्ल्यूडी)	500	सु वधाएं दिसंबर 2020 से संसाधत करने की योजना है।
4.	गोवा	बिचो लम तालुका के चर्चरेम गाँव में गोवा अप शष्ट प्रबंधन निगम (जीडब्ल्यूएमसी) द्वारा	500	प्रस्तावत
5.	गुजरात	अहमदाबाद एनवायरो प्रोजेक्ट्स प्राइवेट ल मटेड, ब्लॉक नं. 115, शाहवाड़ी, नरोल, जिला: अहमदाबाद	1000	प्रचालन
		सूरत ग्रीन प्रीकास्ट प्रा. ल मटेड, प्लॉट नंबर एच-29, कोसाड, जिला सूरत	300	
		वडोदरा नगर निगम डीएनपी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रा. ल मटेड	250	प्रस्तावत
		राजकोट नगर निगम, एस सं. 352, कोठारिया खान के पास, जिला राजकोट	100	
6.	हरियाणा	ग्राम बसई में नगर निगम गुरुग्राम द्वारा संचालत	300	प्रचालन
		फरीदाबाद	100 - 250	प्रस्तावत
		सोनीपत	100 - 250	
7.	मध्य प्रदेश	इंदौर नगर निगम	-	प्रचालन

		उज्जैन नगर निगम	-	प्रचालन
		भोपाल नगर निगम	-	प्रचालन
		जबलपुर नगर निगम	-	प्रचालन
8.	पुदुचेरी	ट्रक टर्मिनल, मेडुपालयम में औलगरेट नगरपालिका द्वारा	50	प्रस्तावित
9.	तेलंगाना	जीडीमेटला	750	प्रचालन
		फतुलगुडा	-	प्रस्तावित (सीएफई प्राप्त की)
		कोठवालगुडा	-	प्रस्तावित
		वारंगल	-	प्रस्तावित
		निजामाबाद	-	प्रस्तावित
		करीमनगर	-	प्रस्तावित
10.	उत्तर प्रदेश	सेक्टर-81, नोएडा	300	प्रस्तावित
		हिंडन वहार, गाजियाबाद	400	
		गाजियाबाद	150	
		गाजियाबाद	-	
		नोएडा	-	
		आगरा	-	
		कानपुर	-	
		वाराणसी	-	
		प्रयागराज	-	
		मेरठ	-	
		लखनऊ	-	

6.3 ई अप शष्ट प्रबंधन

ई-अप शष्ट (प्रबंधन) नियम, 2016 और उसमें कए गए संशोधनों की रूपरेखा के अंतर्गत ई-अप शष्ट का प्रबंधन कया जा रहा है। ये नियम 01-10-2016 से प्रभावी हैं और इसके निम्न लखत व शष्ट उद्देश्य हैं:

- वस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व (ईपीआर), जो ई-अप शष्ट के संग्रह, भंडारण, परिवहन और पर्यावरण की दृष्टि से समुचित वखंडन और पुनर्चक्रण के लिए उपभोक्ता स्तर से परे उत्पादकों की जिम्मेदारी बढ़ाता है और ईपीआर प्राधकरण (ईपीआरए) के साधन के माध्यम से उपभोक्ताओं के बीच जागरूकता पैदा करता है;
- एक सक्षम ई-अप शष्ट संग्रह तंत्र की स्थापना को बढ़ावा देना और प्रोत्साहित करना;

- पर्यावरण की दृष्टि से सुरक्षित और बेहतर संग्रहण, परिवहन, भंडारण तथा वनष्ठीकरण और पुनर्चक्रण को केवल अधकृत वखंडनकर्ताओं और पुनर्चक्रणकर्ताओं के माध्यम से बढ़ावा देना जिससे अवैध पुनर्चक्रण/वसूली के प्रचालन को कम किया जा सके; तथा
- इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक घटकों में परिसंकटमय पदार्थों को सी मत करना।

ई-अप शष्ट प्रबंधन, वस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व (ईपीआर) के सद्धान्त पर आधारित है। ईपीआर के तहत, नियमों की अनुसूची- 1 में सूचीबद्ध वद्युत और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (ईईई - 21 संख्या दो श्रेणियों में) के उत्पादकों को उपकरण के उपयोग की अवधि की समाप्ति के बाद उनके उत्पादों के प्रबंधन की जिम्मेदारी दी गई है। ईपीआर व्यवस्था के तहत, पूर्व में बिक्री कए गए वद्युत और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण से उत्पादन के आधार पर, वद्युत और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (ईईई) के उत्पादकों को वार्षिक ई-अप शष्ट संग्रह का लक्ष्य दिया गया है। इनके संग्रह के पश्चात, उत्पादकों को पर्यावरण की दृष्टि से समुचित तरीके से ई-अप शष्ट को वखंडित और पुनर्चक्रित करना होता है। ईपीआर व्यवस्था के तहत, पूर्व में बिक्री कए गए ईईई से उत्पादन के आधार पर या ईईई की बिक्री के आधार पर, यथास्थिति, ईईई के उत्पादकों को वार्षिक ई-अप शष्ट के संग्रह का लक्ष्य दिया गया है।

6.3.1 ई-अप शष्ट नियम, 2016 के अनुपालन के लए निगरानी तंत्र

- ईपीआर अधकृत उत्पादकों से वार्षिक और त्रैमासिक ववरणी।
- पीआरओ से वार्षिक ववरणी।
- अधकृत वनिर्माताओं, डस्मैंटलर्स, रिसाइकलर्स, रिफर्बिशर्स, थोक उपभोक्ताओं से संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/प्रदूषण नियंत्रण समिति को वार्षिक ववरणी।
- केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/प्रदूषण नियंत्रण समिति से वार्षिक रिपोर्ट।
- केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को वार्षिक समीक्षा रिपोर्ट।
- केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के दिशानिर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लए डस्मैंटलर/रीसाइकलर्स का यादृच्छिक सत्यापन।
- ईपीआर की शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लए ईपीआर उत्पादकों (संग्रह केंद्रों) का यादृच्छिक निरीक्षण।
- कार्य योजना का कार्यान्वयन – केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों/प्रदूषण नियंत्रण समितियों के सहयोग से संग्रहण लक्ष्य सहित उत्पादक के संग्रहण की प्रणाली के निरंतर सत्यापन और उनके अनुपालन के सत्यापन की एक प्रणाली स्थापित की है। राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों/प्रदूषण नियंत्रण समितियों को निरंतर ई-अप शष्ट के वखंडनकर्ताओं और पुनर्चक्रणकर्ताओं का सत्यापन करना होता है। राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/प्रदूषण नियंत्रण समितियों द्वारा वेब पोर्टल के माध्यम से केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को अपनी तिमाही प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करना अपेक्षित है।

6.3.2 ई-अप शष्ट (प्रबंधन) नियम, 2016 के कार्यान्वयन की स्थिति

- वर्ष 2020-21 के दौरान ई-अप शष्ट (प्रबंधन) नियम, 2016 के तहत कुल 151 ईपीआर प्राधकार (ईपीआरए) मंजूर कए गए हैं। वर्ष 2016 से 31 मार्च, 2021 तक 1704 ईपीआर प्राधकार मंजूर कए गए हैं।
- वर्ष 2020-21 के दौरान ई-अप शष्ट (प्रबंधन) नियम, 2016 के तहत कुल 16 पीआरओ का पंजीकरण मंजूर कया गया है। वर्ष 2016 से 31 मार्च, 2021 तक 51 पीआरओ का पंजीकरण मंजूर कया गया है।
- 10,68,542.72 टन की प्रसंस्करण क्षमता वाले अधकृत डस्मेंटलर्स/पुनर्चक्रणकर्ताओं की संख्या 400 है। (राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/प्रदूषण नियंत्रण समितियों से प्राप्त सूचना के आधार पर)
- वर्ष 2017-18, 2018-19 और 2019-20 के दौरान वखंडत और पुनर्चक्रत कए गए ई-अप शष्ट की मात्रा क्रमशः 69,413.619 टन, 1,64,663.00 टन और 2,22,436.34 टन है।
- देश में ई-अप शष्ट के संग्रहण के लए ईपीआर अधकृत उत्पादकों के लगभग 2,759 ई-अप शष्ट संग्रह केंद्र हैं।
- 21 प्रकार के अधसूचत ईईई से उत्पन्न ई-अप शष्ट की अनुमानित मात्रा नीचे दी गई है:
 - वर्ष 2017-18 के दौरान अनुमानित उत्पादन 7,08,445.0 टन है।
 - वर्ष 2018-19 के दौरान अनुमानित उत्पादन 7,71,215.0 टन है।
 - वर्ष 2019-20 के दौरान अनुमानित उत्पादन 10,14,961.2 टन है।

6.3.3 ई-अप शष्ट (प्रबंधन) नियम, 2016 के कार्यान्वयन हेतु की गई कार्रवाई

ई-अप शष्ट (प्रबंधन) नियम, 2016 के कार्यान्वयन हेतु निम्न लखत वशेष प्रयास कए गए हैं:

- ई-अप शष्ट (प्रबंधन) नियम, 2016 के कार्यान्वयन हेतु नौ (9) व शष्ट दिशानिर्देशों को शामिल करके दिशानिर्देश तैयार कए गए हैं तथा उन्हें के.प्र.नि.बोर्ड की वेबसाइट पर अपलोड कया गया है।
- उत्पादक उत्तरदायित्व संगठनों (पीआरओ) के लए दिशानिर्देश तैयार कर के.प्र.नि.बोर्ड की वेबसाइट पर अपलोड कर दिए गए हैं।
- ई-अप शष्ट नियमों के तहत पर्यावरणीय प्रतिकर शुल्क (ईसीसी) के लए दिशानिर्देश दिसंबर 2020 में तैयार कए गए हैं और माननीय राष्ट्रीय हरित अधकरण (पीबी) के समक्ष प्रस्तुत कए गए हैं।
- देश में ई-अप शष्ट (प्रबंधन) नियम, 2016 के कार्यान्वयन के लए एक कार्य योजना लागू है और इसे रा.प्र.नि.बोर्ड/प्र.नि.स.म. के माध्यम से लागू कया जा रहा है। उक्त नियमों के कार्यान्वयन के लए इस कार्ययोजना में 11 कार्य बिंदु हैं। कार्ययोजना अनुबंध-II में दी गई है। रा.प्र.नि.बोर्ड/प्र.नि.स.मतियां कार्य योजना के अनुसार नियमत रूप से गति वधयां कर रही हैं और त्रैमासक आधार पर वेब पोर्टल पर अपनी सत्यापन रिपोर्टें अपलोड कर रही हैं।

- ई-अप शफ्ट नियमों के तहत वर्ष 2020-21 के दौरान 1001 उत्पादकों को गैर- अनुपालन (186 उत्पादकों को संग्रहण लक्ष्य पूरा न करने के लए, 292 को गैर-प्रकार्यात्मक संग्रह केंद्र के लए और 523 को वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत न करने के लए) के लए कारण बताओ नोटिस जारी कए गए हैं। पूर्व में भी, 10 ईपीआरए उत्पादकों के ईपीआरए को उनकी संग्रह व्यवस्था के काम न करने के कारण निलंबित कर दिया गया था। तथाप, उत्पादकों द्वारा बाद में कए गए सुधारात्मक उपायों के आधार पर निलंबन को रद्द कर दिया गया था।
- उ.प्र.प्र.नि.बोर्ड को जल (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 18 (1) (बी) और वायु (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, 1986 के तहत को ई-अप शफ्ट नियमों और के.प्र.नि.बोर्ड के दिशानिर्देशों के उल्लंघन के लए तीन वखंडनकर्ताओं और पुनर्चक्रणकर्ता के वरुद्ध कार्रवाई करने के लए 05-05-2020 को निदेश जारी कए गए हैं। तदनुसार, उ.प्र.प्र.नि.बोर्ड ने इन इकाइयों को बंद करने का आदेश दिया। उ.प्र.प्र.नि.बोर्ड की रिपोर्ट के अनुसार, अब तीन इकाइयां अनुपालन कर रही हैं।
- 20 राज्यों अर्थात् आंध्र प्रदेश, असम, छत्तीसगढ़, गुजरात, गोवा, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, झारखंड, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल में ई-अप शफ्ट के 400 वखंडनकर्ता/पुनर्चक्रणकर्ता काम कर रहे हैं। इन अधिकृत वखंडनकर्ताओं/पुनर्चक्रणकर्ताओं की वार्षिक प्रसंस्करण क्षमता 10,68,542.72 टन है।
- ई-अप शफ्ट नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लए, उत्पादकों द्वारा एकत्र कए गए ई-अप शफ्ट की मात्रा के तिमाही सत्यापन और ई-अप शफ्ट के संग्रहण तथा चैनलाइजेशन के लए रा.प्र.नि.बोर्ड/प्र.नि.स.म. की प्रणाली वद्यमान है। रा.प्र.नि.बोर्ड/प्र.नि.स.म. द्वारा वखंडनकर्ताओं/पुनर्चक्रणकर्ताओं की सुवधाओं और उनके बुनियादी ढांचे एवं अभिलेखों के वार्षिक सत्यापन की प्रणाली भी लागू है। के.प्र.नि.बोर्ड द्वारा एक सॉफ्टवेयर विकसित कया गया है जिसमें रा.प्र.नि.बोर्ड/प्र.नि.स.म. को अपनी तिमाही सत्यापन रिपोर्ट अपलोड करनी होती है। यह पोर्टल अक्टूबर, 2019 से कार्य कर रहा है। यह पोर्टल के.प्र.नि.बोर्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध है।
- के.प्र.नि.बोर्ड के तकनीकी सहयोग के साथ सी-डैक द्वारा एक ऑनलाइन ई-अप शफ्ट प्रबंधन प्रणाली विकसित की गई है। यह प्रणाली परीक्षण के दूसरे चरण में है। इस प्रणाली के पूरी तरह से लागू होने पर क्यूआर कोड/बार कोड, वाहन ट्रेकिंग प्रणाली, वीडियो ट्रेकिंग प्रणाली के माध्यम से एक गंतव्य से दूसरे गंतव्य तक ई-अप शफ्ट के प्रवाह की जांच के लए ऑनलाइन सामग्री पता करने की क्षमता होगी। इसकी मुख्य विशेषताएं निम्न लखत हैं:
 - ऑनलाइन ईपीआर प्राधिकार आवेदन प्रसंस्करण
 - ई-अप शफ्ट की ट्रेकिंग, ट्रेकिंग और आवाजाही
 - सभी हितधारकों के लए वास्तविक-समय के आधार पर रिपोर्ट तैयार करना।

6.4 परिसंकटमय अप शष्ट प्रबंधन

पर्यावरण के अनुकूल तरीके से परिसंकटमय अप शष्ट के उपयोग के लए मानक प्रचालन प्र क्रया (एसओपी) वक सत की गई है। वर्ष 2020-21 के दौरान, 14 मानक प्रचालन प्र क्रयाएं वक सत की गई हैं जो निम्नानुसार हैं:

1. टाइटेनियम डाइऑक्साइड की पुनः प्राप्ति के लए उत्प्रेरक वनिर्माण उद्योगों से क्लोराइड युक्त अवशेष/अप शष्ट की प्र क्रया से उत्पन्न प्रयुक्त टीआईओ₂-एनएसीएल टि कया का उपयोग।
2. सो डयम हाइपोक्लोराइट के निर्माण के लए स्वच्छ/प्रयुक्त कास्टिक सोल्यूशन के साथ प्रयुक्त सो डयम हाइपोक्लोराइट का उपयोग।
3. थर्मिक फ्लूइड हीटर (टीएफएच)बॉयलर में कोयले के साथ पूरक ईंधन के रूप में उपयोग करने के लए कपड़ा उद्योग से उत्पन्न ईटीपी गाद का उपयोग।
4. ईटों के निर्माण के लए सीईटीपी की प्रयुक्त अम्ल न्यूट्रलाइजेशन सु वधा से उत्पन्न गाद का उपयोग।
5. रिकवरी बॉयलर में सेकेंडरी क्लेरिफायर से उत्पन्न ईटीपी गाद का ईंधन के रूप में उपयोग करना।
6. सीईटीपी में एमएपी (मैग्नी शयम अमोनियम फॉस्फेट) प्र क्रया में डीईएमपी (डायथाइल मथाइल फॉस्फोनाइट प्रति क्रया) से उत्पन्न मैग्नी शयम क्लोराइड लवण का उपयोग।
7. ईटों के निर्माण के लए लवणीय गाद कास्टिक सोडा यूनिट से उत्पन्न) का उपयोग।
8. रेड ऑक्साइड और जिप्सम के निर्माण के लए अम्लोपचार प्र क्रया से उत्पन्न ईटीपी गाद का पेवर ब्लॉकों के निर्माण के लए उपयोग।
9. ए सटिक एनहाइड्राइड या ग्ले शयल ए सटिक अम्ल के निर्माण के लए संसाधन सामग्री के रूप में फार्मास्युटिकल/कीटनाशक/रासायनिक क्षेत्र से उत्पन्न जल म श्रत ए सटिक अम्ल का उपयोग/आसवन।
10. धातु लवणों/मश्र धातुओं की प्राप्ति के लए धातु और धातु युक्त अप शष्टों (टिन/टंगस्टन, कोबाल्ट/टैटलम/वैने डयम/माइओबियम स्क्रेप) का उपयोग।
11. हाइड्रोब्रो मक अम्ल (एचबीआर) के निर्माण के दौरान उत्पन्न प्रयुक्त सल्फ्यूरिक अम्ल का बिटर्न रूट के माध्यम से ब्रोमीन (तरल) के निर्माण के लए संसाधन सामग्री के रूप में उपयोग।
12. कैल्शियम क्लोराइड के निर्माण के लए प्रयुक्त हाइड्रोक्लोरिक अम्ल (क्लोरीनयुक्त पैरा फन वैक्स के निर्माण से उत्पन्न) का उपयोग।
13. एडीसीए के निर्माण में ट्राइक्लोरो/परक्लोरे थलीन (या) क्लोरीनयुक्त पैरा फन वैक्स (सीपीडब्ल्यू) से उत्पन्न प्रयुक्त हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का उपयोग।

14. औद्योगिक उपयोग के लिए लवणों की पुनः प्राप्ति के लिए कपड़ा निर्माण प्रसंस्करण उद्योगों के सीईटीपी/ईटीपी से अपशुद्ध लवणों का उपयोग।

सभी मानक प्रचालन प्रक्रियाएं लोकक्षेत्र <https://cpcb.nic.in/sop-for-hw-specific/> पर उपलब्ध हैं।

इसके अलावा, जैव-चकत्सा अपशुद्ध सहित भस्मीकरण के माध्यम से कोवड-19 महामारी के दौरान उत्पन्न चकत्सा अपशुद्ध के सामूहिक निपटान के लिए परिसंकटमय अपशुद्ध के उपचार, भंडारण और निपटान सुवधा हेतु मानक प्रचालन प्रक्रियाएं तैयार की गई हैं।

के.प्र.नि.बोर्ड ने "सामूहिक कैप्टिव उपचार, भंडारण और निपटान सुवधाओं (टीएसडीएफ) की पर्यावरणीय लेखापरीक्षा आयोजित करने हेतु दिशानिर्देश दस्तावेज" भी वकसत किया है। टीएसडीएफ की पर्यावरणीय लेखापरीक्षा का उद्देश्य आधारभूत ढांचे की सुवधाओं, वैधानिक निष्पादन आवश्यकताओं के अनुपालन के लिए अपनाई गई मौजूदा प्रथाओं/प्रक्रियाओं का आकलन करने के लिए मूल्यांकन प्रक्रिया का मानकीकरण करना, पर्यावरणीय अनुपालनों और संबंधित सुधारात्मक उपायों के साथ प्रबंधन में अंतराल की पहचान करना है। यह दस्तावेज के.प्र.नि.बोर्ड की वेबसाइट <https://cpcb.nic.in/technical-guidelines/> पर उपलब्ध है।

6.4.1 परिसंकटमय एवं अन्य अपशुद्ध उत्पादन और उसके प्रबंधन पर राष्ट्रीय सूची रिपोर्ट

31 रा.प्र.नि. बोर्डों/प्र.नि. समितियों (अरुणाचल प्रदेश, कर्नाटक, लक्षद्वीप और त्रिपुरा को छोड़कर) द्वारा प्रदान की गई जानकारी के आधार पर, वर्ष 2019-20 के दौरान परिसंकटमय एवं अन्य अपशुद्ध की राष्ट्रीय सूची तैयार की गई है और परिसंकटमय एवं अन्य अपशुद्ध के उत्पादन, पुनर्चक्रण, उपयोग, निपटान और भंडारण के संबंध में निम्न लक्ष्य निष्कर्ष हैं:

- देश में 69,308 परिसंकटमय अपशुद्ध उत्पन्न करने वाली इकाइयाँ हैं और वर्ष 2019-20 के दौरान लगभग 8.78 मलान मीट्रिक टन परिसंकटमय अपशुद्ध उत्पन्न हुआ है।
- गुजरात (28.30%), महाराष्ट्र (11.38%), तमिलनाडु (10.99%), ओडिशा (7.74%), आंध्र प्रदेश (7.07%), राजस्थान (6.69%), झारखंड (4.67%), उत्तर प्रदेश (4.12%), तेलंगाना (3.61%) और केरल (3.54%) सर्वाधिक परिसंकटमय अपशुद्ध उत्पन्न करने वाले 10 राज्य हैं, जो कुल मिलाकर उत्पन्न होने वाले परिसंकटमय अपशुद्ध में लगभग 88% का योगदान करते हैं।
- वर्तमान में, 1,857 पुनर्चक्रणकर्ता हैं जिनकी अधिकृत क्षमता 75,25,637 टन है। 345 अधिकृत पुनर्चक्रणकर्ताओं के साथ सबसे अधिक इकाइयों वाले महाराष्ट्र के बाद हरियाणा (228), गुजरात (223) और उत्तर प्रदेश (180) हैं।

- पुनर्चक्रणकर्ताओं के अलावा, 37,48,813 टन की अधिकृत क्षमता वाले परिसंकटमय अप शष्ट का उपयोग करने वाली 512 इकाइयां हैं। गुजरात 140 उपयोगकर्ताओं के साथ सबसे आगे है, उसके बाद महाराष्ट्र (94) और उत्तर प्रदेश (41) हैं।
- ऊर्जा पुनःप्राप्ति के लिए सीमेंट संयंत्र में परिसंकटमय अप शष्ट को भी सह-संसाधित किया जा रहा है। भारत में सीमेंट भर्तियों में परिसंकटमय अप शष्ट का उपयोग करने वाले लगभग 90 सीमेंट संयंत्र हैं। सह-प्रसंस्करण के लिए अधिकृत मात्रा 1,87,79,127 टन है और वर्ष 2019-20 के दौरान लगभग 17,87,042 टन परिसंकटमय अप शष्ट को सह-संसाधित किया गया है।
- 18 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में 45 सामूहिक टीएसडीएफ हैं। 45 सामूहिक सुवधाओं में से 17 एकीकृत सुवधाओं से युक्त हैं जिनमें सुरक्षित लैंड फल और भस्मक दोनों हैं। 12 टीएसडीएफ में स्व-भस्मक उपलब्ध कराए गए हैं और 16 टीएसडीएफ में सुरक्षित लैंड फल सुवधाएं हैं। वर्ष 2019-20 के दौरान परिसंकटमय अप शष्ट उत्पादन और प्रबंधन की मात्रा तालिका 6.4 में दी गई है।

तालिका 6.4: परिसंकटमय अप शष्ट उत्पादन (मिलियन टन) एवं प्रबंधन

1	वर्ष 2019-20 के दौरान उत्पन्न परिसंकटमय अप शष्ट की मात्रा	:	8.78
2	आयातित परिसंकटमय अप शष्ट की मात्रा	:	0.42
3	वर्ष के प्रारंभ में अधभोग्यों के परिसरों में परिसंकटमय अप शष्ट की मात्रा	:	1.47
4	पुनर्चक्रण का उपयोग किए गए परिसंकटमय अप शष्ट की मात्रा	:	5.26
	(i) सामान्य रूप से पुनर्चक्रण योग्य परिसंकटमय अप शष्ट का पुनर्चक्रण (एचओडब्ल्यूएम नियम, 2016 के तहत अनुसूची IV सूचीबद्ध अप शष्ट)	:	1.23
	(ii) सीमेंट भर्तियों में सह-प्रसंस्करण	:	1.79
	(iii) कैप्टिव उपयोग	:	1.33
	(iv) एचओडब्ल्यूएम नियम, 2016 के नियम 9 के तहत नॉन-कैप्टिव उपयोग (उपर्युक्त (ii) के अलावा)	:	0.93
5	परिसंकटमय अप शष्ट की मात्रा का निपटान	:	3.23
	(i) सामूहिक एसएलएफ	:	2.24
	(ii) आम भस्मक	:	0.17
	(iii) सामूहिक एसएलएफ	:	0.64
	(iv) कैप्टिव इंसीनरेटर	:	0.18
6	निर्यात किए गए परिसंकटमय अप शष्ट की मात्रा	:	0.01
7	वर्ष के अंत में अधभोग्यों के परिसरों में परिसंकटमय अप शष्ट की मात्रा	:	1.58

- परिसंकटमय अप शष्ट पुनर्चक्रणकर्ताओं/उपयोगकर्ताओं के अलावा, 382 अन्य अप शष्ट पुनर्चक्रणकर्ता/उपयोगकर्ता हैं जिनकी अधिकृत क्षमता 36,11,362 टन है। वर्ष 2019-20 के दौरान, लगभग 8,65,394 टन आयातित अन्य अप शष्ट और 6,81,962 टन आंतरिक रूप से उत्पन्न अन्य अप शष्ट का पुनर्चक्रण/उपयोग किया गया है।

परिसंकटमय एवं अन्य उत्पादित अप शष्ट और उनका प्रबंधन (2019-20) पर राष्ट्रीय सूची रिपोर्ट की प्रति के.प्र.नि.बोर्ड की वेबसाइट https://cpcb.nic.in/uploads/hwmd/Annual_Inventory2019-20.pdf पर उपलब्ध है।

6.5 देश में संदूषित स्थल

संदूषित स्थल आवर्षी और परिसंकटमय तत्वों से प्रदूषित क्षेत्र हैं जो मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण के लिए खतरा पैदा करते हैं। संदूषित स्थलों में उत्पादन क्षेत्र, लैंड फिल, डम्प, अप शष्ट भंडारण एवं उपचार स्थल, खदान अवशेष स्थल, रिसाव स्थल, रासायन अप शष्ट प्रबंधन और भंडारण स्थल शामिल हो सकते हैं। परिसंकटमय अप शष्ट या रसायनों के डंपिंग या छलकाव से आसपास के वातावरण, विशेष रूप से मृत्त, भूपृष्ठ जल और भूजल पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा और इसके परिणामस्वरूप, प्रभावी क्षेत्र के लोग जाने-अनजाने आवर्षी तत्वों के संपर्क में आ जाते हैं। ये स्थल आवासीय, वाणिज्यिक, कृषि, मनोरंजनात्मक, औद्योगिक, ग्रामीण, शहरी या वन्य प्रदेशों में स्थित हो सकते हैं।

संदूषित स्थलों की वस्तुतः जांच कए जाने की आवश्यकता है और तत्पश्चात उपयुक्त उपचारात्मक तकनीकों को अपनाकर मानव स्वास्थ्य जोखिम और पर्यावरणीय प्रभावों को कम करने के लिए उपचारात्मक गतिविध की जानी चाहिए। संदूषित स्थलों का उपचार, स्रोत-मार्ग-प्रापक (एसपीआर) परिदृश्य की जांच करने वाले वस्तुतः वैज्ञानिक मूल्यांकन पर आधारित होना चाहिए। उपचार के लिए मानक, मानव स्वास्थ्य जोखिम प्रतिफल पर आधारित होना चाहिए। राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा कोष (एनसीईएफ) परियोजना के तहत दूषित क्षेत्र के उपचार के लिए की गई कार्रवाई की स्थिति तालिका 6.5 में दी गई है।

तालिका 6.5- राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा कोष (एनसीईएफ) के तहत संदूषित क्षेत्र के उपचार की स्थिति

क्र.सं.	स्थल का नाम	स्थिति
केरल		
1.	कुझीकंदम थोडू (क्रीक), एलूर, कोच्चि, केरल में कीटनाशक संदूषित स्थल	<ul style="list-style-type: none"> उपचारात्मक कार्य के निष्पादन के लिए निवृत्त प्रक्रिया चल रही है। राज्य सरकार द्वारा उपचारात्मक परियोजना को क्रयान्वित किया जा रहा है।
मध्य प्रदेश		

2.	<p>दोसीगांव औद्योगिक क्षेत्र, रतलाम, मध्य प्रदेश में एच-अम्ल संदूषित स्थल:</p> <p>(i) सज्जन के मकल्स (क) प्लॉट संख्या 54ई (ख) प्लॉट संख्या 61बी</p> <p>(ii) मैसर्स जयंत वटा मन ल मटेड</p>	<ul style="list-style-type: none"> दूषित स्थल की वस्तुतः जांच पूर्ण हो गई है और यह पता चला है कि यह स्थल रंग, टीडीएस क्लोराइड और सल्फेट से दूषित है। प्लॉट नंबर 54ई पर परिसंकटमय अपशुद्ध अभी भी पड़ा हुआ है। इस संबंध में, म.प्र.प्र.नि. बोर्ड ने जिम्मेदार पक्ष को टीएसडीएफ के माध्यम परिसंकटमय अपशुद्ध को उठाने और निपटाने के लिए आवश्यक निर्देश जारी किए हैं। प्लॉट संख्या-61बी से परिसंकटमय अपशुद्ध को उठा लिया गया था और टीएसडीएफ के माध्यम से निपटान कर दिया गया है। जेवीएल-प्लॉट में पुराने औद्योगिक उपकरण और रासायनिक भंडारण टैंकों को छोड़कर, कोई पुराना अपशुद्ध डंप नहीं पाया गया है।
ओ डशा		
3.	<p>पारा संदूषित स्थल:</p> <p>(i) डंपसाइट जेसीएल-I (मैसर्स जयश्री के मकल्स ल मटेड के परिसर के बाहर रु शकुल्या नदी के पास)</p> <p>(ii) डंपसाइट जेसीएल-III (मैसर्स जयश्री के मकल्स ल मटेड के परिसर के बाहर रु शकुल्या नदी के पास)</p> <p>(iii) डंपसाइट जेसीएल-II (जयश्री के मकल्स, गंजम)</p>	<p>उत्तरदायी पक्ष (मैसर्स ग्रा सम इंडस्ट्रीज ल मटेड) द्वारा उपचारात्मक कार्य प्रारंभ कर दिया गया है और उसकी प्रगति निम्नानुसार है:</p> <ul style="list-style-type: none"> इकाई ने उपचारित बहिःस्राव के भंडारण के लिए नए गार्ड तालाब का निर्माण किया था। डीपीआर के अनुसार भूजल को ठीक करने के लिए अमूर्तपृथक्करण कुओं की स्थापना के लिए केंद्रीय भूजल बोर्ड (सीजीडब्ल्यूबी) से एनओसी प्राप्त की गई थी। डीपीआर के अनुसार भूजल को ठीक करने के लिए अमूर्तपृथक्करण कुओं की स्थापना के लिए केंद्रीय भूजल बोर्ड (सीजीडब्ल्यूबी) से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया। डीपीआर के अनुसार, ओ डशा रा.प्र.नि. बोर्ड द्वारा उपचारात्मक गतिवध के एक भाग के रूप में परिसंकटमय अपशुद्ध के निपटान के लिए नए सुरक्षित लैंड फल (एनएसएलएफ) का निर्माण करने के लिए यूनिट को निर्देशित किया गया है। इस संबंध में, इकाई द्वारा निवदा प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। पुराने गार्ड तालाब से संदूषित सामग्री की खुदाई

		की गई है और उसका भंडारण एचडीपीई लाइन सुवधा में कर दिया है। इस संबंध में फोटोग्राफ अनुबंध-1 में दिए गए हैं।
उत्तर प्रदेश		
4.	हेक्सावलेट क्रो मयम संदूषित स्थल: (i) खानचंद्रपुरी, रानिया कानपुर देहात (ii) शवनाथपुरा, रानिया, (कानपुर देहात) रमाबाई नगर, कानपुर, यूपी	यूपीएसआईडीए और उ.प्र.प्र.नि. बोर्ड द्वारा उपचारात्मक कार्यों के निष्पादन के लिए निवदा प्रक्रिया पुनः चल रही है।

6.5.1 राज्यवार संदूषित स्थलों की स्थिति

प्रारंभिक जांच के आधार पर, जनवरी, 2021 तक 280 स्थल हैं। राजीव नारायण और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य, मूल आवेदन संख्या 804/2017 में माननीय एनजीटी के आदेश के अनुपालन में, रा.प्र.नि. बोर्डों/प्र.नि. समितियों द्वारा उपलब्ध कराए गए दूषित स्थलों की सूची तालिका 6.6 में दी गई है। संभावित 280 दूषित स्थलों में से 112 स्थलों की पहचान व भन्न संदूषकों से संदूषित के रूप में की गई है।

तालिका 6.6- राज्यवार संदूषित स्थलों का ववरण

क्र.सं.	राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र	जनवरी 2021 को स्थिति		स्थल पर एचडब्ल्यू	प्रारंभिक मूल्यांकन	उपचारात्मक कार्रवाई हेतु पहचाने गए स्थल	
		संभावित स्थल	संदूषित स्थल			वस्तुतः जांच और डीपीआर	उपचारात्मक कार्रवाई
1	आंध्र प्रदेश	4	-		2		
2	असम	2	2				
3	छत्तीसगढ़	3	2				
4	दिल्ली (एनसीआर)	1 2	11				
5	गोवा	1	1				
6	गुजरात	1 5	8				2
7	हरियाणा	1 0	4				
8	हिमाचल प्रदेश	3	1				
9	झारखंड	1 2	2				1

10	कर्नाटक	1 9	6				
11	केरल	5	4	1		2	1
12	मध्य प्रदेश	14	6	1		3	
13	महाराष्ट्र	3	3		5		1
14	उड़ीसा	9	23	4(3)		1	3
15	पंजाब	3	6				
16	राजस्थान	8	2				
17	तमिलनाडु	5	6	1		1	2
18	तेलंगाना	7	2			1	
19	उत्तर प्रदेश	22	21	1		5	2+(2)
20	उत्तराखण्ड	5	1				
21	पश्चिम बंगाल	6	1			1	
	कुल	168	112	8	7	14	12+2=14

अब तक पहचाने गए 112 संदूषित स्थलों में से 28 स्थलों की वस्तुतः जांच की गई है और उपचारात्मक कार्रवाई के लिए उनकी पहचान की गई है, जिनका ववरण नीचे दिया गया है:

- 16 स्थलों के लिए वस्तुतः परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार की गई है और राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा कोष (एनसीईएफ) परियोजना के तहत 3 स्थल (मध्य प्रदेश) निर्माणाधीन हैं। 19 स्थलों में से, 3 स्थलों (ओ डशा) और अन्य 3 स्थलों (केरल में 1 और उत्तर प्रदेश में 2) पर उपचारात्मक कार्रवाई प्रारंभ कर दी गई है, निवृत्त प्रक्रिया जारी है।
- भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय और तेलंगाना रा.प्र.नि. बोर्ड की वश बैंक से सहायता प्राप्त औद्योगिक प्रदूषण प्रबंधन के लिए क्षमता निर्माण परियोजना (सीबीआईपीएमपी) के तहत 1 स्थल (तेलंगाना) के लिए डीपीआर तैयार किया गया है। तथा प, 2014 के डब्ल्यूपी संख्या 39864 में माननीय तेलंगाना उच्च न्यायालय द्वारा जारी यथास्थिति बनाए रखने के आदेशों के कारण उपचारात्मक कार्य शुरू नहीं किया जा सका है।
- 11 स्थलों पर उपचारात्मक कार्य चल रहा है और ववरण ता लका 6.7 में दिए गए हैं।
- रा.प्र.नि.बोर्ड/प्र.नि.स म. द्वारा शेष 84 संदूषित स्थलों की वस्तुतः जांच की जा रही है।
- रा.प्र.नि.बोर्ड/प्र.नि.स मति द्वारा शेष 168 संभावित संदूषित स्थलों की प्रारंभिक जांच की जा रही है।

ता लका 6.7- संदूषित स्थलों पर उपचारात्मक कार्रवाई

क्र.स.	स्थल का नाम	संदूषकों के प्रकार और उपचारात्मक कार्य के निष्पादन के लिए उत्तरदायी पक्ष
गुजरात (02)		
1.	एफ्लुएंट चैनल प्रोजेक्ट ल मटेड (ईसीपीएल), बड़ौदा एफ्लुएंट कैनाल, वडोदरा और भरूच	रंग, फेनो लक यौ गक, सल्फेट, क्लोराइड और टीडीएस। हंट्समैन इंटरनेशनल (इंडिया) पी. ल मटेड

2.	स्वास्तिक ऑर्गेनिक, सर्वे नंबर 93 पाइकी, सबर डेयरी रोड, पपलोदी, गुजरात	कार्बनिक यौ गक, रंग मैसर्स स्वास्तिक ऑर्गेनिक
झारखंड (01)		
3.	रोरो हिल्स, झारखंड -833201	एस्बेस्टस और क्रोमाइट खान वभाग, झारखंड सरकार
महाराष्ट्र (01)		
4.	मैसर्स गोदावरी बायो-रिफाइनरीज, अहमद नगर जिला, महाराष्ट्र	रंग, सल्फेट (एसओ ₄), क्लोराइड और वाष्पशील फैटी अम्ल गोदावरी बायो-रिफाइनरीज
ओ डसा (03)		
5.	डंपसाइट जेसीएल-I (मैसर्स जयश्री के मकल्स ल मटेड के परिसर के बाहर रु शकुल्या नदी के पास)	पारा
6.	डंपसाइट जेसीएल-III (मैसर्स जयश्री के मकल्स ल मटेड के परिसर के बाहर रु शकुल्या नदी के पास))	मैसर्स ग्रा सम इंडस्ट्रीज ल मटेड (जीआईएल)
7.	डंपसाइट जेसीएल-II (जयश्री के मकल्स, गंजम)	
त मलनाडु (02)		
8.	मैसर्स हिंदुस्तान यूनिलीवर ल मटेड (एचयूएल), कोडाईकनाल, त मलनाडु	पारा मैसर्स हिंदुस्तान यूनिलीवर ल मटेड
9.	मैसर्स बीपीसीएल तेल संदू षत साइट, टॉडेयरपेट, चेन्नै, टीएन	पेट्रो लयम हाइड्रोकार्बन (डीजल रेंज ऑर्गेनिक्स (डीआरओ) और गैसोलीन रेंज ऑर्गेनिक्स (जीआरओ)) मैसर्स बीपीसीएल
उत्तर प्रदेश (02)		
10.	औद्योगिक क्षेत्र मेरठ रोड, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश	हैग्जावलेंट क्रो मयम
11.	लोहिया नगर सी ब्लॉक, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश	मैसर्स श्रीराम पस्टन ल मटेड और अन्य

6.6 ठोस अप शष्ट प्रबंधन

देश में ठोस अप शष्ट प्रबंधन का संक्षिप्त ववरण इस प्रकार है :

कुल ठोस अप शष्ट उत्पादन	:	1,50,847 टीपीडी	
संग्रहित ठोस अप शष्ट	:	1,46,053 टीपीडी	(96.8%)
उपचारित ठोस अप शष्ट	:	70,973 टीपीडी	(47%)
लैंड फल ठोस अप शष्ट	:	40,863 टीपीडी	(27.08%)
अस्पष्टीकृत ठोस अप शष्ट	:	39,010 टीपीडी	(25.8%)

6.6.1 ठोस अप शष्ट प्रबंधन की स्थिति

- 34 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों (4 राज्यों में 100% अनुपालन) ठोस अप शष्ट का स्रोत पृथक्करण प्रारंभ किया गया है।
- कुल 1,359 ठोस अप शष्ट लैंड फल स्थलों की पहचान की गई है और 21 राज्यों में 379 स्थल प्रचालन में हैं।
- देश में 3,075 डंप साइट हैं, 91 डंपसाइटों को ढक दिया गया है और 14 डंपसाइटों को सेनेटरी लैंड फल में बदल दिया गया है।
- के.प्र.नि.बोर्ड ने जनवरी, 2020 में जैव-खनन अप शष्ट के संबंध में ठोस अप शष्ट प्रबंधन (नियम), 2016 के प्रावधान को लागू करने के लिए पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 की धारा 5 के अंतर्गत निदेश जारी किए हैं।
- वर्तमान में, देश में 12 'अप शष्ट से ऊर्जा' संयंत्र प्रचालन में हैं। माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण के निदेशों के अनुसार, के.प्र.नि. बोर्ड और दि.प्र.नि. समिति द्वारा संयुक्त निगरानी की गई थी। तीन 'अप शष्ट से ऊर्जा' संयंत्र गैर-अनुपालनकारी पाए गए हैं और इन तीन संयंत्रों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है।

6.7 प्लास्टिक अप शष्ट प्रबंधन

देश में प्लास्टिक अप शष्ट प्रबंधन की स्थिति तालिका 6.8 में दी गई है।

तालिका 6.8 - देश में प्लास्टिक अप शष्ट प्रबंधन की स्थिति			
क्र.सं.	मद	मात्रा	अभ्युक्ति
1	अनुमानित प्लास्टिक अप शष्ट उत्पादन	34,69,780 टीपीए	वार्षिक रिपोर्ट में 35 राज्यों द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों पर आधारित।
2	पुनर्चक्रण क्षमता (20 राज्य)	15.62 लाख टीपीए	ओ ए नं. 247/2017 में 20 राज्यों द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों पर आधारित।

3	सह-प्रसंस्करण	1.67 लाख टीपीए	ओ ए नं. 247/2017 में 20 राज्यों द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों पर आधारित।
4	प्लास्टिक अप शष्ट उत्पादन करने वाले तीन प्रमुख राज्य	महाराष्ट्र (13%), तमिलनाडु (12%), और गुजरात (12%)	वार्षिक रिपोर्ट में 35 राज्यों द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों पर आधारित।

6.7.1 प्लास्टिक अप शष्ट प्रबंधन नियम, 2016 का क्रयान्वयन

- मानक प्रचालन प्रक्रिया (एसओपी) के साथ-साथ उत्पादकों, आयातकों और ब्रांड-मालकों (पीआईबीओ) के पंजीकरण के लिए ऑनलाइन पोर्टल विकसित किया गया है। 8 लाख टीपीए के वस्तुनिष्ठ उत्पादक उत्तरदायित्व (ईपीआर) लक्ष्य के साथ अब तक 307 ब्रांड-मालकों (बीओ) और 04 उत्पादकों को पंजीकरण जारी किया गया है।
- के.प्र.नि.बोर्ड ने मानक प्रचालन प्रक्रिया (एसओपी) तैयार की है और कंपोस्टेबल निर्माताओं/विक्रेताओं के प्रमाणन के लिए ऑनलाइन पोर्टल विकसित किया है।
- पीडब्लूएम नियम, 2016 के प्रावधान 4(एच) के अनुसार, अब तक 163 कंपोस्टेबल वनिर्माताओं/विक्रेताओं को प्रमाणपत्र जारी किए जा चुके हैं। यह प्रमाणन क्षमता 2016 में शून्य थी जो कि पर्याप्त रूप से बढ़कर 2,80,000 टीपीए हो गई है, जो देश में उत्पन्न कुल प्लास्टिक अप शष्ट के लगभग 8% का समाधान करती है।

6.7.2. प्लास्टिक अप शष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के प्रवर्तन के लिए जारी निदेश

प्लास्टिक अप शष्ट प्रबंधन (पीडब्लूएम) नियम, 2016 के तहत जारी निदेश तालिका 6.9 में दिए गए हैं:

तालिका 6.9 - प्लास्टिक अपशष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के तहत जारी निदेश

क्र. सं.	जारी निदेश	निदेश जारी करने की तिथि	कैसे निदेश जारी किए
1.	रा.प्र.नि.बोर्ड/प्र.नि.समिति को प्लास्टिक ब्रांड मालकों/उत्पादकों के पंजीकरण और पीडब्लूएम नियमों के प्रावधान के अनुसार ईपीआर की पूर्ति के संबंध में निदेश जारी किए गए हैं।	06-10-2020	सभी रा.प्र.नि. बोर्ड/ प्र.नि. समितियां
2.	पीडब्लूएम नियमों के प्रावधानों के प्रवर्तन के लिए संस्थागत तंत्र की स्थापना के लिए ईपीए की धारा 5 के तहत सभी रा.प्र.नि.बोर्डों/प्र.नि.समितियों/ सचिव, शहरी विकास को निदेश जारी किए गए हैं।	09-10-2020	<ul style="list-style-type: none"> सभी रा.प्र.नि. बोर्ड/ प्र.नि. समितियां सचिव, सभी राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों के शहरी विकास सचिव
3.	ओए नं. 247/2017 के मामले में, के.प्र.नि.बोर्ड को पीडब्लूएम पर अधूरी जानकारी/जानकारी प्रस्तुत न करने पर ईपीए की धारा 5 के तहत सभी राज्यों के शहरी विकास सचिव को निदेश जारी किए गए हैं।	09-10-2020	सभी राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों के शहरी विकास सचिव
4.	सगरेट, गुटखा, तंबाकू और पान मसाला के सभी रूपों में भंडारण, पैकंग या बिक्री के लिए पीडब्लूएम नियमों के प्रावधानों को लागू करने के लिए रा.प्र.नि.बोर्डों/प्र.नि.समितियों को निदेश जारी किए गए हैं।	22-10-2020	सभी रा.प्र.नि. बोर्ड/ प्र.नि. समितियां
5.	कम्पोस्टेबल प्लास्टिक निर्माताओं को प्रमाणपत्र जारी करने के संबंध में पीडब्लूएम नियमों के नियम 4 (एच) के प्रवर्तन के लिए रा.प्र.नि.बोर्ड/ प्र.नि.समितियों को ईपीए की धारा 5 के तहत निदेश जारी किए गए हैं।	04.03.2021	सभी रा.प्र.नि. बोर्ड/ प्र.नि. समितियां

6.7.3. माननीय राष्ट्रीय हरित अधकरण के तहत जारी निदेश

- माननीय राष्ट्रीय हरित अधकरण के ओए संख्या 247/2017 के अनुपालन में, प्लास्टिक अपशष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उल्लंघन के लिए पर्यावरणीय प्रतिकर (ईसी) के आकलन हेतु दिशानिर्देश तैयार किए गए हैं। दिशानिर्देशों में कैरी बैग/प्लास्टिक शीट की मोटाई को 50 माइक्रोन तक प्रतिबंधित करते हुए पीडब्लूएम नियमों की धारा 4 (सी) और 4 (डी) का उल्लंघन होने पर माल की जब्ती और पर्यावरणीय मुआवजा लगाने सहित दंडात्मक कार्रवाई के प्रावधान हैं।
- माननीय राष्ट्रीय हरित अधकरण के सलोनी सिंह बनाम भारत संघ और अन्य (ओए संख्या 141/2014) मामले में आदेश का अनुसरण करते हुए 36 रेलवे स्टेशनों के पर्यावरणीय कार्य-निष्पादन का आकलन किया गया है।

अध्याय - 7

पर्यावरणीय अनुसंधान

7.1 डेयरी उद्योग के लिए पर्यावरणीय मानकों और बृहद दस्तावेज़ का पुनरीक्षण

डेयरी उद्योग के लिए पर्यावरणीय मानकों और बृहद उद्योग दस्तावेज़ (सीओआईएनडीएस) के पुनरीक्षण पर एक परियोजना आरंभ की गई है। इस परियोजना में देश में स्थित डेयरी उद्योगों का सूचीकरण शामिल है।

7.2 चर्मशोधन इकाइयों में जलरहित क्रोम चर्मशोधन प्रशिक्षण तकनीक का अध्ययन।

भारत में दो हजार से अधिक चर्मशोधन इकाइयां हैं। वर्तमान में, विश्व में 90% से अधिक चमड़े का उत्पादन क्रोम चर्मशोधन प्रक्रिया के माध्यम से होता है। चर्मशोधन के परंपरागत तरीके का प्रयोग करने से महत्वपूर्ण सामग्री का नुकसान होता है और गंभीर पर्यावरणीय समस्याएं पैदा होती हैं। पारिस्थितिक तंत्र एवं लोगों के स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभावों और उपचार प्रक्रिया की उच्च लागत के कारण, पर्यावरण पर क्रोम अपशुद्ध का गहरा प्रभाव पड़ता है।

केंद्रीय चर्म अनुसंधान संस्थान (सीएलआरआई) ने जलरहित क्रोम चर्मशोधन तकनीक (डब्ल्यूसीटीटी) का पेटेंट किया। इस प्रक्रिया में, चर्मशोधन रसायन आधारित क्रोम सल्फेट को बिना पानी डाले और बिना किसी रसायन के शुष्क रूप में आवेशित किया जाता है। इस तकनीक का लाभ यह है कि (चर्मशोधन प्रक्रिया के दौरान, सभी आवेशित क्रोमियम सल्फेट, हाइड्रॉक्साइड के अवशेषों में पूर्ण रूप से अवशोषित हो जाता है) इसमें चर्मशोधन प्रक्रिया के दौरान क्रोम अपशुद्ध का निस्सर्जन नहीं होता है। सीएलआरआई ने विभिन्न राज्यों में स्थित 76 चर्मशोधन इकाइयों को डब्ल्यूसीटीटी का अंतरण किया है।

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने सीएलआरआई, चैन्नई के साथ इन इकाइयों का अध्ययन आरंभ किया है जिसमें प्रौद्योगिकी और क्रोम अपशुद्ध उत्पादन पर इसके प्रभाव और टीडीएस के नियंत्रण पर ध्यान केंद्रित किया गया है।

7.3 डीडीटी के गैर-पीओपी विकल्प का विकास और संवर्धन

'डीडीटी के गैर-पीओपी विकल्प के विकास और संवर्धन' पर संयुक्त राष्ट्र की परियोजना ने डीडीटी का उत्पादन, उपयोग और खपत को घटाना शुरू कर दिया है और नीम का तेल, नीम आधारित आईआरएस, लंबे समय तक चलने वाले कीटनाशी जाल (एलएलआईएन) जैसे वैकल्पिक रसायनों को बढ़ावा दिया है। के.प्र.नि.बो. ने इस परियोजना को नीरी को प्रदान किया है। डीडीटी के विकल्पों पर आधारित आईवीपीएम में परियोजना के घटकों के आधार पर चार विकल्प प्रशिक्षण मॉड्यूल तैयार किए गए हैं और इसे राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम (एनवीबीडीसीपी) के द्वारा दिनांक 22 जनवरी, 2021 को अनुमोदित भी किया गया है। अधिकारियों (मलेरिया के अधिकारियों, कीट विज्ञानी) के साथ एकीकृत वेक्टर कीट प्रबंधन आधारित गैर-पीओपी विकल्पों के संवर्धन के लिए ऑनलाइन

प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण (टीओटी) और मॉड्यूल के पायलट परीक्षण का यह पहला चरण है। यूएनईपी ने परियोजना की समय सीमा 31 दिसंबर, 2022 तक बढ़ा दी है।

7.4 कास्टिक सोडा उद्योग (मेम्ब्रेन सेल) के पर्यावरणीय मानकों का पुनरीक्षण और कास्टिक सोडा में सीओआईएनडीएस तैयार करना।

क्लोर क्षार क्षेत्र में मर्करी सेल को चरणबद्ध रूप से समाप्त करे जाने के बाद मेम्ब्रेन सेल तकनीक अपेक्षाकृत हाल ही तक सत हुई है। इस क्षेत्र का मानदंड 30 वर्ष पुराना था। इसके दृष्टिगत, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने मैसर्स सीपी कंसल्टेंट प्राइवेट लिमिटेड के साथ मेम्ब्रेन सेल हेतु मानदंडों के संशोधन और पुनरीक्षण का कार्य नवंबर 2019 में शुरू किया और यह अध्ययन प्रक्रियाधीन है।

7.5 गहरे समुद्र में निस्सरण से संबंधित नियमों का पुनरीक्षण

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने तकनीकी समिति के साथ गहरे समुद्र में निस्सरण के मानदंडों के पुनरीक्षण हेतु एक रिपोर्ट तैयार की है और इस रिपोर्ट को पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को दिनांक 02 जून, 2021 को प्रस्तुत कर दिया गया।

7.6 पीड़कना शयों की बढ़ी हुई निगरानी के लिए प्रोटोकॉल

माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण के ओए सं. 46/2020 के मामले में, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और पादप संरक्षण संगरोध और भंडारण निदेशालय के प्रतिनिधियों की समिति ने पीड़कना शयों की बढ़ी हुई निगरानी के लिए प्रोटोकॉल को अंतिम रूप दिया और सभी राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों/प्रदूषण नियंत्रण समितियों को परिचालित किया गया।

7.7 शून्य तरल निस्सरण

14 सेक्टरों के लिए जल संरक्षण एवं सुरक्षित उपचारित जल का पुनः उपयोग हेतु दिशानिर्देशों को अंतिम रूप दिया गया है और उद्योग व्यापक सुरक्षित उपचारित जल पुनः उपयोग (एसटीडब्ल्यूआर) दृष्टिकोण को अपनाएंगे/की संभावना तलाश करेंगे और पाँच वर्ष की अवधि में 50% ताजे पानी की खपत को कम करेंगे।

7.8 केंद्रीय क्षेत्र की सीसा प्रसंस्करण इकाइयों में सीसा सांद्रता का अध्ययन।

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने केंद्रीय क्षेत्र की सीसा प्रसंस्करण इकाइयों में सीसा सांद्रता के आकलन के लिए अध्ययन किया है। सीसा पुनर्चक्रण इकाइयों के विश्लेषण का परिणाम तालिका 7.1, 7.2 एवं 7.3 में दिया गया है।

तालिका- 7.1: केंद्रीय क्षेत्र की सीसा पुनर्चक्रण इकाई के स्रोत उत्सर्जन का विश्लेषण परिणाम

क्रम सं.	उद्योग का नाम	निगरानी की तिथि	स्थान	परिणाम	
				पीएम (एमजी/एनएम ³)	सीसा (एमजी/एनएम ³)
1.	मैसर्स पायलेट इंडस्ट्रीज प्राइवेट	06.10.2020	परिष्करण पात्र	12.67	0.91
2.	ल मटेड, भवाडी, राजस्थान	06.10.2020	घूर्णी भ 3 एवं 4	16.99	1.76
3.		07.10.2020	घूर्णी भ 1 एवं 2	22.1	2.49
4.	मैसर्स मत्तल पगमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड, कोटा, राजस्थान	09.10.2020	परिष्करण पात्र	14.89	1.05

5.	मैसर्स शवशक्ति आयरन एंड मेटल इंडस्ट्रीज, ग्वा लयर, मध्य प्रदेश	25.12.2020	परंपरागत भ ी-1	18	4.92
6.	मैसर्स मनोज इंडस्ट्रीज, इंदौर, मध्य प्रदेश	01.02.2021	परंपरागत भ ी	19	4.58
7.		01.02.2021	घूर्णी भ ी	24	3.85
8.	मैसर्स अमन इंटरप्राइजेज, इंदौर, मध्य प्रदेश	02.02.2021	परंपरागत भ ी-2	21	3.51
9.		02.02.2021	परंपरागत भ ी-2	26	3.97
10.	मैसर्स एक्व्यूमुलेटर इंडस्ट्रीज, रायपुर, छत्तीसगढ़	11.02.2021	परंपरागत भ ी-1 तथा 2	32	6.15

ता लका- 7.2: केंद्रीय क्षेत्र की पुनर्चक्रण इकाई पर परिवेशी वायु में सीसा के वश्लेषण परिणाम।

क्र. सं.	उद्योग का नाम	निगरानी की ति थ	स्थान	परिणाम	
				पीएम ₁₀ 24 घंटे औसत (μजी/एम ³)	पीबी 24 घंटे औसत (μजी/एम ³)
1.	मैसर्स पायलेट इंडस्ट्रीज प्राइवेट ल मटेड, भवाडी, राजस्थान	06.10.2020 - 07.10.2020	फैक्ट्री का मुख्य प्रवेश द्वार	75	0.580
2.	मैसर्स मत्तल पगमेंटप्रा इवेट ल मटेड, कोटा, राजस्थान	9.10.2020 - 10.10.2020		87	0.743
3.	मैसर्स शवशक्ति आयरन एंड मेटल इंडस्ट्रीज, ग्वा लयर, मध्य प्रदेश	25.12.2020- 26.12.2020		75	0.574
4.	मैसर्स मनोज इंडस्ट्रीज, इंदौर, मध्य प्रदेश	01.02.2021- 02.02.2021		86	0.713
5.	मैसर्स अमन इंटरप्राइजीज, इंदौर, मध्य प्रदेश	02.02.2021- 03.02.2021		78	0.629
6.	मैसर्स एक्व्यूमुलेटर इंडस्ट्रीज, रायपुर, छत्तीसगढ़	10.02.2021- 11.02.2021		89	0.849

ता लका- 7.3: केंद्रीय क्षेत्र की पुनर्चक्रण इकाइयों में कार्यक्षेत्र में सीसा के वश्लेषण का परिणाम।

क्र.सं.	उद्योग का नाम	निगरानी की तिथि	स्थान	पीएम ₁₀ (µजी/एम ³)	पीबी (µजी/एम ³)
1.	मैसर्स पायलेट	06.10.2020	घूर्णी भू क्षेत्र	712	20.7
2.	इंडस्ट्रीज प्राइवेट ल मटेड, भवाडी, राजस्थान		परिष्करण क्षेत्र	619	14.3
3.	मैसर्स मत्तल पगमेंट	09.10.2020	घूर्णी भू क्षेत्र	824	23.7
4.	प्राइवेट ल मटेड, कोटा, राजस्थान		परिष्करण क्षेत्र	718	11.2
5.	मैसर्स शवशक्ति आयरन एंड मेटल	25.12.2020	परंपरागत भू-1 क्षेत्र	315	8.207
6.	इंडस्ट्रीज, ग्वा लयर, मध्य प्रदेश		घूर्णी भू-2 क्षेत्र	349	10.481
7.	मैसर्स मनोज	01.02.2021	घूर्णी भू क्षेत्र	562	15.074
8.	इंडस्ट्रीज, इंदौर, मध्य प्रदेश		परंपरागत भू क्षेत्र	292	10.116
9.	मैसर्स अमन इंटरप्राइजीज, इंदौर, मध्य प्रदेश	02.02.2021	परंपरागत भू-1 तथा 2 क्षेत्र	517	14.56
10.			परंपरागत भू-2 तथा 3 क्षेत्र	446	13.172
11.	मैसर्स एक्व्यूमुलेटर	10.02.2021	भू क्षेत्र	849	32.125
12.	इंडस्ट्रीज, रायपुर, छत्तीसगढ़		बैटरी वनिर्माण क्षेत्र	498	19.068

अध्याय - 8

पर्यावरणीय प्र शक्षण

वर्ष 2020-21 के दौरान, पर्यावरण प्र शक्षण इकाई (ईटीयू) द्वारा केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों/प्रदूषण नियंत्रण स मितियों/अन्यों के तकनीकी और वैज्ञानिक कर्मचारियों हेतु पर्यावरण से संबंधित व भन्न प्राथ मकता क्षेत्रों में प्रतिष्ठित प्र शक्षण व्यावसायिक/अनुसंधान एवं वकास/संस्थानों के माध्यम से सत्रह ऑनलाइन प्र शक्षण कार्यक्रम आयोजित कए गए। ववरण इस प्रकार है:

1. व भन्न क्षेत्रों के लए वायु प्रदूषण नियंत्रण उपकरण और ओसीईएमएस
2. व भन्न अप शष्टों के प्रबंधन की वस्तुत जानकारी जैसे परिसंकटमय अप शष्ट, ई-अप शष्ट, निर्माण और उत्पादन अप शष्ट, नगरपालका ठोस अप शष्ट और जैव-च कत्सा अप शष्ट
3. पर्यावरणीय नमूनों में कीटनाशकों और अन्य कार्बनिक रसायनों का वश्लेषण
4. उन्नत उपकरणीय वश्लेषणात्मक तकनीक एवं सुरक्षात्मक अनुरक्षण उपकरणीय वश्लेषणात्मक तकनीकें और सुरक्षात्मक अनुरक्षण
5. सामूहिक जैव च कत्सा अप शष्ट उपचार सु वधा (सीबीडब्ल्यूटीएफ) का प्रचालन तंत्र और प्रदर्शन मूल्यांकन
6. पर्यावरणीय वधान, व्याख्या, प्रवर्तन, व धक एवं सां व धक आवश्यकताएँ-मामलों का अध्ययन
7. पर्यावरणीय आंकड़ों की व्याख्या, संकलन, वश्लेषण, प्रस्तुति और रिपोर्टिंग-व्यावहारिक प्र शक्षण और मामलों का अध्ययन
8. ईटीपी/एसटीपी/सीईटीपी का कार्य-प्रदर्शन का मूल्यांकन
9. उपजी वकाजन्य स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली **45001: 2018**
10. पर्यावरणीय निगरानी - बहिःसाव, एएक्यूएम, स्टेक का नमूना संग्रह और वायु, जल और रव के लए व भन्न पर्यावरणीय मापदंडों का स्टैक परीक्षण।
11. गन्ना इथेनॉल उद्योगों की पर्यावरणीय संधारणीयता
12. परिसंकटमय अप शष्ट टीएसडीएफ की प्रारम्भ से लेकर चालू होने तक के पहलू और अनुपालन निगरानी से संबंधित मुद्दे
13. उन्नत ऑक्सीकरण उपचार प्रौद्योगिकी -अधुननशील प्रदूषकों के उपचार के

लए भ वष्य की दिशा

- 14 ई-अप शष्ट एवं प्लास्टिक अप शष्ट प्रबंधन नियमावली के अंतर्गत वस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व के कार्यान्वयन की स्थिति की निगरानी
- 15 पर्यावरणीय नमूने और जीसीएमएस प्रचालन में वषाक्त भारी धातुओं के वश्लेषण के लए परिष्कृत उपकरण
- 16 वायु प्रदूषण का नियंत्रण, स्रोत वभाजन अध्ययन और उत्सर्जन सूची तैयार करना
- 17 शहरी वायु गुणवत्ता प्रबंधन
 - केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के एक सौ सत्रह (117) अ धकारियों ने अन्य संगठनों द्वारा आयोजित अंतर्देशीय प्र शक्षण कार्यक्रमों में भाग लया।
 - वर्ष 2020-21 के दौरान, के.प्र.नि.बो. के नए भर्ती कए गए प्रशासनिक संवर्ग के कर्मचारियों के लए दो सप्ताह का इन-हाउस प्रवेश प्र शक्षण कार्यक्रम आयोजित कया गया।
 - के.प्र.नि.बो., मुख्यालय/क्षेत्रीय निदेशालयों/परियोजना कार्यालय के प्रथम अपीलीय प्रा धकारी/केंद्रीय जन सूचना अ धकारियों के लए आईआईपीए, दिल्ली द्वारा "सूचना का अ धकार अ धनियम, 2005" पर एक दिवसीय ऑनलाइन प्र शक्षण कार्यक्रम भी आयोजित कया गया।
 - के.प्र.नि.बो. मुख्यालय/क्षेत्रीय निदेशालय, बेंगलुरु के तीन अ धकारियों ने 01-05 मार्च, 2021 के दौरान आईएसटीएम, दिल्ली द्वारा "संस्थापना नियम" पर आयोजित ऑनलाइन प्र शक्षण कार्यक्रम में भाग लया।
 - के.प्र.नि.बो. मुख्यालय/क्षेत्रीय निदेशालयों के छह अ धकारियों ने 15-18 मार्च, 2021 के दौरान अरूण जेटली नेशनल इंस्ट्रीट्यूट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट (एजेएनआईएफएम), फरीदाबाद द्वारा आयोजित "सार्वजनिक खरीद" पर ऑनलाइन प्र शक्षण कार्यक्रम में भाग लया।

अध्याय- 9

पर्यावरणीय जागरूकता एवं जन भागीदारी

9.1 रिपोर्टों/सकनीकी दस्तावेजों का प्रकाशन

वर्ष 2020-21 के दौरान निम्न लखत रिपोर्टों का प्रकाशन किया गया है:

- लघु और मध्यम स्तर के उद्योगों में पर्यावरणीय प्रबंधन के कार्य में लगे हुए कार्मिकों हेतु रेडी रेकनर;
- प्रमुख नदियों की जल गुणवत्ता पर लॉकडाउन का प्रभाव;
- परिवेशी वायु गुणवत्ता पर लॉकडाउन का प्रभाव;
- राष्ट्रीय परिवेशी वायु गुणवत्ता की स्थिति और प्रवृत्ति - 2019;
- प्रदूषण नियंत्रण अधिनियमों, नियमों और उसके अधीन जारी अधिसूचना के 7वें संस्करण को वर्ष 2020-2021 में अद्यतन और संकलित किया गया;
- हिंदी और अंग्रेजी में वार्षिक वर्ष 2020-21 की केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की वार्षिक रिपोर्ट।

9.2 सीपीजीआरएएम के माध्यम से लोक शिकायतों का निवारण

नागरिकों की शिकायतों के त्वरित और प्रभावी निवारण के लिए केंद्रीयकृत लोक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली (सीपीजीआरएएम) शुरू की गई है। यह प्रणाली मंत्रालयों/वभागों/संगठनों के लिए एकल खड़की शिकायत पोर्टल है, जो ऑनलाइन शिकायतों को प्राप्त करने और उनको दर्ज कर व भन्न स्तरों पर की गई कार्रवाई बताते हुए उनका निवारण करती है। प्रदूषण से संबंधित शिकायतों के प्र.नि.बो. को भेजी जाती हैं तथा जन शिकायतों को संबंधित प्रभागों/राज्यों द्वारा देखा जाता है और उत्तर को पोर्टल पर उपलब्ध कराया जाता है।

वार्षिक वर्ष 2019-20 के दौरान, सीपीजीआरएएम पोर्टल के माध्यम से 2070 जन शिकायतों का 15 दिनों से कम की अवधि में लगभग 100% निपटान दर के साथ सफलतापूर्वक निपटान किया गया।


9.3 पोर्टल / मोबाइल एप्लिकेशन बनाया जाना

वर्ष 2020-21 के दौरान, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने निम्न लखत पोर्टल्स बनाए हैं:

- औद्योगिक ई-पोर्टल:

व भन्न सरकारी एजेंसियों, जैसे केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, आईएमडी, आदि द्वारा औद्योगिक स्टेशन स्थापित किए गए थे। इसी शर्तों जैसी नियामक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उद्योगों द्वारा भी इसी तरह

के कई सीएएक्यूएमएस स्टेशन स्थापित किए गए हैं। उद्योगों द्वारा स्थापित अधिकांश स्टेशन राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता निगरानी नेटवर्क के लिए स्थापित विश्लेषण के समान हैं और ये केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड दिशानिर्देशों को पूरा करते हैं। इस लिए केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने औद्योगिक सीएएक्यूएमएस स्टेशनों, विशेष रूप से उन स्टेशनों से जो मानव बस्तियों के करीब प्राप्तकर्ता पर्यावरण की वायु गुणवत्ता का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं, से आंकड़े एकत्र करने की पहल की है। इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए, औद्योगिक परिसर में स्थापित स्वचालित परिवेशी वायु गुणवत्ता निगरानी प्रणाली से आंकड़े एकत्र करने, संग्रहित करने और विश्लेषण करने के लिए एक अलग औद्योगिक सीएएक्यूएमएस पोर्टल विकसित किया गया है। वायु गुणवत्ता के आंकड़ों की निगरानी और विश्लेषण के लिए पोर्टल से वृहत्त प्रकार की रिपोर्ट तैयार की जा सकती है। यह पोर्टल रेखाचित्र के साथ-साथ सारणीबद्ध प्रारूपों में आंकड़ों के प्रदर्शन में सक्षम है। इस पोर्टल पर <https://industrialambient.cpcbcr.com/#/p/login> से पहुंचा जा सकता है।




- कोवड-19 अपशुट के प्रबंधन के लिए रिपोर्टिंग और निगरानी प्रणाली

महामारी की असाधारण स्थिति में, कोवड-19 जैव चकत्सीय अपशुट के उत्पादन, संग्रहण और निपटान पर निगरानी रखने के लिए एक प्रणाली विकसित की गई है। इस ऐप को 10 दिनों की अवधि के भीतर तत्काल आधार पर तैयार किया गया था। अपशुट उत्पन्न करने वाले, अपशुट का हथालन करने वाले, सामूहिक जैव चकत्सा अपशुट उपचार सुवधाएं (सीबीडब्ल्यूटीएफ), राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/प्रदूषण नियंत्रण समितियां इस मोबाइल ऐप या वेब एप्लिकेशन का उपयोग कर सकते हैं। यह प्रणाली अपशुट उत्पादक को अपने अपशुट को पंजीकृत करने में, अपशुट हथालनकर्ताओं को अपशुट को उठाने के लिए, अपशुट हथालनकर्ताओं द्वारा परिवहन करके लिए गए अपशुट को सामूहिक जैव चकत्सा अपशुट उपचार सुवधाओं द्वारा स्वीकार करने में, और नियामकों को अपशुट के उत्पादन और उसके संचालन पर निगरानी रखने में सक्षम बनाती है। यह

प्रणाली अपने उपयोगकर्ताओं को वास्तविक समय के व भन्न आँकड़े भी प्रदान करती है। इस ऐप को यहां से डाउनलोड किया जा सकता है:

<https://play.google.com/store/apps/details?id=com.cpcb.bmw>



- एनएएमपी हेतु पर्यावरण वायु गुणवत्ता आंकड़ा प्र वष्टि प्रणाली (ईएक्यूडीईएस)

सूचना प्रौद्योगिकी प्रभाग ने एनएएमपी स्टेशनों से मैन्युअल परिवेशी वायु गुणवत्ता आंकड़े एकत्र करने के लिए ईएक्यूडीईएस को वकसत किया है। यह प्रणाली व भन्न राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों द्वारा संचालित किए जा रहे लगभग 850 एनएएमपी स्टेशनों से वायु गुणवत्ता के आंकड़े एकत्र कर रही है। इस पोर्टल पर यहाँ से पहुँचा जा सकता है: <https://namp.cpcbcr.com/>



- जागरूकता और जन शिकायत निवारण हेतु समीर ऐप



टीमों द्वारा शीतकाल सत्र में स्वच्छ वायु अभियान के दौरान अपने क्षेत्र के प्रेक्षण के लिए भी इस ऐप का उपयोग किया गया था।

नवंबर, 2018 से अब तक समीर ऐप पर लगभग 30,000+ जन शकायतें प्राप्त हुई थीं। इनमें से लगभग 80% शकायतों (27000+) को दिल्ली एनसीआर में 42 कार्यान्वयन एजेंसियों, जिनके आंचलक और क्षेत्रीय कार्यालयों की संख्या की मिलाकर 100 से अधिक एजेंसियां हैं, के साथ समन्वय के माध्यम से हल किया गया।

एक्यूआई का स्नैपशॉट

मान चित्र दृश्य:- यह मान चित्र प्रदर्शन पर किसी शहर के लिए औसत एक्यूआई दर्शाता है।



सूची दृश्य: - यह सूची दृश्य में औसत एक्यूआई मान दर्शाता है।

India's Air Quality Index	
City Level AQI	Last Updated
12 Aug, 2021 11:05 AM	
Total number of City : 128	
Agartala	42
Agra	73
Ahmedabad	80
Aizawl	21
Ajmer	75
Alwar	81
Amaravati	39
Ambala	87
Amritsar	115
Ankleshwar	74
Asansol	55
Aurangabad	69
Bagalkot	36
Baghpat	131
Bahadurgarh	69

- **प्रदूषक वार 24 घंटों की प्रवृत्ति** : यह चयनित स्टेशन पर निगरानी रखने वाले वाहन भन्ने परिवेशी वायु गुणवत्ता प्रदूषकों के लिए वस्तुतः दृश्य प्रदान करता है।



- एक्यूआई कैलेंडर: - यह स्टेशनवार मा सक एक्यूआई ववरण को दर्शाता है।



- वायु प्रदूषण से संबंधित सुझाव या शिकायत को फोटो सहित प्रस्तुत करने में लोक मंच सहायता करता है।

- के.प्र.नि.बो. सोशल मीडिया मंच

चूंकि सोशल मीडिया अब दोतरफा संचार के लिए प्रमुख डिजिटल माध्यम बन चुका है, इस लिए केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने प्रदूषण से संबंधित मुद्दों पर जानकारी के प्रसार करने, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के कार्यों, योजनाओं और गति व धर्यों के बारे में जागरूकता उत्पन्न करने और नागरिकों को वायु प्रदूषण से संबंधित प्रश्नों को उठाने के लिए के.प्र.नि.बो. तक पहुंचने की सुविधा प्रदान करने के लिए व भन्न सोशल मीडिया मंचों पर सोशल मीडिया हैंडल बनाए हैं। वर्तमान में के.प्र.नि.बो. ट्विटर, फेसबुक और इन्स्टाग्राम पर उपलब्ध है। व भन्न सोशल मीडिया मंचों पर 10000 से अधिक शिकायतें प्राप्त हुई हैं और इनमें से 60% शिकायतों का निपटारा किया जा चुका है।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में वायु प्रदूषण संबंधी शिकायतों के निवारण के लिए सोशल मीडिया एकाउंट्स का प्रभावी ढंग से उपयोग किया जा रहा है।

सोशल मीडिया पोस्ट की कुछ झलकियां

- ऑनलाइन सतत उत्सर्जन और बहिःस्राव निगरानी प्रणाली (ओसीईएमएस)

देश में अत्यधिक प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों में ऑनलाइन सतत उत्सर्जन और बहिःस्राव निगरानी प्रणाली स्थापित की गई है और सृजित किए गए आंकड़ों को वास्तविक समय के आधार पर के.प्र.नि.बो./रा.प्र.नि.बो. को अंतरित किया जा रहा है। आंकड़ों की अधिकता आधार पर, अलर्ट संदेश बनाकर उद्योगों के प्रतिनिधियों तथा रा.प्र.नि.बो. एवं के.प्र.नि.बो. के अधिकारियों सहित इस प्रणाली के सभी पणधारकों को उद्योगों से होने वाले प्रदूषण को नियंत्रण करने के लिए तत्काल सुधारात्मक कार्रवाई हेतु अवलंब अग्रसारित किया जा रहा है। अब तक, स्व-नियमन कार्यक्रम के अंतर्गत **6000** से अधिक औद्योगिक इकाइयाँ ओसीईएमएस के माध्यम से के.प्र.नि.बो. को अपने वास्तविक समय उत्सर्जन और बहिःस्राव आंकड़े भेज रही हैं, जिसके आधार पर प्रदूषणकारी इकाइयों का भौतिक निरीक्षण किया जा रहा है। इसके अलावा, सूचना प्रौद्योगिकी प्रभाग ने सीईटीपी/एसटीपी में स्थापित ओसीईएमएस के अंशांकन के लिए प्रोटोकॉल के एक तकनीकी ऑडिट को भी किया।

उद्योगों की ओसीईएमएस आधारित निगरानी और वनियमन की वर्तमान स्थिति, के.प्र.नि.बो. दिशानिर्देशों के पुनरीक्षण की आवश्यकता, आंकड़ों के विश्लेषण, सीईएमएस में गुणवत्ता आश्वासन आदि की समीक्षा के लिए एक कार्यदल का गठन किया गया है। ओसीईएमएस पर इस कार्यदल का गठन पर्यावरण, उपकरणीय, सूचना प्रौद्योगिकी, उद्योग और नियामक एजेंसियों का प्रतिनिधित्व करने वाले विविध क्षेत्रों के विशेषज्ञों को शामिल करके किया गया है।

- प्रयोगशाला सूचना प्रबंधन प्रणाली परियोजना

प्रयोगशाला सूचना प्रबंधन प्रणाली (लम्स) आधुनिक प्रयोगशाला के प्रचालन की सुवधाओं सहित एक सॉफ्टवेयर आधारित साधन है। इसकी प्रमुख विशेषताओं में दैनिक कार्यप्रवाह जैसे नमूने की प्राप्ति, आवंटन, विश्लेषण का सत्यापन, रिपोर्ट तैयार करना आदि का क्रयान्वयन करना शामिल है। इसके अलावा, लम्स प्रयोगशालाओं में सामग्री सूची प्रबंधन, आंकड़ों की निगरानी, आंकड़ों का प्रबंधन, आंकड़ों के विश्लेषण और आंकड़ों के वनिमय इंटरफेस की सुवधा भी उपलब्ध कराएगा। वर्तमान में परियोजना प्रारंभिक चरण में है जिसमें आरएफपी तैयार कर ली गई है।

- नाइट्रोजन संयंत्र को चकत्सीय ऑक्सीजन संयंत्र में बदलने के लिए पोर्टल

कोवड-19 महामारी की स्थिति को ध्यान में रखते हुए और देश में चकत्सीय प्रयोजनों के लिए ऑक्सीजन की उपलब्धता को और बढ़ाने के लिए, केंद्रीय सरकार ने केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (के.प्र.नि.बो.) को अतिरिक्त नाइट्रोजन संयंत्र वाले उद्योगों की पहचान करने और मौजूदा नाइट्रोजन संयंत्रों को आक्सीजन के उत्पादन के लिए परिवर्तित करने की व्यवहार्यता का पता लगाने के लिए कहा था। अपने नाइट्रोजन संयंत्रों को चकत्सीय ऑक्सीजन संयंत्रों में परिवर्तित करके अपनी सेवाएं देने के इच्छुक उद्योगों द्वारा आंकड़ों को प्रस्तुत करने के लिए एक पोर्टल तैयार किया गया।

- एसटीपी मोबाइल एप्लीकेशन

यह ऐप एसटीपी से शहरी स्थानीय निकायों, राज्यों और केंद्रीय स्तर तक सूचना प्रवाह की सुवधा प्रदान करेगा और इसमें 1600+ एसटीपी को जोड़ा जाएगा। इस ऐप को मोबाइल ऐप स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है। क्षमता और गुणात्मक मानकों की सूचना, जैसे पीएच, टीएसएस, सीओडी, बीओडी और फीकल कॉलीफॉर्म को रिपोर्ट किया जाएगा और साप्ताहिक आधार पर इसका अद्यतन किया जाएगा।

- ई-ऑफिस का क्रयान्वयन

के.प्र.नि.बो. मुख्यालय और इसके क्षेत्रीय निदेशालयों में ई-ऑफिस फ़ाइल प्रबंधन प्रणाली सफलतापूर्वक कार्य कर रही है। फाइलों का भौतिक संचलन या हथालन अब काफी हद तक समाप्त हो गया है और फाइलों की प्रोसेसिंग आसान, कुशल और पारदर्शी हो गई है। (ई-छुपी प्रबंधन प्रणाली (ई-एलएमएस) और दौरा प्रबंधन प्रणाली का क्रयान्वयन प्रगति पर है।

9.5 के.प्र.नि.बो. की वेबसाइट

वेबसाइट जनता के बीच व भन्न क्षेत्रों/सेक्टरों में प्रदूषण और इसकी रोकथाम तथा नियंत्रण से संबंधित मामलों के संबंध में सूचना के प्रसार के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। के.प्र.नि.बो. की वेबसाइट आंकड़े साझा करती है। इसमें राष्ट्रव्यापी मैन्युअल आंकड़ों सहित वास्तविक समय के वायु गुणवत्ता, जल गुणवत्ता, रव प्रदूषण, औद्योगिक प्रदूषण आदि के विषय में जानकारी शामिल है। इसके अलावा, वेबसाइट व भन्न मानकों, वायु गुणवत्ता सूचकांक, अपशिष्ट प्रबंधन के आंकड़ों, टिप्पणियों/सुझावों पर दिशानिर्देशों, तकनीकी रिपोर्टों, प्रकाशनों, निवेदनों, भर्तियों, व भन्न उद्योगों/प्राधकरणों/राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों/प्रदूषण नियंत्रण समितियों को जारी किए गए निर्देशों आदि के बारे में जानकारी प्रदान करती है। वेबसाइट को हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में देखा जा सकता है। वेबसाइट पर जनता के लिए

पूछताछ प्रति क्रिया प्रपत्र और वायु गुणवत्ता शकायत प्रपत्र है। वेबसाइट पर इन-हाउस तैयार कए गए सभी ई-गवर्नेंस पोर्टल्स के लंक दिए गए हैं। के.प्र.नि.बो. ने एसटीक्यूसी निदेशालय, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार से मानकीकरण परीक्षण और गुणवत्ता प्रमाणन प्राप्त कया है।

9.6 केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में संघ की राजभाषा नीति का कार्यान्वयन

राजभाषा प्रभाग संवधान के राजभाषा संबंधी प्रावधानों, यथा अनुच्छेद 343 से 351 एवं अन्य राजभाषा से जुड़े संवैधानिक उपबंधों, राजभाषा अधिनियम, 1963, राजभाषा संकल्प, 1968, राजभाषा नियम, 1976 एवं राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय द्वारा जारी वार्षिक कार्यक्रम, माननीय संसदीय राजभाषा समिति के निरीक्षण एवं तत्संबंधी अनुवर्ती कार्रवाइयों, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय के निरीक्षण एवं तत्संबंधी अनुवर्ती कार्रवाइयों, मंत्रालय के निरीक्षण एवं तत्संबंधी अनुवर्ती कार्रवाइयों, राजभाषा विभाग के विभिन्न आदेशों के अनुपालन के संबंध में यथा-अपेक्षित कार्रवाई करने, कार्यशालाओं का आयोजन, हिंदी दिवस का आयोजन, प्रभागों एवं क्षेत्रीय कार्यालयों का राजभाषा निरीक्षण जैसे महत्त्वपूर्ण कार्यों का निष्पादन कर रहा है। राजभाषा प्रभाग के विविध प्रकृति के कार्यों के मुख्यतः दो आयाम हैं; राजभाषा कार्यान्वयन एवं अनुवाद कार्य।

9.6.1 राजभाषा कार्यान्वयन

राजभाषा प्रभाग राजभाषा कार्यान्वयन के क्रम में अत्यधिक प्रयासरत है कि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में राजभाषा कार्यान्वयन से संबन्धित सभी दिशा-निर्देशों का समुचित पालन कया जाए। इस क्रम में राजभाषा प्रभाग द्वारा मुख्य रूप से निम्न कार्यों का निष्पादन कया गया है:-

- माननीय संसदीय राजभाषा समिति के निरीक्षण से संबंधित कार्य एवं समन्वय: दिनांक 26.10.2020 को माननीय संसदीय राजभाषा समिति द्वारा निरीक्षण कया गया। इस निरीक्षण के लिए सभी आवश्यक कार्रवाई नियत समय में पूर्ण की गई। माननीय समिति के दिशानिर्देशों के अनुपालन में अनुवर्ती कार्रवाई की गई।
- कार्यशालाओं का आयोजन : हिंदी में कामकाज को बढ़ाने, इस संबंध में आने वाली समस्याओं को दूर करने तथा अधिकारियों/कर्मचारियों को हिंदी में कामकाज करने के लिए प्रेरित करने के लिए केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में हर तिमाही में एक कार्यशाला का आयोजन कया जा रहा है। कोविड-19 के प्रसार को रोकने के दिशानिर्देशों को देखते हुए, वर्ष 2020-21 के दौरान 05 कार्यशालाएं ऑनलाइन माध्यम से आयोजित की गई हैं।
- हिंदी प्रोत्साहन योजना लागू करना: संगठन में राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय के दिशानिर्देशों के अनुपालन में हिंदी प्रोत्साहन योजना लागू की गई है। हिंदी में अधिक कार्य कराने वाले पात्र प्रतिभागियों को नकद पुरस्कार प्रदान कए गए हैं।

- राजभाषा वभाग (गृह मंत्रालय) से हिन्दी भाषा, आशु ल प एवं टंकण प्र शक्षण के लए अ धकारियों कर्मचारियों को ना मत करना: हिंदी ज्ञान, हिन्दी आशु ल प एवं टंकण प्र शक्षण के लए पात्र अ धकारियों/ कर्मचारियों को चरणबद्ध रूप से राजभाषा वभाग द्वारा संचालित पाठ्यक्रमों के लए ना मत कया गया।
- व्यक्तिशः आदेश जारी करना: राजभाषा नियम, 1976 के 8(4) के अधीन अध्यक्ष महोदय के हस्ताक्षराधीन कुल 196 अ धकारियों/कर्मचारियों को व्यक्तिशः आदेश जारी कए गए।
- क्षेत्रीय निदेशालयों और प्रभागों के राजभाषा कामकाज का निरीक्षण: राजभाषा वभाग के दिशानिर्देशों के अनुपालन में कुल 9 प्रभागों और कुल 3 क्षेत्रीय निदेशालयों का राजभाषा निरीक्षण कया गया।
- हिन्दी दिवस का आयोजन: को वड-19 के प्रसार को रोकने के दिशानिर्देशों का अनुपालन करते हुए वर्ष 2020-21 के दौरान, ऑनलाइन माध्यम से हिंदी दिवस का आयोजन कया गया। हिंदी दिवस से पूर्व हिंदी पखवाड़े के दौरान व भन्न प्रतियो गताओं का आयोजन कया गया तथा वजित प्रतिभा ग्यों को नकद पुरस्कार प्रदान कए गए।
- जांच बिन्दु स्था पत कया जाना: राजभाषा वभाग, गृह मंत्रालय के निदेशों के अनुपालन में जांच बिन्दु स्था पत कए गए।
- अनुभागों/प्रभागों को हिंदी में कामकाज करने के लए वनिर्दिष्ट करना: राजभाषा वभाग के निदेशों के अनुसार, कुल 20 प्रभागों को समस्त कार्य हिन्दी में करने हेतु वनिर्दिष्ट कया जा चुका है।
- हिंदी की पुस्तकों की खरीद: पुस्तकालय से समन्वय स्था पत करके राजभाषा वभाग एवं संसदीय राजभाषा स मति के निदेशों के अनुसार, वर्ष 2020-21 के दौरान, हिन्दी पुस्तकों की खरीद की गई है तथा इस संबंध में निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति की गई है।
- कम्प्यूटरों में हिन्दी यूनिकोड की व्यवस्था: व भन्न प्रभागों और अ धकारियों के कम्प्यूटर में यूनिकोड स्था पत करने तथा हिन्दी यूनिकोड के माध्यम से हिन्दी टंकण करने में सहायता उपलब्ध कराई गई है।
- वभागीय राजभाषा कार्यान्वयन स मति की बैठक का आयोजन: प्रत्येक तिमाही में वभागीय राजभाषा स मति की बैठक आयोजित की जा रही है।
- क्षेत्रीय निदेशालयों के राजभाषा कार्यान्वयन से संबंधित वषय: क्षेत्रीय निदेशालयों के राजभाषा संबंधित वषयों पर भी कार्रवाई की गई है। इस क्रम में सभी क्षेत्रीय निदेशालयों में वभागीय राजभाषा स मति के गठन हेतु निदेश जारी करने, हिन्दी दिवस के आयोजन, प्र शक्षण आदि वषयों पर कार्रवाई की गई है।
- मंत्रालय की वभागीय राजभाषा कार्यान्वयन स मति की बैठक में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का प्रतिनिधत्व: मंत्रालय के द्वारा वभागीय राजभाषा कार्यान्वयन स मति का पुनर्गठन कया गया है तथा इसमें केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड भी शामिल है। तदनुसार,

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की वभागीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का प्रतिनिधित्व किया गया है।

9.6.2 अनुवाद कार्य

- केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड मुख्यतः एक वैज्ञानिक/तकनीकी संगठन है। राजभाषा प्रभाग नियमित रूप से प्राप्त होने वाले काफी संख्या में आदेशों, परिपत्रों, पत्रों, अधिसूचना, वज्ञापनों आदि का हिंदी अनुवाद किया गया।
- इसके अतिरिक्त, संसदीय प्रश्नों का हिंदी अनुवाद, वार्षिक रिपोर्ट का अनुवाद, लेखापरीक्षा रिपोर्ट का हिंदी अनुवाद जैसे महत्त्वपूर्ण अनुवाद कार्य संपादित किए गए।
- साथ ही सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के लिए रेडी रेकनर का अनुवाद भी वर्ष 2020-21 की अवधि के दौरान किया गया है।

अध्याय-10

पर्यावरणीय मानक

10.1 पर्यावरणीय मानकों का विकास

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफएंडसीसी) पर्यावरणीय प्रदूषण के निवारण और पर्यावरण की गुणवत्ता में सुधार तथा पर्यावरण के संरक्षण के उद्देश्य से उद्योगों, संक्रयाओं, प्रक्रमों से पर्यावरणीय प्रदूषकों, नामतः वायु प्रदूषक, जल प्रदूषक और रव (शोर) सीमा के उत्सर्जन/निस्सरण के लए मानकों को तैयार तथा अधसूचत करता है। सभी संबं धत पणधारकों से परामर्श करके मानकों को तैयार कया जाता है। मानकों के वकास की प्र क्रया उत्कृष्ट कार्यप्रणा लयों और तकनीकी-आ र्थक व्यवहार्यता पर आधारित है। मानकों की अधसूचना में भार आधारित मानक, अर्थात संसाधन संरक्षण और संसाधन उपयोग दक्षता में सुधार और प्रोत्साहन हेतु प्रति उत्पादित प्रक्रम की गई इकाई के प्रदूषकों के उत्सर्जन/निस्सरण की सीमा भी शा मल है।

कसी भी औद्यो गक प्र क्रया प्रचालन के लए मसौदा मानकों की सफारिश केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (के.प्र.नि.बो.) द्वारा 'मसौदा अधसूचना' के रूप में की जाती है। मसौदा अधसूचना आम जनता सहित पणधारकों से परामर्श के अध्थीन होती है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा टिप्प णयों को संक लत कया जाता है एवं तकनीकी रूप से जांचा जाता है और यदि कोई संशोधन हो तो, मसौदा अधसूचना में संशोधन कया जाता है। संशो धत मसौदा अधसूचना को अनुमोदन के लए पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की वशेषज्ञ स मति (ईसी) के समक्ष रखा जाता है। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधकारियों के अलावा इस वशेषज्ञ स मति (ईसी) में उद्योग संघों, वषय वशेषज्ञों और संबं धत मंत्रालयों के प्रतिनि ध शा मल होते हैं। वशेषज्ञ स मति (ईसी) द्वारा अनुशंसत मसौदा अधसूचना को माननीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री महोदय के समक्ष अनुमोदन के लए रखा जाता है। प्रस्ताव को आवश्यक व धक मूल्यांकन कए जाने के पश्चात् इसे की मंजूरी के लए प्रस्तुत कया जाता है और तब अंतिम अधसूचना भारत के राजपत्र में प्रका शत की जाती है।

2020-21 के दौरान पर्यावरण मानकों तैयार करने की स्थिति संक्षेप में नीचे दी गई है:

- 2020-21 में प्रदूषण नियंत्रण अधिनियमों, नियमों और उसके अंतर्गत जारी अधिसूचना के 7वें संस्करण का अद्यतन और संकलन किया गया।
- माननीय सर्वोच्च न्यायालय और राष्ट्रीय हरित अधिकरण के निर्देशों के अनुसार, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/प्रदूषण नियंत्रण समिति के अध्यक्ष और सदस्य सचिवों के लिए भर्ती नियमों की अधिसूचना और उनकी नियुक्ति के लिए राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/प्रदूषण नियंत्रण समिति के साथ निरंतर अनुवर्ती कार्यवाई।
- भारत के राजपत्र में अधिसूचित जम्मू और कश्मीर और लद्दाख प्रदूषण नियंत्रण समितियों के गठन के लिए अधिसूचना।
- हॉट मक्स प्लांट के लिए मानक प्रस्तावत किए गए हैं और वे निम्नानुसार हैं:

क्रम सं.	हॉट मक्स प्लांट का प्रकार	प्रस्तावत उत्सर्जन मानक (एमजी/एनएम ³)
1.	बैच हॉट मक्स प्लांट	150
2.	ड्रम हॉट मक्स प्लांट	300

- जनता की सुविधा के लिए "राष्ट्रीय पर्यावरण व ध पोर्टल" को डजाइन करने का कार्य प्रगति पर है।
- औद्योगिक बॉयलरों और पांच औद्योगिक क्षेत्रों (सरेमक, फाउंड्री, काँच, चूना भट्टा और रीहीटिंग फर्नेस) के लिए एसओ₂ और एनओ_x मानकों का प्रारंभ।
- पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के अंतर्गत समुद्री जल (एसडब्ल्यू)-III और एसडब्ल्यू-वी जल हेतु प्राथमिक जल गुणवत्ता मानदंड में संशोधन की अधिसूचना वचाराधीन है।
- पीड़कनाशी कीटनाशक उद्योग, लुगदी और कागज और आसवनी के मानकों की समीक्षा और सीओआईएनडीएस तैयार किया जाना प्रक्रियाधीन है।
- निम्नलिखित क्षेत्रों के लिए मसौदा मानकों को अंतिम रूप दिया जाना प्रक्रियाधीन है:
 - डीजल लोकोमोटिव
 - जेनसेट इंजनों के लिए उत्सर्जन मानदंड
 - लौह और इस्पात उद्योग
- वीओसी मानकों सहित दवा उद्योग के पर्यावरण मानक अधिसूचना हेतु प्रक्रियाधीन है।


- कॉस्टिक सोडा उद्योग (मेम्ब्रेन सेल) के लए सीओआईएनडीएस और पर्यावरण मानक तैयार कए जाने हेतु प्रक्रयाधीन हैं।
- माननीय सर्वोच्च न्यायालय और राष्ट्रीय हरित अधकरण के निदेशों के अनुसार, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, प्रदूषण नियंत्रण समिति के अध्यक्षों और सदस्य सचवों के लए भर्ती नियमों और उनकी नियुक्तियों की अधसूचना राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, प्रदूषण नियंत्रण समिति के साथ प्रक्रयाधीन है।

11.1 न्यायालय/अधकरण के मामलों की स्थिति

भारत के सभी न्यायालयों के समक्ष व्यष्टियों, संस्थाओं, संगठनों आदि द्वारा दायर न्यायालय/अधकरण के मामलों, जिसमें केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने वर्ष 2020-21 के दौरान प्रतिवादी के रूप में पक्ष रखा है, की स्थिति ता लका 11.1 में दी गई है।

ता लका 11.1: वर्ष 2020-21 के दौरान न्यायालय/अधकरण के मामलों की स्थिति

ववरण	सर्वोच्च न्यायालय	उच्च न्यायालय	राष्ट्रीय हरित अधकरण प्रधान पीठ	राष्ट्रीय हरित अधकरण आंच लक पीठ
माचे, 2020 की स्थिति	93	226	235	234
वर्ष 2020-21 के दौरान नए मामले	48	53	58	47
वर्ष 2020-21 के दौरान निपटाए गए	10	10	123	41
माचे, 2021 की स्थिति	131	269	170	240



ता लका 11.1: वर्ष 2020-21 के दौरान कार्यवाही किए गए न्यायालय/अधकरण के मामलों की स्थिति

2020-21 के दौरान माननीय राष्ट्रीय हरित अधकरण न्यायालय में निम्न लखत मामलों में कार्यवाही की गई है:

- दिनांक 30.06.2020 को वशाखापत्तनम के बाहरी इलाके परवाड़ा औद्योगिक क्षेत्र में सैनोर लाइफ साइंसेज फैक्ट्री में बेंज़ि मडाज़ोल गैस रिसाव के परिणामस्वरूप पर्यावरण और मानव स्वास्थ्य को क्षति होने के संबंध में " वजाग फैक्ट्री में एक और गैस रिसाव से दो की मौत,

चार गंभीर रूप से घायल" ओए संख्या 106/2020 (पीबी) का मामला।

- आंध्र प्रदेश के कुर्नूल जिले के नंदयाल में अमोनिया गैस रिसाव दुर्घटना के संबंध में ओए संख्या 107/2020 (पीबी) का मामला।
- दिनांक 13.07.2020 को फार्मा सटी में रामकी सीईटीपी सॉल्वेंट्स बिल्डिंग में लगी भीषण आग की चपेट में आए वशाखा सॉल्वेंट्स ल मटेड, वजाग के रासायनिक संयंत्र के संबंध में ओए नंबर 134/2020/पीबी का मामला।
- माननीय राष्ट्रीय हरित अधकरण ने उपर्युक्त मामलों में अपने आदेशों में पी इतों के लए अंतिम क्षतिपूर्ति का आकलन करने और पर्यावरण की बहाली और भ वष्य में सावधानियों के लए सुझाव देने हेतु एक स मति (केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, जिला मजिस्ट्रेट (वशाखापत्तनम), आंध्र वश्व वद्यालय, वजाग) का गठन कया।
- माननीय राष्ट्रीय हरित अधकरण ने ओए संख्या 804/2017 (पीबी), राजीव नारायण और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य के मामले में परिसंकटमय एवं अन्य अप शष्ट (प्रबंधन एवं सीमापारीय परिवहन नियम, 2019 ("एचओडब्ल्यूएम रूल्स") के अनुपालन और संदू षत स्थलों के मूल्यांकन और उपचार पर वचार कया। माननीय राष्ट्रीय हरित अधकरण के दिनांक 30.07.2018 के आदेश के अनुसार, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा एचओडब्ल्यूएम नियमों के अनुपालन की स्थिति और संदू षत स्थलों की स्थिति के बारे में जानकारी संक लत करने के लए एक निगरानी स मति के गठन कया गया। तदनुसार, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और सभी राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों और प्रदूषण नियंत्रण स मतियों द्वारा एचडब्ल्यूएम नियमों के अनुपालन और संदू षत स्थलों पर स्थिति पर रिपोर्ट दा खल की गई।

11.2 क्षेत्रीय निदेशालयों द्वारा राष्ट्रीय हरित अधकरण के मामलों की स्थिति

क्षेत्रीय निदेशालय ने निम्न ल खत न्यायालयी मामलों पर कार्य कया है:

- ओए संख्या 111/2020 के मामले में कर्नाटक की थेनपेन्नई नदी की गुणवत्ता को बहाल करने के लए माननीय अधकरण के निर्देशों के अनुसार, थेनपेन्नई नदी के प्रदूषण के कारणों की जांच करने और स्रोतों का पता लगाने और कार्य योजना प्रस्तुत करने के लए संयुक्त स मति को निदेश दिया गया। यह ज्ञात हुआ है क थेनपेन्नई नदी के जल की गुणवत्ता ना मत सर्वोत्तम उपयोग मानदंड की ई-श्रेणी (संचाई, औद्योगिक शीतलन, नियंत्रित अप शष्ट निपटान) के अंतर्गत आती है।
- माननीय राष्ट्रीय हरित अधकरण ने ओए सं. 125/2017, न्यायालय द्वारा स्वतः संज्ञान बनाम कर्नाटक राज्य के मामले में दिनांक 13.08.2020 को व्यापक डेटाबेस के लए बेलंदूर और वरथुर झीलों में उपयुक्त निरूपक स्थानों से गाद/कीचड़ के नमूने लेने और केंद्रीय प्रदूषण

नियंत्रण बोर्ड के परामर्श से निपटान प्रोटोकॉल को अंतिम रूप देने हेतु आदेश पारित किया।

- माननीय राष्ट्रीय हरित अधकरण ने ओए सं. 71/2017, कर्नाटक के मामले में अवैध रेत खनन के कारण सीता नदी पर पर्यावरणीय क्षति और उसकी बहाली की लागत का आकलन करने का निदेश दिया। स मति ने निम्नानुसार आकलन किया है:

i. सीआरजेड अधसूचना, 2011 और ईआईए अधसूचना 2006 के अधीन आवश्यक स्वीकृति प्राप्त किए बिना सीता नदी में 535 मीटर लंबाई में किए गए तलकर्षण के लिए पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति।

ii. सीता नदी के हिस्से को भरने के लिए 47,155 क्यूबिक मीटर तलकर्षण सामग्री की डंपिंग और सीआरजेड (पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील मेंग्रोव बफर ज़ोन और मछली प्रजनन) क्षेत्र में लगभग 5.9 एकड़ भूमि को पुनःप्राप्ति हेतु पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति।

iii. 5.9 एकड़ पुनः प्राप्त भूमि की बहाली लागत

क. 5.9 एकड़ में भंडारित तलकर्षण सामग्री को हटाना।

ख. भंडारित तलकर्षण सामग्री के चारों ओर बने बांध को हटाना।

ग. मेंग्रोव की बहाली की लागत।

पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की कुल लागत 2,00,65,165/- रुपये होने का अनुमान लगाया गया और इसे राष्ट्रीय हरित अधकरण को प्रस्तुत किया गया था।

- ओए 395/2013, ओए 396/2013, ओए 262/2017 और ओए संख्या 242/2016 के मामले में, माननीय राष्ट्रीय हरित अधकरण ने पेरियार नदी के प्रदूषण के संबंध में रिपोर्ट पर विचार किया। संयुक्त स मति ने विचार-वमर्श के आधार पर तीन चरणों में पेरियार नदी की निम्नानुसार निगरानी करने का निर्णय लिया है:

i. चरण 1 में, इडुक्की जिले में पेरियार नदी और नदी के किनारे के प्रतिष्ठानों की निगरानी / निरीक्षण का कार्य पूर्ण किया गया।

ii. चरण 2 में, एर्नाकुलम जिले में पेरियार नदी, सहायक नदियों और आसपास के नालों की निगरानी पूरी की गई।

iii. चरण 3 में एर्नाकुलम जिले में उद्योगों / प्रतिष्ठानों के निरीक्षण की योजना बनाई गई थी, किंतु कोवड-19 के प्रतिबंधों के कारण अभी तक निगरानी नहीं की जा सकी है।

- माननीय राष्ट्रीय हरित अधकरण ने ओए 76/2019 के मामले में केरल के कोल्लम जिले में तटीय हिस्सों में असंवहनीय खनन के कारण पर्यावरणीय नुकसान का आकलन

करने का निदेश दिया। केरल राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने उद्योगों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है।

- माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने ओए संख्या 104/2020 के मामले में ईसी शर्तो, सीटीओ और एचडब्ल्यूएम नियम, 2016 के अधीन प्राधिकार और पर्यावरण को हुए नुकसान के संदर्भ में मैसर्स मदर अर्थ एनवायरो प्राइवेट लिमिटेड (एमईईपीएल), टीएसडीएफ के अनुपालन का सत्यापन करने का निदेश दिया। समिति ने 3,13,50,000/- रूपए की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति का आकलन किया।
- माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने ओए संख्या 26/2013 के मामले में फ्लाई ऐश प्रबंधन, राख तालाब, परिवेशी वायु गुणवत्ता, पलायक उत्सर्जन आदि के क्षेत्र में पर्यावरणीय उल्लंघनों के कारण पर्यावरणीय क्षति का आकलन करने का निदेश दिया, जिससे निस्संदेह पर्यावरण और क्षेत्र की पारिस्थितिकी को गंभीर नुकसान पहुंचा है। समिति ने वायु जनित रोगों से होने वाले रोगों की लागत पर वचार करते हुए 15,57,26,392/- रूपए के पर्यावरण क्षतिपूर्ति का आकलन किया।
- माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने ओए 34/2019 के मामले में कोल्हार औद्योगिक क्षेत्र, बीदर, कर्नाटक में स्थित उद्योगों से पर्यावरण को हुए नुकसान के लिए पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति का आकलन करने का निदेश दिया।
- येलहंका, बेंगलुरु में मैसर्स कर्नाटक पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा संचालित बिजली संयंत्र में गैस टरबाइन हुए वस्फोट के संबंध में ओए 229/2020 के मामले से संबंधित है। समिति ने उक्त घटना से 10.1178 लाख रूपए की पर्यावरणीय क्षति का आकलन किया है।
- ओए संख्या 60/2021 मैसर्स यूपीएल, झगड़्या, भरुच में हुई आग दुर्घटना के संबंध में है। संयुक्त समिति ने इस मामले की नोडल एजेंसी, जीपीसीबी के माध्यम से माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण को दुर्घटना के संभावित कारण, जीवन और संपत्ति के नुकसान, पर्यावरणीय क्षति, संवहनीय क्षमता मूल्यांकन और पीड़ितों को क्षतिपूर्ति का ववरण शामिल करते हुए एक वस्तु रिपोर्ट प्रस्तुत की है।
- ओए संख्या 07/2020 (आईए संख्या 94/2020) सीईटीपी नरोदा (अहमदाबाद) और सदस्य उद्योगों के गैर-अनुपालन और साबरमती नदी में प्रदूषण से संबंधित है। संयुक्त समिति (जीपीसीबी, सीपीसीबी और आईआईटी गांधीनगर) ने माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण को रिपोर्ट सौंप दी है। इसके अलावा, जैसा कि निदेश दिया गया था,

सीपीसीबी और जीपीसीबी के सदस्यों की संयुक्त समिति द्वारा उपचारात्मक उपायों और पर्यावरण मुआवजे का सुझाव देने के लिए एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी।

निम्न लखत न्यायालयी मामलों में भी क्षेत्रीय निदेशालयों द्वारा कार्यवाही की गई और माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण को एक वस्तुतः रिपोर्ट प्रस्तुत की गई:

- ओए संख्या 22/2020 मैसर्स यशस्वी रसायन प्राइवेट लिमिटेड, दाहेज में घातक दुर्घटना के संबंध में;
- मुंबई महानगरीय क्षेत्र में सीवेज अपशुद्ध प्रबंधन के संबंध में ओए 197/2019 के मामले में;
- मैसर्स जुबिलेंट लाइफ साइंसेज, नीरा से प्रदूषण के संबंध में ओए 07/2014 के मामले में;
- मैसर्स देवेश पेपर मल, पांडेसरा (सूरत) से होने वाले प्रदूषण के संबंध में ओए 909/2019 के मामले में;
- मैसर्स साहिल एंटरप्राइज, नारोल, अहमदाबाद में घातक दुर्घटना के संबंध में ओए संख्या 258/2020 के मामले में;
- मैसर्स चंद्रपुर सुपर थर्मल पावर स्टेशन (सीएसटीपीएस), चंद्रपुर, महाराष्ट्र से होने वाले प्रदूषण के संबंध में ओए संख्या 74/2020 के मामले में;
- जिला कच्छ, गुजरात में मैसर्स आशापुरा ग्रुप ऑफ कंपनीज द्वारा प्रदूषण कानूनों के उल्लंघन के संबंध में 669/2018 के मामले में;
- कल्याण-डोंबिवली क्षेत्र में उल्हास और वाल्हुनी नदियों में प्रदूषण से संबंधित माननीय सर्वोच्च न्यायालय (एससी) की सर्वल अपील संख्या 10582/2017 और आईए संख्या 53816/2020 के आदेश अनुपालन में;
- पुणे एवं सतारा क्षेत्र की 06 औद्योगिक इकाइयों से अनाधिकृत बहिःस्राव के कारण नीरा नदी में प्रदूषण के संबंध में ओए संख्या 555/2019 मामले में;
- जेतपुर तालुका में रंगाई और छपाई इकाइयों के कारण भादर नदी में प्रदूषण के संबंध में ओए सं. 616/2019 के मामले में;
- ज्वारनदमुख हेतु जल गुणवत्ता मानकों को मापने हेतु मानदंड तैयार करने के संबंध में ओए संख्या 628/2019 के मामले में।

अध्याय - 13

वर्ष 2021-2022 की वार्षिक कार्य योजना

13.1 वत्त वर्ष 2020-21 के दौरान प्रमुख उपलब्धियां

- वत्त वर्ष 2020-2021 के दौरान प्रमुख उपलब्धियां निम्नानुसार हैं:
- राष्ट्रीय जल निगरानी कार्यक्रम (एनडब्ल्यूएमपी) के अंतर्गत 28 राज्यों और 7 संघ राज्य क्षेत्रों में राष्ट्रीय जल गुणवत्ता स्टेशनों की संख्या 4111 से बढ़ाकर 4294 तक की गई है।
- राष्ट्रीय परिवेशी वायु निगरानी कार्यक्रम (एनएएमपी) के अंतर्गत 28 राज्यों और 7 संघ राज्य क्षेत्रों के 344 शहरों/नगरों को सम्मिलित करके राष्ट्रीय परिवेशी वायु गुणवत्ता निगरानी स्टेशनों की संख्या 800 से बढ़ाकर 805 तक की गई है।
- 21 राज्यों और 2 संघ राज्य क्षेत्रों के 136 शहरों/नगरों को शामिल करके सतत परिवेशी वायु गुणवत्ता निगरानी स्टेशनों की संख्या 231 से बढ़ाकर 265 तक की गई है।
- 10 से अधिक शहरों में कुल 70 राष्ट्रीय परिवेशी रव (शोर) निगरानी नेटवर्क (एनएएनएमएन) स्टेशनों को स्थापित किया गया है।

13.2 'के.प्र.नि.बो. परिकल्पना-2030 दस्तावेज़ तैयार करना।

- के.प्र.नि.बो. ने बढ़ती पर्यावरणीय चुनौतियों जनता और न्यायिक अपेक्षाओं में हुई वृद्ध के साथ व्यापक योजना और ववेकपूर्ण कार्य योजना के माध्यम से प्रदूषण नियंत्रण की बढ़ती जटिलताओं का सामना करने के लिए मौजूदा कामकाज में परिवर्तन लाने की योजना बनाई है। इस उद्देश्य के साथ के.प्र.नि.बो. ने वर्तमान क्षमताओं सुदृढीकरण की आवश्यकताओं और वांछित परिवर्तन के लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए 'परिकल्पना 2030 दस्तावेज़ तैयार किया है। इसमें निगरानी नेटवर्क और प्रयोगशालाएं वायु और जल गुणवत्ता प्रबंधन मानकों का विकास और परिवर्तन अप शष्ट प्रबंधन क्षमता निर्माण और संस्थानिक आंकड़ा विश्लेषण सहित सूचना प्रबंधन प्रणाली जैसे व भन्न खंड शामिल हैं।

13.3 वर्ष 2020-21 के महत्त्वपूर्ण कार्यक्षेत्र

- परिवेशी वायु, जल और रव (शोर) निगरानी नेटवर्क का सुदृढीकरण।
- औद्योगिक क्षेत्रों के लिए मानकों का विकास/पुनरीक्षण।
- गंगा नदी का संरक्षण।
- प्रदूषित नदी खंडों के लिए कार्य योजना।

- सूचना प्रौद्योगिकी ढांचे (ई-ऑफिस, परिसंकटमय अपशष्ट निगरानी पद्धति और ऑनलाइन ईपीआर पोर्टल) में वृद्धि।
- नॉन-अटेनमेंट क्षेत्र के लिए कार्य योजना का क्रयान्वयन।
- दिल्ली की वायु गुणवत्ता के प्रबंधन पर विशेष ध्यान।
- स्मॉग टॉवर की स्थापना।
- परिवेशी वायु गुणवत्ता मानकों का पुनरीक्षण।
- वाहितमल उपचार संयंत्रों (एसटीपी), सामूहिक बहिःस्राव उपचार संयंत्रों (सीईटीपी), सामूहिक जैव-चकत्सा अपशष्ट उपचार सुवधाओं (सीबीएमडबल्यूटीएफ़) और परिसंकटमय अपशष्ट का उपचार, भंडारण तथा निस्सरण सुवधा (टीडीएसएफ़) की मानदंडों के अनुपालन की जांच के लिए निगरानी।
- व भन्न अपशष्ट प्रबंधन नियमों का क्रयान्वयन।
- प्रयोगशाला सुदृढीकरण और प्रयोगशाला सूचना प्रणाली का विकास।
- रा.प्र.नि.बो.प्र.नि.स. और के.प्र.नि.बो. के अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन।
- के.प्र.नि.बो. के तीन नए कार्यालयों (चेन्नई, चंडीगढ़ और पुणे) की ढांचागत सुवधाओं का सुदृढीकरण।

13.4 वत्त वर्ष 2021-22 के लिए बजट आवंटन

वत्त वर्ष 2021-2022 के लिए तीन शीर्ष में निम्नानुसार कुल 100.00 करोड़ रु. का बजट आवंटन किया गया है:

- साधारण : 26.00 करोड़
- पूंजीगत : 04.00 करोड़
- वेतन : 70.00 करोड़

वर्ष 2021-2022 के लिए परियोजनाशीर्षवार बजट आवंटन

बजट शीर्ष	बजट शीर्ष का नाम	आवंटन (₹ लाख में)		
		मुख्यालय	क्षेत्रीय निदेशालय	कुल
I	प्रदूषण आकलन (सर्वेक्षण और निगरानी)	70.00	59.50	129.50
II	वैज्ञानिक, तकनीकी और अनुसंधान एवं विकास गति व ध्यां	429.00	372.50	801.50
III	औद्योगिक प्रदूषण नियंत्रण (मानक, प्रवर्तन और प्रौद्योगिकियां)			
	क) मानक विकास	-	-	-
	ख) प्रवर्तन	5971.00	2652.50	8623.50
	ग) प्रौद्योगिकी	-	-	-

IV	प्र शक्षण और जागरूकता:			
	क) प्र शक्षण कार्यक्रम	60	7.50	67.50
	ख) जनसंपर्क, जन-जागरूकता और हिंदी	42	5.00	47.00
	ग) पुस्तकालय	18.00	6.00	24.00
V	सूचना (डाटाबेस) प्रबंधन	102.00	13.00	115.00
VI	अप शष्ट प्रबंधन और शहरी प्रदूषण नियंत्रण	181.00	11.00	192.00
कुल बजट		6873.00	3127.00	10000.00

अध्याय-14

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के द्वारा की गई अन्य महत्त्वपूर्ण गति व ध्यां

14.1 दिशा-निर्देशों का विकास

वर्ष 2020-21 के दौरान निम्न लखत दिशा-निर्देशों का विकास किया गया है:

- कोवड-19 से संबंधित जैव चकत्सा अपशष्ट के माध्यम से संक्रमण फैलने का जोखिम खत्म हेतु कोवड-19 रोगी के उपचार/रोग निदान/संगरोध के दौरान उत्पन्न अपशष्ट का हथालन, उपचार और निपटान करना।
- परिसंकटमय अपशष्ट (प्रबंधन एवं सीमापारीय परिवहन) नियम, 2016 के अनुसार सीमेंट संयंत्र में परिसंकटमय और अन्य अपशष्ट का पूर्व-प्रसंस्करण और सह-प्रसंस्करण।
- निष्प्रयोज्य वाहनों (ईएलवी) के हथालन, प्रक्रया और बदलने के लिए पर्यावरणीय सुवधाओं का सुदृढीकरण।
- ई-अपशष्ट नियमों के अंतर्गत पर्यावरणीय प्रतिकर प्रभार (ईसीसी)
- ई-अपशष्ट (प्रबंधन) नियम 2016 के क्रयान्वयन में नियमों के अंतर्गत व भन्न हितधारकों के लिए नौ व शष्ट दिशानिर्देश शामिल हैं।
- ई-अपशष्ट के लिए उत्पादक उत्तरदायित्व संगठनों (पीआरओ) हेतु दिशानिर्देश।
- आकार और सघनता की परवाह किए बिना सभी प्लास्टिक बैगों, प्लास्टिक कटलरी (प्लेट, कप, काँच, पेय नलका, वलोडक आदि), स्टायरोफोम कटलरी और सजावट का सामान को चरणबद्ध रूप से हटाया जाना।
- व भन्न क्षेत्रों में प्लास्टिक अपशष्ट के उपयोग हेतु दिशानिर्देश।
- कीटनाशकों की उच्चतर निगरानी हेतु नवाचार।
- कोल्हू में प्रदूषण नियंत्रण हेतु दिशानिर्देश।
- स्वर्ण परखने की प्रक्रया और स्वर्ण बुलयन, स्वर्ण मश्रधातु तथा स्वर्ण आभूषण/शल्लपकृति पर हालमा र्कग में शामिल स्वर्ण हालमा र्कग केंद्रों हेतु पर्यावरणीय दिशानिर्देश।
- केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के द्वारा मुर्गी पालन के लिए वर्ष 2015 में 1.0 लाख से अधिक पक्षियों के हथालन हेतु दिशानिर्देश बनाए गए थे। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के द्वारा औद्योगिक क्षेत्रों के वर्गीकरण के अनुसार, 'मुर्गी पालन फार्म, स्फुटनशाला और सूअर पालन' एच₂एस, सीएच₄ और पलायक उत्सर्जन युक्त दुर्गंध

उत्पन्न करते हैं, जिसके परिणामस्वरूप प्रदूषण सूचकांक (पीआई) (पीआई) 25 होता है और इस लए इसे 'हरा' रंग में श्रेणीबद्ध किया गया है।

- मुर्गी पालन फार्मों से जुड़ा प्रमुख पर्यावरणीय मुद्दा ठोस अपशष्ट (मुर्गियों की बीट/गंदगी) का हथालन है, जिससे दुर्गंध की समस्या होती है। अन्य मुद्दे मृत पक्षियों और स्फुटनशाला के प्रबंधन और निपटान से संबंधित हैं। माननीय राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण (एनजीटी) की प्रधान पीठ ने 2017 के ओ.ए. सं. 681 में दिनांक 16.09.2020 को अपने आदेश के माध्यम से एक विशेषज्ञ समिति (पशुपालन विभाग, कुक्कुट अनुसंधान निदेशालय, हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, तमिलनाडु राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड) से मुर्गी पालन के लए पर्यावरण दिशानिर्देश तैयार करने का निर्देश दिया। दिशानिर्देश अंतिम रूप दिए जाने हेतु प्रक्रियाधीन हैं।
- जल निकायों में मूर्ति वसर्जन पर संशोधित दिशानिर्देश।
- 14 क्षेत्रों के लए "जल संरक्षण और सुरक्षित उपचारित जल के पुनः उपयोग" के लए दिशानिर्देशों को अंतिम रूप दिया गया है और उद्योग सुरक्षित उपचारित जल के पुनः उपयोग (एसटीडब्ल्यूआर) हेतु दृष्टिकोण को अपनाएंगे/खोजेंगे और पांच वर्षों की समयावधि में ताजे पानी की खपत में 50% की कमी लाएंगे।
- ओ.ए. सं. 46/2018 (नुगुहेल्ली, जयासम्हा बनाम राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार) मामले में माननीय राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण के निदेश अनुसार डेयरी फार्मों और गौशालाओं के पर्यावरणीय प्रबंधन हेतु दिशानिर्देश तैयार किए गए और सभी राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों/प्रदूषण नियंत्रण समितियों को क्रयान्वयन हेतु जुलाई 2020 में परिचालित किया गया। इन दिशानिर्देशों में डेयरी फार्मों एवं गौशालाओं में अपशष्ट जल, वायु प्रदूषण और ठोस अपशष्ट के प्रबंधन से संबंधित विभिन्न पर्यावरणीय मुद्दों पर ध्यान केन्द्रित किया गया है। ठोस अपशष्ट, जैसे कि पशुओं का गोबर और इसका हथालन एक प्रमुख समस्या है। दिशानिर्देशों के अनुसार, गोबर का उपयोग ठोस अपशष्ट प्रबंधन विकल्पों के रूप में गोबर की लकड़ी/उपले, खाद/कृमि खाद, बायो-गैस/कम्प्रेस्ड बायो-गैस (सीबीजी) उत्पादन के लए किया जाना है। ये क्लस्टरों में व्यक्तिगत या सामूहिक उपचार सुविधाओं की स्थापना करके ठोस अपशष्ट और अपशष्ट जल के उचित संचालन, उपचार और निपटान को सुनिश्चित करने के लए पर्याप्त बुनियादी ढांचा स्थापित किया जाना भी प्रस्तावित करता है। ये दिशानिर्देश पशुशालाओं में वायु उत्सर्जन को कम करने के लए उचित वेंटिलेशन और बीआईएस मानदंडों का पालन करने के बारे में मार्गदर्शन देते हैं। नए डेयरी फार्म और गौशाला स्थापित करने के लए स्थल-चयन मानदंड सुझाए गए हैं।

14.2 'निरीक्षण करने, रिपोर्ट तैयार करने और कार्रवाई हेतु मानक नवाचार वक सत करना।

निरीक्षण करने, रिपोर्ट तैयार करने और कार्रवाई हेतु केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के द्वारा बनाई गई मानक प्रक्रिया निरीक्षण की प्रक्रिया, निरीक्षण से पूर्व, निरीक्षण के दौरान और निरीक्षण पश्चात उठाए जाने वाले कदमों, और रिपोर्ट प्रस्तुत करने को निरूपत करती हैं।

14.3 उद्योगों का वर्गीकरण

प्रदूषण सूचकांक (पीआई), जिसमें जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, परिसंकटमय अप शष्ट उत्पादन, ईंधन की खपत और अप शष्ट जल उत्पादन की मात्रा का एक प्रकार्य है, के आधार पर उद्योगों का लाल, संतरी, हरा एवं सफ़ेद रंगों से वर्गीकरण किया गया है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने वर्ष 2020-21 के दौरान निम्न लखत नए औद्योगिक क्षेत्रों का वर्गीकरण किया है:

- कबाड़ केन्द्रों (वाहनों की उपयोग अवध की समाप्ति और अन्य कबाड़ जैसे क संयंत्र और मशीनरी, संरचनात्मक सामग्री, रेल के डब्बे और माल डब्बे आदि हेतु);
- प्रयोग में लाए जा चुके खाना पकाने के तेल(यूसीओ) के संग्रहण केंद्र;
- जैव अपघटनीय अप शष्टों से कम्प्रेस्ड/ परिष्कृत जैव-गैस उत्पादक;
- डेयरी फार्म, गौशालाएँ;
- भवन और निर्माण परियोजनाएं, जिनमें 20,000 मीटर² तक का क्षेत्र निर्मित है और ≥ 50 केएलडी अप शष्ट जल का उत्पादन होता है;
- स्वर्ण परख एवं हालमा र्कग केंद्र;
- निर्माण एवं मलबा (सी एंड डी) अप शष्ट प्रसंस्करण संयंत्र।

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा प्रदूषण नियंत्रण स मतियों को शक्तियों का प्रत्यायोजन

क्र. सं.	संघ राज्य क्षेत्र	प्रदूषण नियंत्रण स मति	शक्तियों के प्रत्यायोजन हेतु राजपत्र अ धसूचना सं.	अ धसूचना की तारीख
1.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह प्रदूषण नियंत्रण स मति	भारत का राजपत्र असाधारण, भाग-II, खंड-3, उपखंड (ii) एसओ संख्या 33 दिनांक 16.01.1992 और व ध/156(4)1990 दिनांक 03.06.2004	16.01.1992
2.	चंडीगढ़	चंडीगढ़ प्रदूषण नियंत्रण स मति	भारत का राजपत्र असाधारण, भाग-II, खंड-3, उपधारा (ii) एसओ संख्या 199(ई) दिनांक 15.03.1991 और एसओ 1131(ई) दिनांक 23.10.2002	15.03.1991
3.	दमन, दीव एवं दादरा नगर हवेली	दमन, दीव एवं दादरा नगर हवेली प्रदूषण नियंत्रण स मति	भारत का राजपत्र असाधारण, भाग-II, खंड-3, उपखंड (ii) एसओ संख्या 862(ई) दिनांक 26.11.1992; संशोधित अ धसूचना संख्या एसओ 384(ई) दिनांक 19.2.1996 और एसओ 698(ई) दिनांक 03.07.1998 फ़ाइल संख्या बी-12015/7/04/एस, दिनांक 17.12.2004	26.11.1992
4.	दिल्ली	दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण स मति	भारत का राजपत्र असाधारण, भाग-II, खंड -3, उपखंड (ii) एसओ संख्या 198(ई) दिनांक 15.03.1991; संशोधित अ धसूचना संख्या एसओ 640(ई) दिनांक 14.06.2002	15.03.1991
5.	लक्षद्वीप	लक्षद्वीप प्रदूषण नियंत्रण स मति	भारत का राजपत्र असाधारण, भाग-प्प, खंड-3, उपखंड (ii) एसओ संख्या 842(ई) दिनांक 31.08.1988 और व ध/156(4) 1990 दिनांक 23.03.2006	31.08.1988
6.	पुदुचेरी	पुदुचेरी प्रदूषण नियंत्रण स मति	भारत का राजपत्र असाधारण, भाग-II, खंड -3, उपखंड (ii) एसओ संख्या 787(ई) दिनांक 10.03.1992; अ धसूचना संख्या फा.सं. व ध/158/(4)/90 दिनांक 01.05.2011 के माध्यम से संशोधित	10.03.1992


केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सदस्यों की सूची (31.03.2021 की स्थिति)

क्रम सं.	नाम एवं पता
1.	श्री शव दास मीना, आई.ए.एस अध्यक्ष, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
	धारा 3 उपधारा (2) के खण्ड (ख) के अंतर्गत नामत सदस्य
2.	अपर सचिव एवं वल्लीय सलाहकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली
3.	संयुक्त सचिव (स्वच्छ भारत मशन एवं लोक स्वास्थ्य इंजीनियरिंग) आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय, नई दिल्ली
4.	संयुक्त सचिव (थर्मल) ऊर्जा मंत्रालय, नई दिल्ली
5.	कार्यपालक निदेशक (तकनीकी) राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मशन, जल संसाधन मंत्रालय, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण, नई दिल्ली
6.	संयुक्त सचिव, सीपी प्रभाग पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
	धारा 3 उपधारा (2) के खण्ड (ग) के अंतर्गत नामत सदस्य
7.	अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ
8.	अध्यक्ष, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मुंबई
9.	अध्यक्ष, तमिलनाडु प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, चेन्नई
10.	अध्यक्ष, असम प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गुवाहाटी
11.	महापौर, नगर निगम, इंदौर, मध्य प्रदेश
	धारा 3 उपधारा (2) के खण्ड (घ) के अंतर्गत नामत सदस्य
12.	श्री अशोक अग्रवाल निदेशक, ग्रड लंक सोलर एलएलपी, हरियाणा
13.	डॉ. अनिल कुमार गुप्ता अध्यक्ष, झल मल और फ्रेंड्स कालोनी औद्योगिक क्षेत्र, नई दिल्ली
14.	डॉ. टी.के. जोशी, पर्यावरणीय स्वास्थ्य सलाहकार
	धारा 3 उपधारा (2) के खण्ड (ड) के अंतर्गत नामत सदस्य
15.	निदेशक (प्रचालन) नेशनल थर्मल पावर कार्पोरेशन ल मटेड, नई दिल्ली
16.	निदेशक (अनुसंधान एवं विकास) इंडियन ऑयल कार्पोरेशन ल मटेड, हरियाणा
	धारा 3 उपधारा (2) के खण्ड (च) के अंतर्गत नामत सदस्य
17.	डॉ. प्रशांत गार्गव, सदस्य सचिव, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली

अध्यक्ष

सदस्य स चव

मुख्यालय, दिल्ली



प्रयोगशालाएँ

- ❖ वायु
- ❖ जल एवं अपशिष्ट जल
- ❖ ट्रेस ऑर्गेनिक
- ❖ उपकरणीय
- ❖ जैविक

अन्य प्रभाग

- सूचना
- अनुसंधान एवं विकास
- योजना
- विधि
- प्रशिक्षण
- जनसंपर्क
- पुस्तकालय

प्रशासन

- लेखा
- कार्मिक
- भर्ती
- भवन
- सामग्री
- हिंदी

क्षेत्रीय निदेशालय

1. चंडीगढ़
2. चेन्नई
3. पुणे
4. बेंगलुरु
5. भोपाल
6. कोलकाता
7. लखनऊ
8. शिलांग
9. वडोदरा

परियोजना कार्यालय , आगरा